
₹25
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
जनवरी 2018
मानवता के घटते मूल्य
–हार्दिक अभिनंदन सागर
दहेज विरोधी अभियान
–प्लेबिया एग्नेस
मानवाधिकारों की रक्षा
–डॉ० विभा खरे
नारी संरक्षण और इस्लाम
–संपादन प्रभाग

AL-KABIR POLYTECHNIC
JAMSHEDPUR

A Muslim Minority Vnaided Institution
Recognised by SBTE, Govt. of Jharkhand
& Approved by AICTE Govt. of India

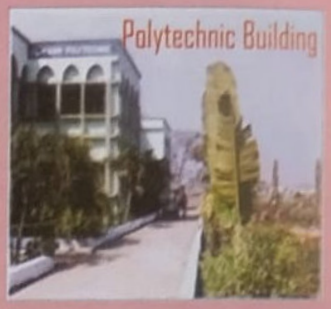

The institute in its academic program imparts three year diploma courses in engineering in following branches.

- **Civil Engg.**
- **Electrical Engg.**
- **Mechanical Engg.**
- **Automobile Engg.**
- **Computer Science & Engg.**
- **Electronics & Communication Engg.**



Laboratories and workshop

★ ★ ★

Kabir Nagar, P.O. Kopali, Via-Mango,
Jamshedpur-831012, Jharkhand
Tel. : 06591-260092, Tele Fax : 06591-260414
E-mail : principal_akpjsr@rediffmail.com
Website : www.al-kabirjsr.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 27 अंक 7 जनवरी 2018

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो जबकि किसी निर्धारित समय के लिए तुम आपस में क़र्ज़ का लेन-देन करो तो उसे लिख लिया करो। दोनों पक्षों के बीच इन्साफ़ के साथ एक आदमी दस्तावेज़ लिखे। –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 60/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

शराब की जकड़न

एक थे काठिया वाड़ के महाराज वीरेंद्र सिंह,
उनके युग में,
ठाकुरों में मद्यपान का चलन बहुत बढ़ गया,
महाराज तंग आ गये,
उन्होंने ठाकुरों को बुला कर कहा,
'शराब पापों की जननी है, बुराइयों की जड़ है,
बेहयाई फैलती है, विकार जन्म लेते हैं,
इससे परिवार बर्बाद होता है, समाज दूषित होता है,
इसलिए आप लोग शराब छोड़ दीजिए,
मेरे सामने अभी शराब न पीने की क़सम खाइए।'
उपस्थित ठाकुरों में से एक ने जवाब में कहा,
'महाराज !
शराब ने मुझे अपने चंगुल में बुरी तरह जकड़ रखा है,
मैं इसकी गिरफ़्त से बाहर नहीं आ सकता, मजबूरी है।'
महाराज चुप हो गये। अगले दिन उसे फिर बुलाया।
वह आया और महाराज को आवाज़ देने लगा।
महाराज बाहर नहीं निकले।
उसने दो-तीन बार पुकारा।
अंततः महाराज ने ज़ोर से कहा–
'मैं कैसे आऊं ? मुझे तो खंभे ने जकड़ रखा है।'
महाराज महल के एक खंभे से सट कर खड़े हो गये।
ठाकुर महल में घुसा, देखा,
महाराज एक खंभे से सटे खड़े हैं, और
उन्होंने हाथ से खंभे को पकड़ रखा है।
ठाकुर यह दृश्य देखकर बोला,
'आप भी क्या मज़ाक़ कर रहे हैं महाराज !
खंभा कहीं आपको जकड़ सकता है,
हाथ हटाइए और आप मुक्त।'
महाराज बोले, 'यही हाल शराब का है,
शराब ने तुम्हें नहीं जकड़ा है,
तुम ख़ुद शराब से चिपक गये हो।'
अगर मैं खंभे से हाथ हटा कर मुक्त हो सकता हूं,
तो तुम भी शराब से हाथ खींच लो,
शराब की जकड़न से आज़ाद हो जाओगे।'
ठाकुर बहुत लज्जित हुआ।
प्रण किया, अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा,
और फिर वह हमेशा के लिए मदिरामुक्त हो गया।

● **डॉ० कौसर यज़दानी नदवी**



कहां क्या है ?

शराब की जकड़न	–डॉ॰ कौसर यज़दानी नदवी	3
क़ुरआन ज्योति		5
छिपी बातों की हिफ़ाज़त (हदीस मंजरी)		6
राजनीतिक दलों के जन सरोकार (संपादकीय)		7
अल्लाह को पुकारना (आपके पत्र)		9
इंडो नेपाल विशिष्ट प्रतिभा सम्मान (साहित्य समाचार)		11
ग़ज़ल	–हबीब सोज़	11
हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के मानवता पर उपकार (जीवन आदर्श)		13
हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) (नेकी के सिपाही)	–तालिब हाशमी	15
है दाल से ख़ाली (कविता)	–बद्री प्रसाद वर्मा अनजान	16
इस्लाम में आज़ादी की धारणा (आस्था)	–अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रज़ावी	17
परेशानियों के मूल कारण (प्रेरणा)	–मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां	19
ग़ज़ल	–दरवेश भारती	20
मिलावट से व्याधि-विनाश तक (अर्थ उपभोक्ता)		21
मानवता के घटते मूल्य (ज्वलंत सामयिक)	–हार्दिक अभिनंदन सागर	23
दहेज विरोधी अभियान (विशेष आयोजन)	–फ्लेबिया एग्नेस	26-27
मानवाधिकारों की रक्षा	–डॉ॰ विभा खरे	28
नारी संरक्षण और इस्लाम	–संपादन प्रभाग	30
अनुवाद का महत्व (साहित्य)		33
अच्छे दिनों की आस (कहानी)	–क़मर जीलानी ख़ां	35
ग़ज़ल	–अतीक़ दानिश	36
अब नहीं लगेगा तेल का तड़का (स्वास्थ्य चर्चा)	–उमेश कुमार	37
चाय (लघुकथा)	–ओम प्रकाश बजाज	38
इन्सानो ! रब को पहचानो !	–संपादन प्रभाग	39
इब्ने सीना–एक महान वैज्ञानिक	–डॉ॰ मुहम्मद आज़म	41
आख़िर क्यों ? (कहानी)	–अरशद सिद्दीक़ी	43
अपराध के दायरे में फेक न्यूज़ (समाचार-विचार)	–संपादन प्रभाग	45
बाढ़ व जल जमाव... (खेती किसानी)	–भारत डोगरा	47
असर (बाल कहानी)	–मनोहर चमोली 'मनु'	48
बालवीथी		49

कुरआन ज्योति

(44) सच तो यह है कि अल्लाह लोगों पर ज़ुल्म नहीं करता, लोग स्वयं ही अपने ऊपर ज़ुल्म करते हैं।[52] (45) (आज ये दुनिया की ज़िन्दगी में मस्त हैं) और ज़िस दिन अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो (यही दुनिया की ज़िन्दगी इन्हें ऐसी महसूस होगी) मानो यह केवल एक घड़ी भर आपस में जान-पहचान करने को ठहरे थे।[53] (उस समय सिद्ध हो जाएगा कि) वास्तव में भारी घाटे में रहे वह लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया[54] और कदापि वे सीधे रास्ते पर न थे। (46) जिन बुरे नतीजों से हम इन्हें डरा रहे हैं, उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या इससे पहले ही तुझे उठा लें, बहरहाल इन्हें आना हमारी ओर ही है, और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है।

(47) हर उम्मत (समुदाय) के लिए एक रसूल है[55], फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फ़ैसला पूरे न्याय के साथ चुका दिया जाता है और उस पर कण-भर भी ज़ुल्म नहीं किया जाता।[56]

–क़ुरआन, 10 : 44,47

52. अर्थात अल्लाह ने तो उन्हें कान भी दिये हैं और आंखें भी और दिल भी। उसने अपनी ओर से कोई ऐसी चीज़ उनको देने में कंजूसी नहीं की है जो सत्य और असत्य का अन्तर देखने और समझने के लिए ज़रूरी थी, मगर लोगों ने इच्छाओं की बन्दगी और दुनिया के मोह में पड़कर आप ही अपनी-अपनी आंखें फोड़ ली हैं, अपने कान बहरे कर लिए हैं और अपने दिलों को इतना बिगाड़ लिया है कि उनमें भले-बुरे की पहचान, सही व ग़लत की समझ और अन्तरात्मा के जीवन का कोई प्रभाव बाक़ी न रहा।

53. अर्थात जब एक ओर आख़िरत का शाश्वत जीवन उनके सामने होगा और दूसरी ओर ये पलटकर अपनी दुनिया की ज़िन्दगी पर नज़र डालेंगे तो उन्हें भविष्य के मुक़ाबले में अपना यह अतीत अति तुच्छ लगेगा। उस समय इनको अन्दाज़ा होगा कि इन्होंने अपनी पिछली ज़िन्दगी में थोड़े-से स्वाद और स्वार्थ के लिए अपने इस शाश्वत भविष्य को नष्ट करके कितनी बड़ी मूर्खता की है।

54. अर्थात इस बात को कि एक दिन अल्लाह के सामने उपस्थित होना है।

55. 'उम्मत' (समुदाय) का शब्द यहां सिर्फ़ क़ौम के अर्थ में नहीं है, बल्कि एक रसूल के आने के बाद उसका सन्देश जिन-जिन लोगों तक पहुंचे, वे सब उसकी 'उम्मत' हैं। साथ ही इसके लिए यह भी ज़रूरी नहीं है कि रसूल उनके बीच ज़िन्दा मौजूद हो, बल्कि रसूल के बाद भी जब तक उसकी शिक्षा मौजूद रहे और हर आदमी के लिए यह मालूम करना संभव हो कि वह वास्तव में किस चीज़ की शिक्षा देता था, उस समय तक दुनिया के सब लोग उसकी 'उम्मत' ही समझे जाएंगे और उन पर वह आदेश लागू होगा जिसका आगे उल्लेख किया जा रहा है। इस दृष्टि से मुहम्मद (सल्ल०) के तशरीफ़ लाने के बाद तमाम दुनिया के इन्सान आपकी 'उम्मत' हैं और उस समय तक रहेंगे जब तक कुरआन अपने विशुद्ध रूप में मौजूद है। इसी कारण आयत में यह नहीं कहा गया है कि 'हर क़ौम में एक रसूल है', बल्कि कहा यह गया है कि 'हर उम्मत के लिए एक रसूल है।'

56. अर्थ यह है कि रसूल के सन्देश का किसी इन्सानी गिरोह तक पहुंचना मानो उस गिरोह पर अल्लाह की युक्ति का पूरा हो जाना है। इसके बाद केवल निर्णय ही शेष रह जाता है, युक्ति के लिए कुछ और मोहलत की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती, और यह निर्णय भरपूर न्याय के साथ किया जाता है। जो लोग रसूल की बात मान लें और अपना रवैया ठीक कर लें, वे अल्लाह की रहमत के हक़दार समझे जाते हैं और जो उसकी बात न मानें, वे अज़ाब के हक़दार हो जाते हैं, चाहे वह अज़ाब दुनिया और आख़िरत दोनों में दिया जाए या सिर्फ़ आख़िरत में।

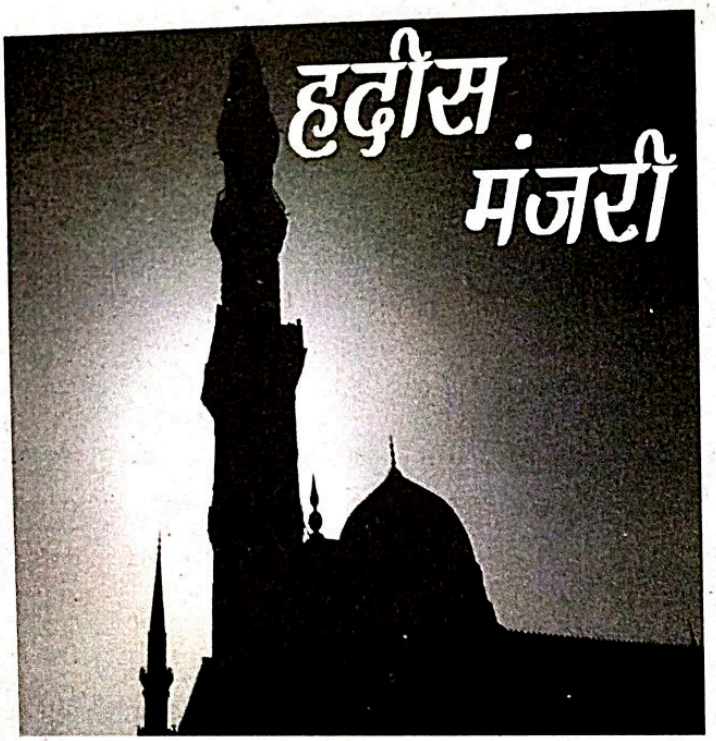

छिपी बातों की हिफ़ाज़त

● हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है । वे कहती हैं कि नबी (सल्ल॰) की पत्नियां आपके पास मौजूद थीं कि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि॰) चलती हुई आयीं । उनकी चाल अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की चाल जैसी ही थी । जब आपने उन्हें देखा, तो कहा : "स्वागत, मेरी बेटी !" फिर आपने उन्हें अपनी दाहिनी ओर या अपनी बायीं ओर बैठाया, फिर आपने उनसे चुपके से कुछ कहा, तो वे ज़ोर से रोने लगीं । जब आपने उनकी विकलता देखी, तो दोबारा उनसे कुछ चुपके से कहा, तो वे हंसने लगीं । इस पर मैंने उनसे कहा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने अपनी पत्नियों के होते हुए रहस्य की बातें बताने के लिए तुम्हीं को चुना । इस पर भी तुम रोती हो ? फिर जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) उठकर चले गये, तो मैंने उनसे पूछा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने तुम से क्या कहा था ? उन्होंने कहा : मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के रहस्य को नहीं खोलूंगी । फिर जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की मृत्यु हो गयी, तो मैंने उनसे कहा : मैं तुम्हें उस हक़ की क़सम देकर कहती हूं जो मेरा तुम्हारे ऊपर है कि तुम वह बात बताओ जो अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने तुम से कहा था । उन्होंने कहा : अच्छा अब बताये देती हूं । जब आपने पहली बार मुझसे चुपके से बात कही थी, तो आपने मुझे यह ख़बर दी : "जिबरील (अलैहि॰) हर एक साल एक बार या (कहा कि) दो बार क़ुरआन सुनाते-सुनते थे और अब उन्होंने (अर्थात इस वर्ष) दो बार मेरे साथ क़ुरआन सुनाने-सुनने का कार्य सम्पन्न किया । इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय निकट आ चुका है, तो तुम अल्लाह से डरती रहना और सब्र करना । क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा अग्रगामी हूं ।" इस पर मैं रो पड़ी, जो तुमने देखा । फिर आपने जब मेरी विकलता को देखा, तो दोबारा चुपके से मुझसे बात की और कहा : "ऐ फ़ातिमा, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि सारे मोमिनों के स्त्रियों की तुम नायक होगी" या कहा : "इस मुस्लिम समुदाय के स्त्रियों की नायक होगी ।" इस पर मैं हंस पड़ी, जो तुमने देखा ।

—बुख़ारी, मुस्लिम । ये शब्द मुस्लिम के हैं ।

● हज़रत साबित से रिवायत है और वे हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) मेरे पास आये । उस समय मैं लड़कों के साथ खेल रहा था । आपने हमें सलाम किया और मुझे किसी ज़रूरत से भेज दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी मां के पास देर से पहुंचा । जब मैं आया तो उसने कहा : किस कारण तुम रुके रहे ? मैंने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक ज़रूरत से भेज दिया था । मां ने कहा : आपका क्या काम था ? मैंने कहा : वह एक राज़ (रहस्य) है । मां ने कहा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के राज़ से किसी को अवगत न कराना । हज़रत अनस (रज़ि॰) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम, अगर मैं किसी को उसके बारे में बताता, तो ऐ साबित, तुम्हें अवश्य बताता ।

—मुस्लिम

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

राजनीतिक दलों के जन सरोकार

हमारे देश की गणना बड़े लोकतांत्रिक देशों में होती है, लेकिन यह भी सच है कि जनसमस्याओं को हल करने में हमने बड़ी कोताही बरती है । ऐसी अनेक गंभीर समस्याएं हैं, जो देश की आज़ादी के बाद पिछले सात दशकों से अनसुलझी हैं । इसका मुख्य कारण यह रहा है कि जिन राजनीतिक पार्टियों के हाथों में देश की सत्ता रही है, उनके स्वार्थ संविधान के आड़े आते रहे और वे अपने स्वार्थों की भरपाई के लिए संविधान में तोड़-फोड़ तथा संशोधन करती रहीं । यह काम सबसे अधिक कांग्रेस ने किया, क्योंकि इसे ही सबसे अधिक सत्ता में बने रहने का मौक़ा मिला । इसके बाद भाजपा को अवसर प्राप्त हुआ । फिर भी यह कहना पड़ेगा कि संविधान के साथ घातक छेड़छाड़ के बाद जनता पार्टी के कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा का जो प्रबंध किया गया, वह सराहनीय ज़रूर है । इसके द्वारा अन्य प्रावधानों के साथ संविधान के अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि देश में आपातकाल की घोषणा के लिए एक ही कारण ''सशस्त्र विद्रोह'' होगा । आंतरिक गड़बड़ी, यदि ''सशस्त्र विद्रोह'' नहीं है, तो आपातकाल की घोषणा के लिए आधार कदापि न होगा । साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को जैसा की अनुच्छेद 21 और 22 में उल्लेख है, इस उपबंध द्वारा उनको और अधिक शक्तिशाली बनाया गया । अनुच्छेद 21 में शिक्षा-अधिकार के साथ अनुच्छेद 22 में नागरिक सुरक्षा पर पर्याप्त बल दिया गया । अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है : (1) हिरासत में लेने का कारण बताना होगा । (2) 24 घंटे के अंदर (आने-जाने के समय को छोड़कर) उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा । (3) उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा । ज़ाहिर है ये प्रावधान संविधान के मौलिक स्वरूप को बचाने वाले हैं । इसी प्रकार संविधान को समतामूलक बनाने और जातीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए संविधान में कई संशोधन किये गये । शोषित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पहले 22 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी, फिर जब इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया, तो सवर्ण जातियों ने इसका ज़ोरदार विरोध किया । पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सिफ़ारिश को पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेई और डॉ॰ मनमोहन सिंह तक पचा न सके । विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा जब ये आरक्षण लागू किये गये, तो भाजपा और कांग्रेस के समर्थकों ने आसमान सर पर उठा लिया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ों के आरक्षण का अनुमोदन किए जाने के बाद भी इसे लागू करने में बार-बार रुकावट आती रही । ग़ौरतलब बात यह भी है कि स्वार्थ सिद्धि की राजनीति के क्रम में जाति पर आधारित जनगणना का विरोध किया जाता रहा । जब देवगौड़ा सरकार ने इस बाबत फ़ैसला किया कांग्रेस ने उनकी सरकार को तत्काल गिरा दिया !

आख़िर 2011 में कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना कराई । इससे पहले 1932 में जाति आधारित जनगणना अंग्रेज़ों द्वारा कराई गयी थी । वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि '1932 की जाति आधारित जनगणना के सात-आठ दशक बाद अब हमारे पास यह दस्तावेज़ आया है । केंद्र और राज्य सरकारों समेत सभी नीतिनिर्माताओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है । इस दस्तावेज़ से हमें नीति नियोजन के लिहाज़ से समूहों को लक्षित कर सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी ।' स्पष्ट है कि भाजपा वोट ध्रुवीकरण की ख़ातिर कांग्रेस से उलट अपनी नीति पर चलती रही और बहुसंख्यकों का वोट बैंक तैयार किया । इन दोनों पार्टियों की ये दोनों बातें संविधान की मूल आत्मा से मेल नहीं खातीं । इसके बावजूद कांग्रेस ने भी इस खेल को भरपूर खेला । ताला खोलवाकर, राम मन्दिर का शिलान्यास करवाकर और बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक़्त आंखें बंदकर कांग्रेस ने हिन्दू वोट बैंक मज़बूत करने की कोशिश की । इसी नीति के चलते अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस या भाजपा का क़ब्ज़ा रहा । यहां भाजपा के अंतर्गत उसके सभी पुराने रूप भी हैं । इन दोनों पार्टियों की इस नीति को डॉ॰ भीम राव अम्बेडकर ने 'राजनैतिक डकैती' कहा था । अनुसूचित जातियों और जनजातियों को वोट बैंक की शक्ल में पूरी तरह कन्वर्ट करने के लिए यह ज़रूरी था कि उन्हें पिछड़े वर्गों के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाए । लिहाज़ा कांग्रेस ने यह 'प्रिय काम' संविधान बनते ही शुरू कर दिया था । संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी और पिछड़ों को नज़रअंदाज़ किया गया । जब संविधान सभा के एक सदस्य ने इस ओर ध्यान दिलाया, तो अनुच्छेद 340 जोड़ा गया, जिसमें पिछड़ों के लिए विशेष अवसर देने का प्रावधान किया गया । इसी अनुच्छेद के तहत काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना । बताया जाता है कि इस आयोग की रिपोर्ट पर पंडित नेहरू ख़फ़ा हो गये और उन्हें रिपोर्ट बदलने के लिए बाध्य किया । उल्लेखनीय है कि मुसलमानों और अन्य कमज़ोर वर्गों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 10 मई 1980 को गोपाल सिंह पैनल का गठन किया गया था, जिसने 14 जून 1983 को अपनी रिपोर्ट सौंपी । कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में मुसलमानों की स्थिति को दलितों से बदतर बताया गया था, लेकिन इस बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिपोर्ट से निकलवा दिया था । विश्वनाथ प्रताप सिंह के सत्ता में आने के पूर्व तक यह फ़ाइलों में रिपोर्ट दबी रही । कांग्रेस को अपने स्वार्थ साधने की ख़ातिर रिपोर्टों को दबाने का बड़ा अनुभव रहा है । कालेलकर आयोग की रिपोर्ट बीस साल तक दबी रही । कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी दस साल तक दबाए रखा । इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की आज़ादी के सत्तर सालों में भारतीय जनता को जातीय, वर्गीय संघर्षों में पीसा जाता रहा और संविधान के साथ अनावश्यक रूप से भी छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को आहत किया जाता रहा । आज ज़रूरत इस बात की है कि संविधान को मज़बूत करने और नागरिक अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए अनवरत प्रयास हों । इसके लिए राजनीतिक दल अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर कार्य करें, जनता भी जागरूकता दिखाए और संविधान-क़ानून विरोधी शक्तियों पर अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत रोक लगाए, ताकि देश में शांति और सद्भाव पर आए ख़तरों से निबटा जा सके ।

अल्लाह को पुकारना

मेरे साथियो ! अल्लाह कृपाशील एवं अत्यंत दयालु है । अल्लाह सबका पालनहार एवं निदेशक है । आप अल्लाह के पुकारों, मस्जिद में दस्तक दें, हृदय से नमाज़ पढ़ें, आपकी पुकार आपके हृदय की पीड़ा वह तुरंत सुनते हैं । आप उसे अच्छे नामों से पुकारें–अल्लाह, रहीम, रहमान, पालनहार, ख़ुदा । कहकर मध्यम ध्वनि से उसे याद करें, पुकारें आपकी आवाज़ वह तुरंत सुनते हैं । वह आपसे हृदय में बैठकर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आप इसका आभास करेंगे । संसार के प्रत्येक प्राणी की ध्यान उन्हें है । यदि आप कर्म छोड़कर पुण की ओर बढ़ते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, हिंसा से दूर हैं, आतंक से दूर हैं, दया, करुणा, ममता आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है तो आपकी पुकार वह दयालु अल्लाह तुरंत सुनते हैं । प्रेरक बनकर आपका मार्गदर्शन करता है ।

ध्यान रहे यदि आप इसके विपरीत हैं तो आपकी प्रार्थना, पुकार अल्लाह नहीं सुनते हैं । आप अपराध करते हैं, ख़ुदा आपकी पुकार नहीं सुनेंगे और आप रोग, दुख, पीड़ा, घटना, दुर्घटना सभी से घिर जाएंगे । अत: आप पवित्र हृदय से प्रभु को पुकारिए, पांचों वक़्त नमाज़ अदा करेंगे तो याद रखें, वह आपका पूरा योमक्षेम वहन करेंगे, क्योंकि ईश्वर बहुत कृपालु, दयालु है । आप पवित्रता से पुकारें, मस्जिद में दस्तक दें वह अविलंब सुनता है ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है । साथियो ! एक बात ख़ुदा ने पवित्र क़ुरआन में कही है जो ध्यान देने योग्य है । अल्लाह ने हिदायत दी है कि आवाज़ मध्यम स्तर की हो । क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ पसन्दीदा नहीं है । ईश्वर मध्यम आवाज़ से ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं । साथियो माइक जो मस्जिदों में लगे हैं उनसे बहुत ऊंची आवाज़ में नमाज़ न पढ़ें । मध्यम आवाज़ से अल्लाह को पुकारें । हां नमाज़ कभी भी चुपके से नहीं पढ़ें, उसकी शिक्षाएं कानों तक पहुंचे जो हृदय को प्रतिम करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं ।

शिवशरण सिंह चौहान 'अंशुमाली

निदेशक/अध्यक्ष-शांति निकेतन, मानव कल्याण समिति 253, ई॰डब्ल्यू॰एस॰, आवास विकास, फ़तेहपुर (उ॰प्र॰)

क़लम की ताक़त

नवम्बर 2017 का 'कान्ति' मासिक पत्रिका का अंक मिला । आनंद एवं आभार ।

इस्लाम विषयक सामग्री वास्तव में जानकारी की सीमा बढ़ाने वाली है । दलितों एवं महिलाओं पर दमन की चर्चा भी उपयुक्त है । वास्तव में पत्रकारिता क्या है ? क़लम की ताक़त और मीडिया की समाजधर्मिता । रामधारी सिंह 'दिनकर' के शब्दों में–

क़लम देश की बड़ी शक्ति है भाष जगाने वाली
दिल में नहीं दिमाग़ों में भी आग लगाने वाली ।

यह तभी संभव हो सकता है जब पत्रकार अपना धर्म निष्पक्ष रूप से निभाए ।

बच्चे और इंटरनेट विषयक चिंतन अभिभावकों के लिए ख़तरे की घंटी बजाने वाला है ।

'कान्ति' वैचारिक 'क्रांति' का अग्रदूत बने, यही अल्लाह से बन्दगी ।

डॉ॰ चन्द्रकान्त महेता

पूर्व उप कुलपति,
गुजरात विश्वविद्यालय
अहमदाबाद, गुजरात

प्रशंसनीय 'इस्लामी जीवन दर्शन'

श्रीमानजी 'कान्ति' का ''इस्लामी जीवनदर्शन'' विशेषांक प्राप्त कर अतीव हर्ष हुआ है । डॉ॰ मुहम्मद अहमद साहब का यह उद्यम बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि एक अंक में इस्लामी जीवनदर्शन के विविध पहलुओं पर विद्वानों के विचार संक्षेप में एक जगह एकत्र हो सके हैं । इस्लाम में रुचि रखने वाले ग़ैर-मुस्लिमों के लिए भी यह उपादेय है । ऐसे विशेषांक को प्रकाशित करने के लिए इसके संपादक एवं इदारा 'कान्ति' हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ।

डॉ॰ सुरेन्द्र अज्ञात

3/57, अज्ञातवास बंगा (पंजाब)

वसुधैव कुटुम्बकम

भौतिकतावाद में घिरा भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की परिभाषा भूल चुका है क्योंकि क्षेत्र, संप्रदाय, जाति, धर्म व समुदाय इतने प्रभावी हो चुके हैं कि एक ही घर में रहने वाले सारे परिवारजन ही किसी एक विषय पर ही एकमत

सहमत होना तो दूर बल्कि एक दूसरे को हर समय नीचा दिखाने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते । घर ईंट सीमेंट लोहा मिट्टी का ढांचा नहीं बल्कि एक संस्कार है और यही संस्कार देश की एकता अखंडता की सबसे छोटी इकाई है और घर से ही कुटुम्ब गोत्र तक पहुंचा जाता है । घर से ही मुहल्ला, क्षेत्र, गांव, क़स्बा, शहर, ज़िला, कमिशनरी, प्रदेश और अंत में देश का निर्माण होता है लेकिन जब घर में ही ऐका न हो तो भला मुहल्ला, शहर, प्रदेश व देश में एकता-अखंडता का दर्शन कैसे होगा । एक नारी ही घर की बुनियाद होती है और नारी से संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थांतरित होते हैं ।

रचना रस्तोगी
मेरठ

न्यूज़ चैनल और उलमा

टी॰वी॰ चैनलों पर आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर चर्चाएं आयोजित होती रहती हैं । ये चर्चाएं प्राय: किसी न किसी की गुप्त प्रेरणा के आधार पर आयोजित होती हैं ।

इस्लाम व मुसलमानों से संबंधित मामलों पर प्रश्नों का जवाब लेने के लिए योजनाबद्ध तरीक़े से ऐसे उलमा को चर्चा के लिए बुलाया जाता है जिनका चर्चा के विषय पर अध्ययन व रिसर्च कमज़ोर होता है तथा ये भावुक प्रकृति के होते हैं, जिन्हें आसानी से सवालों में उलझाया जा सके ।

इन अल्प ज्ञान रखने वाले उलमा के सामने चार-पांच ऐसी माहिर व्यक्तियों को बैठा दिया जाता है जो इन उलमा से सवाल करते हैं तो इनके जवाब को खारिज कर दिया जाता है या फिर इनकी बात के बीच में ही बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दी जाती है । इसी बीच चर्चा कार्यक्रम के संचालक (एंकर) साहब बीच में कूद पड़ते हैं और अपने सवाल की बौछार कर डालते हैं जिससे उलमा बौखला जाते हैं । भावुकता में बहकर ये उलमा कोई ठोस और सटीक जवाब देने में नाकाम हो जाते हैं ।

इन्हीं बातों के मद्देनज़र कुछ संजीदा योग्य और वरिष्ठ उलमा-ए-किराम ने माह सितम्बर में चर्चाओं में जाने वाले इन उलमा से अपील की थी कि वे इस्लाम की प्रतिष्ठा का ख़याल रखते हुए इन टी॰वी॰ न्यूज़ चैनलों की चर्चाओं में न जाएं । इस अपील के अख़बारों में प्रकाशित होते ही टी॰वी॰ चर्चाओं में भाग लेने वाले उलमा की तरफ़ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आयी । इन उलमा ने दिये गये मशविरों पर अमल करने के बजाय इस अपील पर ही सवाल खड़े कर दिये । उनका कहना था कि उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जिससे इस्लाम और मुसलमानों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो । उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं ने क्या ऐसे लोग तैयार किये हैं जो मीडिया से बात कर सके ।

अपीलकर्ता-उलमा ने चर्चाओं में जाने वाले उलमा से की गयी अपील में कहा था कि टी॰वी॰ न्यूज़ चैनलों पर होने वाली चर्चाएं एक योजनाबद्ध एजेंडे के आधार पर करायी जाती हैं वह पर्दे के पीछे एक विशेष नज़रिये के प्रचार के लिए होती हैं जिनमें योजना के तहत किसी ऐसे कमज़ोर मुस्लिम डिबेटर को आमंत्रित करते हैं ताकि कोई मज़बूत पक्ष सामने न आ सके और वह अपने उद्देश्य में सफल रहें ।

टी॰वी॰ चैनल पर जो मुस्लिम डिबेटर बोलते हैं उससे यह पैग़ाम जाता है कि जो यह कह रहे हैं बस वही इस्लाम है । इसका सबसे बड़ा नुक़सान यह होता कि इन चर्चाओं को देखने वाले लाखों दर्शकों के मन में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति ख़राब छवि बन जाती है । उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चर्चाओं में जाने वाले उलमा शोहरत हासिल करने के लिए न्यूज़ चैनलों पर जाते हैं ।

न्यूज़ चैनलों पर चर्चाओं में जाने वाले डिबेटर उलमा को यह समझना और सोचना चाहिए कि उनसे पूछे गये सवालों के जवाबों से चर्चा में बैठे डिबेटर व दर्शक संतुष्ट भी हैं या नहीं ।

जहां तक चर्चाओं में जवाब देने के लिए डिबेटर तैयार करने की बात है तो मुस्लिम समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं । लेकिन मीडिया वाले ऐसे लोगों को चर्चा में आमंत्रित ही नहीं करते जो इस्लाम और मुसलमानों से संबंधित मामलों को सही तरीक़े से पेश करने की कला और ज्ञान रखते हैं और गंभीर चर्चा करना जानते हों । लेकिन मीडिया को तो ऐसे लोग चाहिए जिन्हें सवालों पर उलझाया जा सके और कोई मज़बूत तर्क से परिपुष्ट जवाब न दे सके । चर्चा कराने वाले न्यूज़ चैनलों की मनोकामना को ऐसे ही डिबेटर उलमा बख़ूबी पूरा कर देते हैं ।

आसिफ़ ख़ान मेव
दिल्ली

'इंडो-नेपाल विशिष्ट प्रतिभा सम्मान-समारोह

नारनौल । हिमाचल प्रदेश कैडर के दिवंगत आई॰पी॰एस॰ अधिकारी डॉ॰ मनुमुक्त 'मानव' की 34वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेपाल तथा भारत के उन्नीस राज्यों की साठ प्रतिभाओं को, विभिन्न क्षेत्रों में उनके विशिष्ट योगदान के दृष्टिगत, मनुमुक्त 'मानव' मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया । समारोह के अध्यक्ष उड़ीसा के पूर्व डी॰जी॰पी॰ दिरगपाल सिंह चौहान तथा मुख्य अतिथि एवं सांसद चौ॰ धर्मवीर सिंह ने ट्रस्ट द्वारा डॉ॰ पंकज गौड़ के कुशल संचालन में स्थानीय सेक्टर-1 स्थित सी॰एल॰ कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन में आयोजित 'इंडो-नेपाल विशिष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह' में दो विभूतियों को 'डॉ॰ मनुमुक्त 'मानव' शिखर सम्मान' तथा छप्पन विशिष्ट प्रतिभाओं को 'डॉ॰ मनुमुक्त 'मानव' स्मृति-सम्मान' प्रदान किया गया । दो व्यक्तियों को 'मातादीन-मूर्तिदेवी स्मृति-सम्मान' से नवाज़ा गया ।

इस अवसर पर हामिद अख़्तर, आई॰पी॰एस॰, एस॰पी॰, पंचकूला मुख्यालय, डॉ॰ डी॰पी॰ वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अग्रोहा, डॉ॰ दलेल सिंह, कुलपति, ओ॰पी॰जे॰एस॰ यूनीवर्सिटी, चुरू (राज॰) तथा गोविन्द भारद्वाज, चेयरमैन, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज, चंडीगढ़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे ।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मनुमुक्त के पिता और चीफ़ ट्रस्टी डॉ॰ रामनिवास 'मानव' तथा स्वागताध्यक्ष सी॰एल॰ शिक्षण-संस्थाओं के एम॰डी॰ डॉ॰ अमित गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया । कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभाग के पूर्व अध्यक्ष और डीन डॉ॰ लालचन्द गुप्त 'मंगल' ने डॉ॰ मनुमुक्त का परिचय प्रस्तुत किया तथा डॉ॰ रमाकान्त शर्मा (भिवानी), डॉ॰ ममता शर्मा (नारनौल) और डॉ॰ सी॰एस॰ वर्मा तथा पुस्तकों का लोकार्पण भी समारोह में किया गया ।

ढाई लाख का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार

इसके अतिरिक्त मनुमुक्त 'मानव' मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा निकटवर्ती गांव तिगरा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित मातादीन के सुपौत्र तथा हिमाचल प्रदेश कैडर के दिवंगत आई॰पी॰एस॰ अधिकारी डॉ॰ मनुमुक्त 'मानव' की स्मृति में एक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है । प्रतिवर्ष किसी अलग देश की एक विशिष्ट विभूति को दिये जाने वाले इस पुरस्कार की राशि प्रारंभ में ढाई लाख होगी, जिसे बढ़ाकर शीघ्र ही पांच लाख करने की योजना है । इसके साथ ही प्रतिवर्ष देश की किसी चर्चित हस्ती को, उसके बहुमुखी योगदान के दृष्टिगत, एक लाख का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा । इस पुरस्कार की राशि को भी बढ़ाकर ढाई लाख करने का निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया गया है ।

यह जानकारी देते हुए मनुमुक्त के पिता तथा चीफ़ ट्रस्टी डॉ॰ रामनिवास 'मानव' ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा उक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त दो 'मातादीन-मूर्तिदेवी स्मृति पुरस्कार' भी प्रदान किये जाएंगे, जिनकी राशि इक्कीस-इक्कीस हज़ार रुपये होगी । ये सभी पुरस्कार वर्ष-2018 से प्रारंभ किये जाएंगे । उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट द्वारा 1100/1100 रुपये के दो एन॰सी॰सी॰ तथा दो बोर्ड टॉपर पुरस्कार वर्ष-2014 से ही प्रारंभ किये जा चुके हैं ।

ग़ज़ल

कभी तो ज़ेहन में इतना वबाल होता है
कि एक सांस भी लेना मुहाल होता है

तेरी तरह हमें इज़्ज़त तो मिल नहीं सकती
हम उतना खाते हैं जितना हलाल होता है

अमीरे-शहर से मिलना खुशी की बात सही
अमीरे-शहर से मिलकर मलाल होता है

अब एक तेरी बुराई का क्या बुरा मानें
शरीफ़ लोगों का अक्सर ये हाल होता है

हमारे गांव में मकड़ी के जाले होते हैं
तुम्हारे शहर में माया का जाल होता है ।

हसीब सोज़
बदायूं, उ॰प्र॰

अल्लाह के रसूल (सल्ल०)
ने इरशाद फ़रमाया–
"कई लोग तो रोज़ा रखते हैं,
उन्हें भूखा-प्यासा रहने के सिवाय
कुछ नहीं मिलता और कई लोग
जो रातों में इबादत करते हैं,
उन्हें रात में जागने के सिवाय
कुछ नहीं मिलता ।"
(दारमी)

A Well Wisher
MAPUSA
(GOA)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के मानवता पर उपकार

● संपादन प्रभाग

मानव-जीवन को कल्याण और भलाई के मार्ग पर डालने के लिए एक आदर्श चाहिए । आदर्श वास्तव में मापदंड (Standard) का काम करता है, जिस पर नाप-तौलकर यह पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का कितना भाग खरा है और कितना खोटा । मापदंड या आदर्श काल्पनिक भी होते हैं, जो क़िस्से-कहानी के रूप में उपदेशों में बयान किये जाते हैं और सुनकर लोग खुश होते हैं । लेकिन उसका कोई वास्तविक लाभ व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में नहीं होता ।

आदर्श होने के लिए सिर्फ़ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि वह संभव और व्यावहारिक हो, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि वह आदर्श किसी का जीवन बन चुका हो और उसने उस पर चलकर आदर्श का व्यावहारिक नमूना पेश किया हो । उस व्यक्ति के हृदय में मानव के प्रति इतना प्रेम हो कि हर कोई उसे अपना शुभ चिन्तक समझने लगे । उसके प्रेम में डूबकर उसके आदर्श को अपनाने के लिए दीवाना हो जाए । इसके लिए वह धन और दौलत लुटाने ही को तैयार न हो बल्कि जीवन भी बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाए ।

इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मानवता के उत्थान और मुक्ति के लिए बलिदान किया है । मानव का सही मार्गदर्शन किया है । उन सब पर ईश्वर की अपार कृपा हो ! दुनिया के किसी कोने में, इतिहास के किसी काल में और मानव-समुदाय की किसी जाति में उनका जन्म हुआ हो, हम उन्हें सलाम करते हैं और अपनी हार्दिक श्रद्धा उनको अर्पित करते हैं । वे सभी हमारे आदर्श पुरुष हैं ।

लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कालान्तर में उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं सुरक्षित नहीं रह सकीं । कुछ ऐसे प्रमाण अवशेष हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि वे महान और आदर्श पुरुष थे । अफ़सोस कि उनके जीवन के आकार-प्रकार और उनकी शिक्षाओं की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे पास कोई प्रामाणिक साधन नहीं है । यह ईश्वर की बड़ी कृपा है कि महान विभूतियों में एक महान व्यक्तित्व का पूरा जीवन इतिहास के प्रकाश में है । उसके जीवन और शिक्षाओं के बारे में हम जो कुछ जानना चाहें, सब मालूम कर सकते हैं । कहीं अटकल और अनुमान से काम लेने की ज़रूरत नहीं । निजी जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन भी, सब प्रकाश में हैं । यह प्रकाश-पुंज समस्त मानव-जाति की अमूल्य धरोहर है । यह व्यक्तित्व है हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) सन 571 ई० में अरब देश के 'मक्का' नगर में पैदा हुए । जन्म से पूर्व ही पिता का देहांत हो गया । बचपन ही में थोड़े-थोड़े अंतराल से उनकी माता के दादा का भी देहांत हो गया । चाचा ने उनका पालन-पोषण किया । बचपन ही से उसके स्वभाव में ऐसी विनम्रता थी कि पूरे परिवार और नगर के लोग उनका आदर करते थे । उनकी सच्चाई और नेकी की चारों तरफ़ चर्चा होने लगी । बचपन में बकरी-भेड़ चराने का काम किया । जवान होकर व्यापार शुरू किया । ख़दीजा (रज़ि०) नामक एक धनवान विधवा के व्यापारिक सामानों को लादकर मंडियों में बेचा । उनकी ईमानदारी और सद्गुणों से प्रभावित होकर उस विधवा ने आपसे विवाह का प्रस्ताव किया जिसे आपने स्वीकार कर लिया ।

आप उस समय की सामाजिक कुरीतियों और लोगों की वेदना से बहुत विकल थे । आप एक गुफ़ा में जाकर ईश्वर का मनन और समाज को उबारने के लिए प्रार्थना करने लगे । उसी गुफ़ा में उन्हें ईश्वर की प्रकाशना हुई । आप पर मानव-जाति के मार्गदर्शन की गुरुतर भार ईश्वर की ओर से डाला गया । ईश्वर ने मानव-कल्याण के लिए उन पर 'कुरआन' अवतरित किया । ईश्वर के आदेश के अनुकूल वे मानव के मार्गदर्शन का काम करते रहें । समाज के स्वार्थी और सत्तावान लोगों ने उनका तीव्र विरोध किया । आपको और आपके साथियों को मक्का के दुष्टों ने घोर यातनाएं दीं । उन्हें देश छोड़ने पर विवश होना पड़ा । दूर 'मदीना'

नगर में शरण ली । मक्का वालों ने वहां भी आक्रमण किया । कई युद्ध हुए । फिर भी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार रहा । जब मक्का में अकाल पड़ा तो आपने मदीना से ऊंटों पर लादकर ग़ल्ले भिजवाये ।

इस्लामी शिक्षा का प्रचार-कार्य चलता रहा । जब अरब में हर तरफ़ इस्लाम फैल गया और मक्का के ही अधिकांश लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मक्का पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को विजय प्राप्त हो गयी और अपने वतन में वापसी हुई ।

यह अवसर था जब विरोधियों से ही भरकर बदला लिया जाता, किन्तु आपने दुष्टों और अत्याचारियों को माफ़ कर दिया । इतना ही नहीं, उन्हें सम्मान और श्रेष्ठता भी प्रदान की गयी । विजेता के इस व्यवहार से अत्यंत प्रभावित होकर सबने स्वीकार किया कि सत्य आपके साथ है और उन्होंने भी सत्य की सेवा के लिए अपने को अर्पित कर दिया ।

आपके जीवन में ही एक बड़े भू-भाग पर सत्य का राज्य स्थापित हो गया । इस राज्य में ग़रीबों, अनाथों और पीड़ितों एवं उपेक्षितों को पूरा सम्मान मिला । मानव-मानव के बीच हर प्रकार के भेदभाव मिट गये ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने शिक्षा-दीक्षा का उत्तम प्रबंध किया । स्वयं अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते रहे । दूसरों की सेवा का इतना ध्यान था कि स्वयं न खाते और दूसरों को खिलाते । उनके घर कई-कई दिन चूल्हे न जलते । कुछ खजूरें खाकर पानी पी लेते । चटाई पर सोते । रातों में उठकर देर तक नमाज़ पढ़ते । यह था राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का जीवन ।

अपने अनुयायियों में भी आपने ऐसे गुण पैदा किये कि वे नि:स्वार्थ भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सेवा-कार्य में रत रहते । स्वार्थ और सुख-भोग से दूर भागते । उन सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से देखते ही देखते इस्लाम एशिया, यूरोप और अफ़्रीक़ा के बड़े भू-भागों में फैल गया । गोरे-काले, ऊंच-नीच, निर्बल-बलवान के भेद मिट गये । अज्ञान और अंधकार मिटने लगा । बुद्धि और विज्ञान को प्रतिष्ठा मिली ।

इस्लाम का आदर्श सम्पूर्ण विश्व में फैल गया । मानवाधिकार, न्याय का राज्य, शांति-स्थापना, सहानुभूति, स्वतंत्रता और सम्पूर्ण मानव-जाति से भ्रातृभाव इत्यादि आदर्श उन लोगों को भी स्वीकार करने पड़े जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था । इन सिद्धांतों की मौजूदगी में आज संसार में अन्याय और अराजकता फैली हुई है । इसका मूल कारण यही है कि इन शिक्षाओं को दिल से स्वीकार नहीं किया गया है । सिर्फ़ लोगों को धोखा देने के लिए ये दिखावटी आदर्श अपनाये जाते हैं और इसकी आड़ में अपने स्वार्थ की पूर्ति की जाती है ।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की जीवन-व्यवस्था का सार यह है कि सत्य-मार्ग पर चलने की प्रेरक शक्ति प्रभु पर ईमान और उससे प्रेम और डर है । वह न्याय के साथ मनुष्य के कर्मों का फल देने वाला है । कोई भलाई या बुराई उससे छिपायी नहीं जा सकती । प्रभु-प्रेम में लीन होकर उसकी प्रसन्नता एवं पारितोषिक पाने की अभिलाषा मानव को सत्य-मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है । उसकी कठोर यातना से बचने की चिंता बुराई से रोकती है । सच्ची बात यह है कि ईश्वर में आस्था और पारलौकिक जीवन की धारणा को अपनाये बिना मानव में स्थायी रूप से उत्तम गुणों का आविर्भाव संभव नहीं ।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि फिर उन शिक्षाओं को अपनाया जाए जो जीवन को सत्य- मार्ग पर ले जा सकती हैं । इसके बिना मानवता पीड़ाओं और दुखों से मुक्त नहीं हो सकती ।

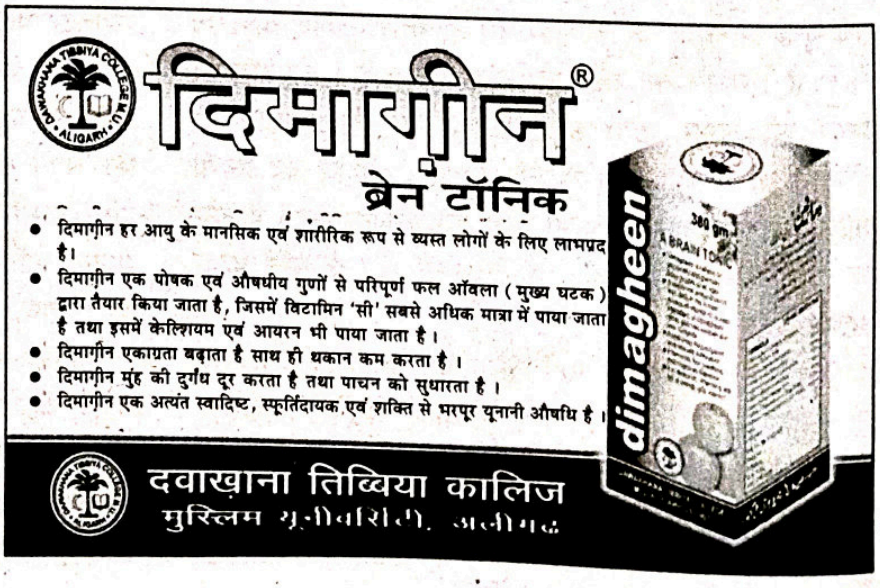

हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰)

■ तालिब हाशिमी

हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) का अस्ल नाम फ़ातिमा (या हिन्द) था, लेकिन वे उम्मे हानी के नाम से ही जानी जाती थीं। आप अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के चचा हज़रत अबू तालिब की बेटी और हज़रत जाफ़र (रज़ि॰), हज़रत तालिब (रज़ि॰), हज़रत अक़ील (रज़ि॰) और हज़रत अली (रज़ि॰) की सगी बहन थीं।

हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) की शादी हुबैरा बिन अबी वह्ब मख़ज़ूमी से हुई। मक्का विजय तक हुबैरा बिन वह्ब ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था और शिर्क की हालत में ही नजरान भाग गया था। कहते हैं कि भागते समय उसने कुछ अशआर पढ़े थे, जिनका भावार्थ यह था कि :

"तेरी क़सम, मैंने मुहम्मद (सल्ल॰) और उनके सहाबियों (रज़ि॰) से नामर्दी या हत्या किये जाने के भय से पीठ नहीं फेरी, बल्कि मैंने देखा कि मेरा काम उलट गया और मेरी तलवार और मेरे तीर अब कुछ काम नहीं बना सकते। जब तक मैं वहां ठहर सका, ठहरा रहा फिर पलट आया जिस तरह शेर अपने बच्चों की तरफ़ लौटता है।"

नजरान से वे कब वापस आये और वे इस्लाम के आग़ोश में आ सके या नहीं, इसके बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) के बारे में सभी सहमत हैं कि वे मक्का विजय के अवसर पर इस्लाम में दाख़िल हुईं। कुछ लोगों का विचार है कि हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) बहुत पहले ही इस्लाम क़ुबूल कर चुकी थीं, लेकिन मक्का विजय तक इसका ऐलान नहीं किया था।

हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को बहुत चाहती थीं। आप (सल्ल॰) भी उनका बहुत ख़्याल रखते थे। एक बार की घटना है कि हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) ने कुछ मुश्रिकों को अपने घर में पनाह दे दी, तो आप (सल्ल॰) ने भी उन्हें पनाह दे दी। इसके अलावा आप स्वयं हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) के घर तशरीफ़ ले गये और वहां नमाज़ पढ़ी।

मुसनद अहमद हंबल (रह॰) में है कि मक्का विजय के अवसर पर हारिस बिन हिशाम मख़ज़ूमी और ज़ुहैर बिन उमैया मख़ज़ूमी ने (नोट : हाकिम (रह॰) ने ज़ुहैर की जगह अब्दुल्लाह बिन अबी रबीअ् लिखा है।) हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) के घर में पनाह ले ली। हज़रत अली (रज़ि॰) को जब यह मालूम हुआ तो वे नंगी तलवार लेकर अपनी बहन के घर जा पहुंचे और यह कहकर मख़ज़ूमियों को क़त्ल करना चाहा कि उनके क़त्ल के आदेश आ चुके हैं।

हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) ने कहा : "मैं उनको कदापि क़त्ल नहीं करने दूंगी।" फिर अपना दरवाज़ा बन्द कर लिया। इसके बाद उम्मे हानी (रज़ि॰) दोनों मख़ज़ूमियों को साथ लेकर बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुईं। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) को देखकर फ़रमाया, "आओ ! आओ ! कैसे आना हुआ ?"

उन्होंने निवेदन किया, "ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मैंने इन दोनों को पनाह दी है और अली (रज़ि॰) इनकी हत्या करना चाहते हैं।"

आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, जिसको तूने पनाह दी, उसको मैंने भी पनाह दी। इस घटना के बाद हारिस बिन हिशाम और ज़ुहैर बिन उमैया दोनों सच्चे दिल से मुसलमान हो गये।

सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में स्वयं हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) से रिवायत है कि मक्का विजय के दिन हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) उनके घर तशरीफ़ लाए और ग़ुस्ल (स्नान) किया और आठ रक्अतें नमाज़ पढ़ीं। मैंने कोई नमाज़ उससे हल्की और संक्षिप्त नहीं देखी, लेकिन आप (सल्ल॰) रुकूअ और सजदा पूरी तरह करते थे। एक दूसरी रिवायत में है कि यह चाश्त का वक़्त था।

मुसनद अबू दाऊद और सुनन दारमी में हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) से यह रिवायत भी की गयी है कि मक्का विजय के दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) उनके घर तशरीफ़ लाए। एक सेविका एक बर्तन लेकर आयी। उस बर्तन में पीने की कोई चीज़ थी। (कुछ दूसरी रिवायतों में

उसे शर्बत बताया गया है) सेविका ने वह बर्तन आप (सल्ल॰) को दे दिया । आप (सल्ल॰) ने उसमें से थोड़ा-सा पी लिया और फिर उम्मे हानी (रज़ि॰) को दे दिया । स्वयं उन्हीं के शब्दों में : मैंने उसको पी लिया और फिर आप (सल्ल॰) से कहा । ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मैं रोज़े से थी और मैंने उसे पी लिया ।''

आप (सल्ल॰) ने पूछा, ''क्या तुमने कोई क़ज़ा रोज़ा रखा था ?'' मैंने कहा : ''नहीं''

आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''अगर यह रोज़ा नफ़्ल (अतिरिक्त) था तो कुछ हर्ज नहीं ।''

मुसनद अहमद और तिरमिज़ी में यही बातें कुछ इन शब्दों में है ।

उम्मे हानी ने कहा, ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)! मैं रोज़े से थी ।'' आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया : ''नफ़्ल रोज़ा रखने वाला अपने नफ़्स का मालिक है, चाहे रोज़ा रखे, चाहे न रखे ।''

मुसनद अहमद में यह भी है कि आप (सल्ल॰) ने उम्मे हानी से रोज़ा तोड़ने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मैं आपका पिया हुआ वापस नहीं कर सकती थी ।'

इस रिवायत से यह साफ़ पता चलता है कि हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) मक्का-विजय से पहले ही ईमान ला चुकी थीं और रोज़े भी रखा करती थीं ।

सहीह मुस्लिम में है कि एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) से निकाह करने की इच्छा व्यक्त की । लेकिन उम्मे हानी (रज़ि॰) ने यह कहते हुए मना कर दिया कि : ''एक तो मेरी आयु अधिक हो चुकी है और मेरे बच्चे हैं । (जिनका पालन-पोषण मेरे लिए ज़रूरी हो गया है ।)

इसी अवसर पर आप (सल्ल॰) ने कुरैश की महिलाओं के बारे में कहा था कि ऊंट सवार महिलाओं में सबसे बेहतर महिलाएं कुरैश की हैं । अपने यतीम बच्चों से मुहब्बत करती हैं और पति के माल की हिफ़ाज़त करती हैं ।

आप (सल्ल॰) भी हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) का बहुत ख़्याल किया करते थे । एक बार आप (सल्ल॰) ने उनसे कहा, ''उम्मे हानी ! बकरी ले लो, यह बरकत वाला जानवर है ।''

इमाम अहमद (रह॰) ने लिखा है कि एक बार हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) ने आप (सल्ल॰) से कहा : ''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ! अब मैं बूढ़ी हो गयी हूं । चलने-फिरने में कमज़ोरी महसूस होती है । कोई ऐसा वज़ीफ़ा बता दीजिए, जिसे मैं बैठे-बैठे पढ़ सकूं ।'' आप (सल्ल॰) ने फ़रमाया, ''एक सौ बार 'सुब्हानल्लाह', एक सौ बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक सौ बार 'अल्लाहु अकबर' और एक सौ बार 'ला इलाह इल्लल्लाह' कह लिया करो ।

हाफ़िज़ बिन हिज्र (रह॰) का बयान है कि हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) ने अमीर मुआविया के शासन काल में वफ़ात पायी । उनकी संतान में अम्र, हानी, यूसुफ़ और जादा मशहूर हैं । हज़रत उम्मे हानी (रज़ि॰) फ़ज़्लो- कमाल के लिहाज़ से बड़ा ऊंचा मुक़ाम रखती थीं । उनसे 46 हदीसें रिवायत है । उनके रावियों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि॰), अब्दुल्लाह बिन हारिस (रज़ि॰), इब्ने अबी लैला (रह॰), मुजाहिद (रह॰), उर्वा (रज़ि॰) और शाबी (रह॰) जैसे मशहूर और प्रतिष्ठित महानुभाव शामिल हैं ।

है दाल से ख़ाली

हर ग़रीब की थाली
है दाल से ख़ाली ।
अब तो ग़रीबों की
छीन गयी खुशहाली ।

साग सब्ज़ी के दाम भी
छू रहे हैं आसमान ।
सब्ज़ी की महंगाई से
परेशान है इन्सान ।

सामानों की महंगाई से
सबका बजट फेल है भाई ।
भूखों मरने की अब
नौबत है देखो आयी ।

हर ग़रीब खाएगा
अब बस सूखी रोटी ।
महंगाई के मार से
सबकी क़िस्मत फूटी ।

बद्री प्रसाद वर्मा अनजान
गल्लामंडी गोला बाज़ार-273408,
गोरखपुर (उ॰प्र॰)

इस्लाम में आज़ादी की धारणा

■ अल्लामा यूसुफ़ अल-करज़ावी

सवाल : आज़ादी के सिलसिले में इस्लाम की क्या विचाधारा है ? कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि इस्लाम आज़ादी के ख़िलाफ़ है । अगर इस्लाम आज़ादी के हक़ में है, तो इस्लाम किस हद तक आज़ादी का समर्थक है और किस तरह की आज़ादी का समर्थन करता है ?

जवाब : इस्लाम धर्म का आज़ादी के सिलसिले में यह विचारधारा है कि वह आज़ादी का समर्थक और उसका रक्षक है । इस सिलसिले में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि॰) का यह कथन नक़ल किया जा सकता है–"तुमने लोगों को कब गुलाम बना लिया, हालांकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद पैदा किया था ।" और हज़रत अली (रज़ि॰) ने यह कथन नक़ल किया है–"तुम किसी और के बन्दे न हो जाओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है ।"

इन्सान के सिलसिले में इस्लाम की यही विचारधारा है कि इन्सान जन्मजात आज़ाद है । यह आज़ादी अल्लाह तआला की प्रदान की हुई है, जिसे कोई इन्सान उससे छीनने का हक़दार नहीं है, अत: हर इन्सान को अपने अक़ीदे (आस्था) की आज़ादी है, धर्म की आज़ादी है, सोचने-समझने की आज़ादी है, राजनीतिक व सामूहिक आज़ादी है और इन सबसे बढ़कर अभिव्यक्ति की आज़ादी है । ये सारी आज़ादियां अल्लाह के द्वारा प्रदान की गयी हैं और इस्लाम इनका समर्थन और बचाव करता है ।

अक़ीदा और धर्म की आज़ादी यह है कि हर इन्सान इस बात के लिए पूर्णतया आज़ाद है कि वह जिस धर्म को चाहे अपनाए, जिस अक़ीदे को चाहे माने । यह आज़ादी खुद अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) भी किसी व्यक्ति से छीन नहीं सकते थे । अत: अल्लाह तआला पवित्र कुरआन में हुज़ूर अकरम (सल्ल॰) को संबोधित करते हुए फ़रमाता है–"फिर क्या तू लोगों को मजबूर करेगा कि वे ईमान वाले (मोमिन) हो जाएं ।" (कुरआन, 10:99)

एक दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है–"दीन (धर्म) के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है ।"

(कुरआन, 2:256)

कुरआन की इस आयत के अवतरण का कारण मन-मस्तिष्क में रखें, तो यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी । अज्ञानकाल में यह होता था कि क़बीला औस और ख़ज़रज की जो औरतें औलाद से मायूस हो जाया करती थीं, तो वह मन्नत मानती थीं कि अगर उनके यहां औलाद हुई, तो उसे यहूदी बनाएंगी और इसी पर उनका अमल रहा । जब इस्लाम आया तो औस और ख़ज़रज के लोग भी इस्लाम में दाख़िल हुए, तो उन औरतों के शौहरों ने अपने यहूदी बच्चों को दोबारा इस्लाम में आने के लिए विवश किया । इस्लाम और यहूदियत में लड़ाइयों के बावजूद अल्लाह तआला ने इन लोगों को इस बात से मना किया कि वे किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम क़बूल करने पर विवश करें । यह है अक़ीदा और धर्म की आज़ादी जिसका इस्लाम समर्थक है । दूसरी तरफ़ आप इतिहास की किताबों में ईसाइयों के वृत्तांत पढ़ लें । वे कहा करते थे कि या तो ईसाई बन जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ ।

यह है अक़ीदे की आज़ादी जो इस्लाम की नज़र में हर व्यक्ति का जन्मजात अधिकार है, लेकिन यह आज़ादी भी कुछ शर्तों के साथ निर्धारित है, ताकि यह आज़ादी लोगों के हाथों में खिलवाड़ न बन जाए कि जब चाहें इस्लाम क़बूल कर लें और थोड़े दिनों के बाद जब मुंह का मज़ा बदलना हो, तो ईसाई धर्म अपना लिया फिर यहूदी बन गये या फिर दोबारा इस्लाम क़बूल कर लिया । यह आज़ादी का ग़लत इस्तेमाल है । आज़ादी यह है कि जो धर्म अपनाया जाए, ख़ूब सोच-समझकर अपनाया जाए । अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से इस्लाम क़बूल करता है, तो उसे चाहिए कि ख़ूब सोच-विचार करने के बाद इस्लाम क़बूल करे । इसके बाद उस पर ज़रूरी है कि वह इस्लाम को न छोड़े, वरना उसे धर्म से विमुखता की सज़ा भुगतनी होगी ।

दूसरी आज़ादी जिसका इस्लाम समर्थक है, वह है वैचारिक आज़ादी । असंख्य स्थानों पर अल्लाह तआला ने

लोगों को ग़ौर-फ़िक्र की दावत दी है–"इनसे कहो, ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसे आंखें खोलकर देखो ।"
(कुरआन, 10:101)

कुरआन की एक दूसरी आयत में है–"ऐ नबी इनसे कहो कि मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूं । अल्लाह के लिए तुम अकेले-अकेले और दो-दो मिलकर अपना दिमाग़ लड़ाओ और सोचो ।" (कुरआन, 34:46)

इस्लाम ने लोगों को इस बात की शिक्षा दी है कि लोग भ्रांतियों और ख़ुराफ़ातों पर यक़ीन न करें और न बाप-दादा ही के कहे पर, बल्कि ख़ुद की ग़ौर-फ़िक्र करें । अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और इसके बाद सला करें कि कौन-सा धर्म सच्चाई पर है । यही कारण है कि कुरआन ने एकेश्वरवाद, ईशदूतत्व और पारलौकिक जीवन की यथार्थता को साबित करने के लिए बौद्धिक दलीलें दी हैं, ताकि बुद्धिजीवी लोग ग़ौर करें और ग़ौर करने के बाद उसे हक़ समझकर क़बूल करें ।

इसी वैचारिक आज़ादी के नतीजे में इल्मी आज़ादी प्राप्त हुई । इसी इल्मी आज़ादी के आधार पर उलमा हज़रात अनेक आदेशों में एक-दूसरे से अलग-अलग राय रखते हैं । हर आलिम इस बात के लिए आज़ाद है कि दलील की बुनियाद पर कोई भी राय क़ायम करे और यह मतभेद इस्लाम की नज़र में बिल्कुल दोषपूर्ण नहीं है । यह इल्मी आज़ादी है कि जिसकी वजह से उलमा में रायों का मतभेद प्रकट हुआ और इस मतभेद के बावजूद हर आलिम दूसरे आलिम से लाभ उठाने में कोई झिझक महसूस नहीं करता ।

इसी तरह इस्लाम कुछ कहने और आलोचना करने की आज़ादी देता है । बल्कि कुछ अवसरों पर जहां मामला आवामी मस्लिहतों से संबंधित हो कुछ कहना और आलोचना करना ज़रूरी होता है । इसीलिए इस्लाम ने भलाई को फैलाने और बुराई से रोकने का फ़र्ज़ उम्मत के कंधों पर डाला है । अत: जब कोई बुराई सामने ज़ाहिर हो या समाज में आम फ़साद का अंदेशा हो, तो आलोचना का अधिकार इस्तेमाल करते हुए उस फ़साद का निवारण करना चाहिए और इस सिलसिले में जो परेशानियां पेश आयें, उन्हें हंसी-ख़ुशी बर्दाश्त करना चाहिए । अल्लाह तआला फ़रमाता है–"नेकी का आदेश दो, बुराई से रोको और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर ।"
(कुरआन, 31:17)

ये हैं इस्लाम की शिक्षाएं । एक नज़र इन शिक्षाओं पर डालिए और इनकी तुलना ग़ैर-इस्लामी हुकूमतों से कीजिए, जहां कुछ कहने की आज़ादी नहीं है । वही कहने की इजाज़त है जो हुकूमत कहती है, वरना मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाइए । इस्लाम इस दृष्टिकोण के ख़िलाफ़ है । इस्लाम ने हर व्यक्ति को पूर्णतया आज़ादी दी है कि वह सोच-विचार करने के बाद अपनी मर्ज़ी से जो धर्म चाहे अपनाए ।

ये हैं वे आज़ादियां जिनका इस्लाम न केवल समर्थक है, बल्कि रक्षक भी है । ये अधिकारों की आज़ादियां हैं । ये वे आज़ादियां नहीं हैं, जिनका पश्चिम वाले दम भरा करते हैं और उन आज़ादियों को व्यक्तिगत आज़ादी या प्राइवेट लाइफ़ से साकार करते हैं और वह यह कि इन्सान व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया आज़ाद है, चाहे व्यभिचार करे, शराब पिये या कोई और गुनाह का काम करे । इस्लाम इस तरह के दुराचार का समर्थक नहीं है । इस्लाम उस आज़ादी का समर्थक नहीं है, जिसमें अपना और दूसरों का नुक़सान छिपा हो या जो आज़ादी, तबाही या हलाकत की ओर ले जाती हो । आपकी आज़ादी वहां ख़त्म हो जाती है, जहां से दूसरों का नुक़सान शुरू होता है ।'

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया–"जो मेरी सुन्नतों से मुहब्बत करता है वह मुझसे मुहब्बत करता है और जो मुझसे मुहब्बत करता है वह जन्नत में मेरे साथ रहेगा ।"
(तिरमिज़ी)

A WELL WISHER
MAPUSA (GOA)

परेशानियों के मूल कारण

■ मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

आज हर व्यक्ति परेशान दिखायी देता है । वह संतुष्ट नहीं है । उसका सारा समय एक प्रकार के तनाव में बीत जाता है । परितोष की कोई सूरत दिखायी नहीं देती । ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु खो गयी है और वह उसके लिए परेशान है, या जैसे वह किसी ऐसी चीज़ को पाना चाहता है जिसके उपलब्ध होने की कोई सूरत दिखायी नहीं देती । वह धन या पद पाने के लिए दौड़ लगाता है और चाहता है कि वह दूसरों से आगे निकल जाए । इसमें कभी वह बड़ी हद तक सफल भी हो जाता है । वह बहुत-सा धन बटोर लेता है । संपत्ति और जायदाद बना लेता है । उसके बहुत से नौकर और सेवक भी हो जाते हैं । उसके जीवन में प्रत्यक्षत: किसी चीज़ की कमी दिखायी नहीं देती, किंतु फिर भी उसकी परेशानी नहीं जाती । वह अधीर का अधीर ही रहता है ।

कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कोई ऐसा काम कर जाता है, (जैसे किसी ने कोई आविष्कार कर दिया) जिससे उसे एक बड़ी शोहरत मिल जाती है । दूर-दूर तक लोग उसे जानने लगते हैं और समझते हैं कि वह जीवन में सफल है । लोग उसकी मिसालें देने लगते हैं और कहते हैं कि उसका कृत्य ऐसा है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता । समाचार पत्रों में उसकी चर्चाएं होने लगती हैं । उसके साथ लोग अपना चित्र खिंचवाना चाहते हैं और उसके संपर्क में आने को अपने लिए गर्व का विषय मानते हैं । किंतु जब हम व्यक्ति विशेष को निकट से देखते हैं तो वह भी हमें परेशान दिखायी देता है । सब कुछ होते हुए भी वह अतृप्त होता है । उसकी खुशियों में कोई गहराई नहीं पायी जाती । उसके पास शिकायतों की एक लंबी सूची होती है ।

लगता है कि खुशियों को बटोरने के अनथक प्रयास एवं परिश्रम के पश्चात भी अभी तक उसे वह खुशी मिल नहीं सकी कि वह अहो भाव से भर जाए और वह कह सके कि हमें वह सब कुछ मिल गया जो हम चाहते थे, बल्कि अपनी इच्छा से बढ़कर हमें वह सब कुछ प्राप्त है जिसकी कोई कामना कर सकता है । वह ज़िन्दगी भर दौड़ता रहता है । उसकी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती । लेकिन उसकी मंज़िल उसे दिखायी नहीं देती । ऐसा प्रतीत होता है कि वह मंज़िल से उतना ही दूर अब भी है, जितना दूर उस समय था जब उसने ज़िन्दगी के मैदान में क़दम रखा था ।

मनुष्य की परेशानियों और उसकी विक्षिप्तताओं के मूल कारण को साधारणतया लोग नहीं जानते । इसलिए उनके प्रयासों से परेशानियां कुछ कम क्या होतीं, कुछ बढ़ ही जाती हैं । धन-दौलत और किसी पद को प्राप्त करने के लिएउ जीवन में मनुष्य की क्रियाशीलता से उसकी सांसारिक आवश्यकताएं तो निश्चय ही पूरी हो जाती हैं, किंतु मनुष्य की कुछ अपेक्षाएं ऐसी भी हैं जो भौतिक नहीं हैं । जब तक हम उन अलौकिक या आत्मिक आवश्यकताओं को नहीं जान लेते हम उनके लिए कभी प्रयास भी नहीं कर सकते ।

हमारी परेशानी और विपदाओं के मूल कारणों में से एक कारण यह भी है कि हम वर्तमान संसार और लौकिक जीवन ही को सब कुछ समझ लेने की ग़लती करते हैं । वर्तमान जीवन और इस जीवन के साज़ो-सामान हमें समृद्ध नहीं कर सकते । एक तो यहां हमारी सारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, यह ज़रूरी नहीं है । दूसरे, भौतिक संपदा की दृष्टि से सब समान नहीं हो सकते । कोई व्यक्ति अरबपति है, कोई आर्थिक दृष्टि से मध्य वर्ग का और कोई निर्धन तथा दूसरों की सहायता पर निर्भर है ।

इसलिए जब तक मनुष्य कम मिलने पर भी संतुष्ट होने की कल्पना नहीं जानता, उसकी परेशानी नहीं जा सकती । वास्तव में यहां बहुत कुछ पा लेने के बाद भी और अधिक पा लेने की भूख मिटती दिखायी नहीं देती । जब तक कि आदमी की दृष्टि में वह सब कुछ न हो जिसके देने का वादा परमात्मा ने उससे किया है, अर्थात शाश्वत जीवन और उस अमर जीवन का वैभव, ऐसी स्थिति में यदि आदमी की

मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हों तो इसे अपने लिए पर्याप्त समझना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य धन इकट्ठा करना नहीं हो सकता । जीवन यहां के धन-वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान है ।

अत: जीवन की वास्तविक उपलब्धि कुछ और ही होगी, और वह है अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान । मनुष्य का जब अपने वास्तविक रूप से परिचय हो जाता है तो यह परिचय स्वयं उसे इतना समृद्ध बना देता है कि उससे बढ़कर किसी समृद्धता ही हम कल्पना नहीं कर सकते । मनुष्य अपने आप में समृद्ध है, लेकिन उसे इसका पता नहीं । जिसके कारण वह अपने आपको निर्धन समझता है और अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए हाथ-पैर मारता रहता है, लेकिन इसके लिए उसका प्रयास भौतिक संपदा को एकत्र करने के सिवा और कुछ नहीं होता किंतु इससे उसकी परेशानी दूर नहीं होती ।

हां, यह तो हो सकता है कि दूसरों के मुक़ाबले में वह धनवान हो जाए और वह धोखे में पड़ जाए और अपने को सफल व्यक्ति समझने लग जाए, किंतु यह केवल धोखा होता है और देर तक कोई अपने आपको धोखा नहीं दे सकता । मात्र धन और पद से जीवन की दरिद्रता दूर नहीं होती । धन-दौलत और पद के साथ आपदाएं लगी होती हैं । व्यापार में घाटा भी हो सकता है । आदमी को पद से हटना भी पड़ता है । यहां आशा के साथ निराशा, सफलता के साथ असफलता की आशंका बनी रहती है ।

हमारी परेशानियों का एक मूल कारण यह भी है कि सामान्यत: हम शरीर ही के आसपास जीते हैं । शरीर से अधिक अपने को कुछ और अधिक नहीं समझते । हम केवल सांसारिक सुख-सुविधा से परिचित होते हैं, उसी से अपना तादात्म्य (Identity) स्थापित कर लेते हैं और शारीरिक कष्ट को ही कष्ट और शारीरिक सुख को ही सुख जानने लगते हैं । हम नहीं जानते कि वास्तव में हम शरीर नहीं हैं बल्कि हमारा अस्तित्व वास्तव में अशारीरिक है जिसकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, और उन उपलब्धियों का मुक़ाबला दुनिया की कोई उपलब्धि नहीं कर सकती, जो उपलब्धियां हमें आत्मा के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं । आत्मिक अनुभवों और आत्मिक शांति और सुबास से लोग वंचित रह जाते हैं, जिससे उनका जीवन केवल शरीर के आसपास ही रह जाता है । वे जीवनभर जीवन की संभावनाओं से अपरिचित रहते हैं ।

हमारी परेशानियों और दुखों का एक विशेष कारण यह भी है कि हमारा दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित होता है । हम मनुष्यों में से किसी को अपना और किसी को ग़ैर समझने की ग़लती करते हैं । हम यह नहीं सोचते कि जब सारे मनुष्यों को ईश्वर ने पैदा किया है और सबको इसका अधिकार प्राप्त है कि वे ईश्वर के प्रिय बन सकें तो फिर इसका औचित्य कहां रह जाता है कि हम सारे मनुष्यों को एक दृष्टि से न देखें और अपने परिजनों के अतिरिक्त सबको अपना प्रतिद्वंद्वी या बैरी समझने लगें ।

शत्रु तो शत्रु, किसी को ग़ैर समझना भी हिंसात्मक दृष्टिकोण है । अपने सिवा सबको ग़ैर समझने की भूल ही के कारण ईर्ष्या, क्रोध, लोभ आदि रोग हमें घेर लेते हैं और हम अपने ही नहीं, बल्कि दूसरों के सुख-चैन के दुश्मन बन जाते हैं । हमारी दृष्टि के स्वस्थ होने की एक बड़ी पहचान यही हो सकती है कि हमारा हृदय इतना विशाल हो कि जिसमें सबके लिए सम्मान और प्यार हो, दूसरों की खुशियां हमें खुश कर जाएं और दूसरों की पीड़ाओं से हम दुखी हों ।

ग़ज़ल

वो जो नज़रें फेरकर जाने लगा है
और ज़्यादा ज़ेह्न पर छाने लगा है

धूप हमको की अता जिसने, वही अब
साये की मानिन्द लहराने लगा है

आज तक जो बाप से सुनता रहा था
बाप को बेटा वो समझाने लगा है

जिसकी फ़ित्रत में था हरदम कांटे बोना
लो, वही राहों को महकाने लगा है

ख़ूब वाक़िफ़ हैं हम उसकी हरकतों से
साफ़गोई से जो पेश आने लगा है

क्या अजब है, पहले देकर ज़ख़्म अब वो
हौले-हौले ज़ख़्म सहलाने लगा है

था अभी ख़ामोश जो दहशत से 'दरवेश'
पा के हमदर्दी वो मुस्काने लगा है ।

● दरवेश भारती

मिलावट से व्याधि-विनाश तक

● संपादन प्रभाग

आज खान-पान की चीज़ों में जितनी मिलावट है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी । आज कहीं यूरिया तो कहीं चाक का इस्तेमाल कर दूध बनाया जाता है, जो केवल स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद ही नहीं होता अपितु संक्रमित होने से कई विकृतियों को जन्म देता है । लेकिन हम विज्ञापन पढ़ने के बाद उपयोग कर रहे दूध को कामधेनु उत्पाद मानकर मुंह मांगा दाम चुकाते और बीमारी ख़रीद रहे होते हैं ।

आर्गेनिक फूड एक सुरक्षित विकल्प होता है, लेकिन इस महंगाई के दौर में आर्गेनिक फूड तक पहुंच पाना आम आदमी के लिए दिवा स्वप्न बन गया है । फिर हमारे हाट में शुद्धता, प्रामाणिकता मानव उपकार क्री वस्तु नहीं दाम बढ़ाने की प्रक्रिया में गिनी जाने लगी है । उपभोक्ता फोरम में कई मामले आते रहते हैं, लेकिन न तो इस प्रक्रिया में कहीं वास्तविक रोक लगी है और न ही इसके विरुद्ध कार्यवाही कोई निश्चित अंजाम तक पहुंची है । बाज़ारों में विज्ञापनों में महानायक की तक़रीर को ही शुद्धता और स्वास्थ्य की कसौटी मानकर हम ठंगे जाने को बेताब हैं ।

खाद्य पेय पदार्थों में ख़तरे जुटाना हमारी तक़दीर बन चुकी है । इसी कारण अब भारत में कुपोषण सिर्फ़ ग़रीबों तक सीमित नहीं रहा है । भारत की गिनती दुनिया के सबसे कुपोषण ग्रस्त देशों में करने में हमने सारी शक्ति झोंक दी है । खेत-खलिहान से लेकर बाज़ार तक पहुंचाने में खाद्य पेय पदार्थों को प्रदूषित, मिलावटी बनाने में सहयोग करने का पूरा चक्र बन चुका है ।

मानव जीवन के साथ खिलवाड़ इस व्यापार में लगे लोगों का पुनीत कर्मकांड बन जाना वास्तव में राष्ट्रीय चेतना का मृत प्राय हो जाना है । इसमें क़ानून का लाचार होना, प्रवर्तन तंत्र का लालची होना और उपभोक्ता जागरूकता के अभाव में इस मिलीभगत के प्रति तदर्थवाद की प्रवृत्ति भी कम दोषी नहीं है । कभी-कभी और कहीं-कहीं जब ग्वाले की केन में से अतिरिक्त दूध ख़रीद लिया जाता है तो ग्वाला शरमाये बग़ैर ही उतना पानी उपभोक्ता के नल से भरकर अपनी केन में उड़ेल लेता है ।

उसे तो बस कमाई से मतलब है । दूसरे के स्वास्थ्य का क्या होगा यह चेतना आज़ादी के बाद तो कमोबेश हमारी तासीर से जा चुकी है । कहने की बात तो यह है कि मिलावट की रोकथाम में सरकार की ज़िम्मेदारी है । उपभोक्ता मंच की भूमिका कम नहीं है, लेकिन जो कंपनियां प्रतिष्ठान हैं उनकी भी गंभीर ज़िम्मेदारी है । उपभोक्ता की सेहत का सौदा कर ये प्रतिष्ठान समाज में प्रतिष्ठा भी पाते हैं और दानवीर की सूची में अपना नाम दर्ज कराते हैं । अन्यथा क्या कारण है कि चंद दिनों में इनका एम्पायर खड़ा हो जाता है और राजनेता इनके इर्द-गिर्द मंडराने लगते हैं ।

मानव-जीवन के प्रति संवेदना का घोर अभाव परिलक्षित हो रहा है । इससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि मानक ब्यूरों की खाद्य पदार्थों, उनके कंटेनरों और बोतलों में विषैले रसायनों के प्रति सचेत नहीं है ।

हमारा जीवन प्लास्टिक युग में प्रवेश तो कर गया है लेकिन प्लास्टिक की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के बारे में मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मंच और जनता बेपरवाही का सबूत दे रही है ।

भारतीय सादे मिज़ाज के होने के कारण खाद्य पेय, सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियों को उनके दायित्वों के प्रति विवश करने में अपने को समर्थ नहीं पाते । सिर्फ़ यह शिकायत करते हैं कि वे बीमारी से विकृति से ग्रस्त हो रहे हैं, जबकि उनका खान-पान स्तर का है । लेकिन वे इस बात को जानने की ज़हमत नहीं उठाते कि पता लगाए कि उनके उपयोग में आ रहे उत्पाद शैम्पू, क्रीम, पाउडर, डियोडरेंट गुणवत्ता विहीन और नक़ली तो नहीं है ।

विज्ञापन देकर चकाचौंध में हम झूठी प्रतिष्ठा, झूठी शान में स्तरहीन, नक़ली उत्पादों का सेवन कर खुद रोग व्याधियों को नियंत्रण दे रहे हैं । उपभोक्ता मंचों की उपयोगिता पर यह एक प्रश्न चिह्न है । समय रहते नहीं जागे तो विनाश ही विनाश है ।

بسم الله الرحمن الرحيم

"नेकी यह है कि
अल्लाह की मुहब्बत में
अपना दिलपसन्द माल
रिश्तेदारों और यतीमों पर,
मिस्कीनों और मुसाफ़िरों पर,
मदद के लिए हाथ फैलाने
वालों पर और ग़ुलामों की
रिहाई पर ख़र्च करे ।"

(क़ुरआन)

A Well Wishers

NAGPUR (MHR)

मानवता के घटते मूल्य

■ हार्दिक अभिनंदन सागर

हमारा भारत देश हमें सबसे प्यारा है । इसकी सबसे ख़ास बात जो इसे दूसरे देशों से अलग है वो है इसकी सभी को खुले दिल से स्वीकारने और प्रेम करने की भावना । हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति और सभ्यता मानी जाती है । जिन्होंने संपूर्ण विश्व को जीने के गुर सिखाये । जैसे कि प्रकृति का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता और उसमें परिवर्तन आते रहते हैं । वह भारतीय संस्कृति जिसने संपूर्ण विश्व को 'सभ्यता' का पाठ पढ़ाया वह आज खुद ही इस शब्द की परिभाषा भूल चुकी है । आज के इस आधुनिक युग में लोग बहुत व्यस्त हो गये हैं । उनकी दिनचर्या ऑफ़िस से घर और घर से ऑफ़िस के बीच ही शुरू और ख़त्म होती है ।

यदि थोड़ा समय मिल भी जाता है तो फ़ेसबुक या व्हासट्एप का उपयोग कर लेते हैं या कहीं घूम आते हैं या फिर थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ या सुन लेते हैं । एक आदर्श समाज का निर्माण मात्र किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के सहयोग से होता है ।

आज के आधुनिक समाज में लोगों की सोच केवल वहीं तक सीमित है जहां तक उनका अपना विकास हो । विश्व के सभी विकसित देश इसीलिए विकसित हैं क्योंकि वहां के नागरिकों की सोच विकासशील देशों के मुक़ाबले बहुत अच्छी हैं । वे स्वयं से पहले अन्यों के बारे में सोचते हैं और अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं । उनमें ''राष्ट्रीय एकता'' के साथ-साथ ''मानवीय एकता'' का पुट भी है । लेकिन इसके विपरीत, भारत जैसे विकासशील देश में ''मानवीय चेतना'' का उतना अधिक महत्व नहीं है । जितना कि विकसित देशों के नागरिकों में पाया जाता है ।

मनुष्य का मस्तिष्क इतना जिज्ञासावान होता है कि वह हर समय कुछ न कुछ नया सोचता रहता है । जैसे-जैसे मानवजाति सभ्य होती गयी वैसे-वैसे उसने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नये-नये आविष्कार किये और अपने जीवन को सरल सुगम बनाने के प्रयास किये । जैसे-जैसे वह नयी-नयी चीज़ों का आविष्कार करती चली गयी और स्वयं को समृद्ध करती गयी वैसे-वैसे उसमें मूल्यों का ह्रास भी होता चला गया । उसने अपनी आदि (आरंभिक) स्थिति को बदलने का पूरा प्रयास किया और जिस कारण उसमें एक प्रवृत्ति का जन्म हुआ कि उसने हालात से समझौता करना छोड़ दिया और उसमें नयी-नयी चीज़ों का उपभोग करने की लालसा बढ़ती गयी और अंततः इसने उसे ''स्वयं'' तक सीमित कर दिया ।

आज, जब मैं किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई 'घटना' होते हुए देखता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि उस घटना को देखने के लिए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करे । लोगों की उस भीड़ में वरिष्ठ नागरिक सामान्य लोग, हमारा युवा वर्ग एवं महिलाएं सभी होते हैं लेकिन फिर भी सब तमाशा देखते हैं मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता ।

इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि वे किसी और के मामले में दख़ल नहीं देना चाहते या फिर उन्हें यह डर रहता है कि कहीं वे खुद उस झमेले में न फंस जाएं । उनके मन में यह भावना भी रहती है कि कौन कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटेगा । आजकल, हम लगभग सभी समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनलों पर सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी ख़बरें पढ़ते या सुनते रहते हैं । आख़िर, सड़क दुर्घटनाएं इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही हैं ? क्या इसके पीछे ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए गये नियमों की अनदेखी करना है ? या फिर कुछ और ?

ये प्रश्न मेरे दिमाग़ में तब आते हैं जब कोई आम आदमी अपने घर से सुबह ख़ुशी-ख़ुशी निकलते हुए अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों से ये कहता है कि शाम को ऑफ़िस से लौटते वक़्त वह उनके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएगा या कहीं घुमाने ले जाएगा । लेकिन वह अभागा

दोबारा लौटकर नहीं आता और जिसका कारण होता है किसी अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद की कार से टकराने के कारण उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है । लेकिन उस समय जब वह कार से टकराने के बाद सड़क पर तड़प रहा था यदि कोई एक व्यक्ति भी साहस करके उसे अस्पताल पहुंचा देता तो शायद उसकी जान बच जाती । लोगों की असंवेदनशीलता के कारण ही सड़क दुर्घटनाओं में ''मौतों का सिलसिला'' बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि पीड़ित को समय पर ''प्राथमिक सहायता'' नहीं मिल पाती और वह मौक़े पर ही दम तोड़ देता है ।

सरकार ने 'शराब पीकर गाड़ी चलाने' जैसे विषय को गंभीरता से लिया है और ट्रैफिक के नियम भी सख़्त किये हैं । लेकिन लगभग हर रोज़ ही न जाने कितने ही लोगों के चालान काटे जाते हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और कोई भी व्यक्ति उनके वाहन का शिकार बन सकता है । सड़क पर वाहन चला रहे हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसके साथ-साथ किसी और के परिवार वाले भी उसके घर आने की आस लगाये बैठे हैं ।

आज से एक या दो वर्ष पूर्व जब नयी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाक़े में एक स्कूटर वाहन चालक द्वारा एक कार में मामूली-सी टक्कर लग गयी लेकिन इस बात पर उसमें सवार कुछ युवा लड़कों ने उसे अमानवीय ढंग से पीट-पीटकर मार डाला और इस घटना के दौरान उसकी छोटी-सी मासूम बच्ची वहां मौजूद लोगों से मदद की गुहार लगाती रही लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया ।

एक और वाक़िया दिल्ली के ही नांगलोई से जुड़ा है जिसमें एक बाईक सवार युवक की बाईक में हल्की-सी टक्कर लग जाने के कारण (जो गंभीर नहीं थी) उसने बस ड्राइवर को हेल्मेट से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया और अंततः उसकी मौत हो गयी और इन्सानियत एक बार फिर शर्मसार हुई । और लोग बस तमाशा देखते रहे । महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में भी लोग मूकदर्शक बनकर तमाशा देखते हैं और परिणामतः अपराधियों को हौसले बुलंद होते हैं ।

भारत में हर चार मिनट में सड़क दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की मौत होती है । प्रत्येक एक घंटे में भारत में 16 व्यक्तियों की जानें सड़क दुर्घटना में जाती हैं । दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है वह देश के प्रमुख 10 शहरों में शीर्ष पर है जहां सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें होती हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, ''अगर किसी सड़क दुर्घटना में घायल इन्सान को वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति (महिला/पुरुष) अस्पताल पहुंचाता है तो उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी । और डॉक्टरों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वह पीड़ित का उपचार कर तुरंत पुलिस को सुचित करें ।''

न्यायालय के इस आदेश का भी अभी तक कोई ख़ास असर नहीं दिखा है और लोगों का सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने का क्रम जारी है । पुलिस और प्रशासन की उदासीनता भी इन घटनाओं के बढ़ने में एक मुख्य कारण है । भ्रष्ट पुलिस वालों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को चाहिए की ईमानदार पुलिस अफ़सरों को उनका काम बिना हस्तक्षेप करने दिया जाए ।

ट्रैफ़िक नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए और साथ ही अच्छी सड़कों/राजमार्गों का निर्माण कराया जाना चाहिए जिन पर दुर्घटना होने का जोखिम न्यूनतम हो । लेकिन, इसके साथ ही देश का नागरिक होने और उससे भी पहले ''मनुष्य'' होने के नाते हमारे कुछ उत्तरदायित्व हैं जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए । सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी । लोग सोचते हैं कि सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ित का उनसे कोई संबंध नहीं तो वे उसकी मदद क्यों करें ? दुर्घटनाएं कभी-भी बताकर नहीं आती ।

किसी सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर मौजूद लोग पीड़ित की ज़िन्दगी और मौत में फ़र्क़ तय कर सकते हैं । हममें 'राष्ट्रीय एकता' के साथ-साथ 'मानवीय एकता' भी होनी चाहिए । सड़क दुर्घटना या महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाओं के बढ़ने का मुख्य कारण है कि 'अपराधी' यह अच्छी तरह से जानता है कि घटना को देखने के लिए तो लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा लेकिन बात जब मदद करने की आएगी तो कोई आगे नहीं आएगा । हमारी असंवेदनशीलता ही ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद करती है कि वह और अपराध करें । सरकार के साथ-साथ देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि एक अच्छे देश के निर्माण में हम अपना पूरा सहयोग दें । (सा॰ : रजनीगंधा')

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY

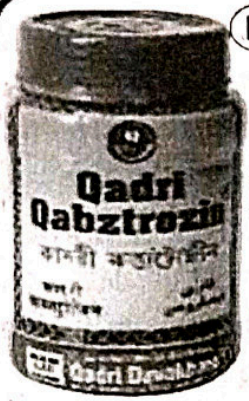

گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

دافع

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن
اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گھٹیا کے
درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔
گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی
مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام،
سرعت انزال، ضعف باہ
اور جملہ امراض مردانہ
میں بہت مفید ہے

ذیابطیش سی

شوگر کی کامیاب دوا



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔
پیشاب کی زیادتی اور
ذیابطیش سے ہونے والی
کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company
B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24
(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018
Ph. No. 2469-3173-2489-3539
www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

दहेज विरोधी अभियान

■ फ्लेविया एग्नेस

दहेज विरोधी अभियान क्यों नहीं चल पाया । घरेलू हिंसा को यह अभियान क्यों नहीं रोक पाया । इसका विस्तृत विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है । 1980 के दशक में देश के ज़्यादा शहरों में दहेज मृत्यु को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुए और मीडिया में काफ़ी घटनाएं हुई । ऐसा लग रहा था जैसे दहेज प्लेग की तरह फैल रहा है और शहरी पढ़ी-लिखी लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं और नयी दुल्हनों की मौत हो रही है । इन सब मौतों का कारण दहेज को माना गया था । सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के कारण ऐसा माहौल बना कि भारत में महिलाओं पर सांस्कृतिक हिंसा होती है जिसे दहेज हिंसा भी कह सकते हैं । भौतिकवाद व पति व उसके घर वालों का लोभ इस समस्या का मुख्य कारण है । दहेज मृत्यु के बाद पति द्वारा दूसरी शादी भी आम बात बन गयी थी । इससे बार-बार दहेज आएगा ।

हिंदू विवाह का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता था । इस कारण हिंदू पुरुष के लिए दूसरा विवाह करना आसान था । हालांकि क़ानूनी रूप से यह निषेध है । दूसरी पत्नी को लाने के लिए पहली पत्नी को मारना ज़रूरी नहीं था । या तो वह तलाक़ दे दे या उसे छोड़ दे । यही चलता रहता था । इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला कि ऐसे व्यक्ति को कोई दूसरी बार अपनी बेटी क्यों दे देता था । एक राय यह बनती गयी कि दहेज का क़ानून ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए । इस कारण 1984 व 1986 में दहेज क़ानून को मज़बूत करने का प्रयास किया गया । 1961 के क़ानून में दहेज की परिभाषा काफ़ी संकीर्ण थी । इसमें विवाह के संदर्भ में दिया सामान ही दहेज था । विवाह के बाद कुछ भी दिया जाए उसे दहेज नहीं माना गया । अपराध असंज्ञेय था और ज़मानत योग्य था । 1984 व 1986 के संशोधन में परिभाषा को व्यापक किया ।

विवाह के समय, पहले या बाद में जो कुछ भी दिया जाएगा वह सब दहेज है । परंतु इसमें भी परंपरागत रूप से दी गयी भेंट दहेज नहीं मानी जाएगी । इस दहेज को संज्ञेय व अजमानतीय बना दिया । न्यूनतम सज़ा 5 साल की तथा कम से कम 15000 रुपये जुर्माना । इसके अलावा आई॰पी॰सी॰ में दो प्रावधान जोड़े । ये प्रावधान भी दहेज से जुड़े थे । एक था दहेज मृत्यु धारा 304बी और दूसरा क्रूरता व दहेज उत्पीड़न की धारा 498ए । इसके अलावा शादीशुदा औरत की मृत्यु में सिद्ध करने का भार पति व उसके परिवार पर डाला गया । यह आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306 व दहेज मृत्यु के संदर्भ में संशोधन किया गया । इस क़ानूनी सुधारों के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है ।

1990 के दशक तक जब कोर्ट में मामलों को देखा तो लगने लगा कि क़ानून तो सिर्फ़ ऊपरी चीज़ है और इसे आंदोलन की सफलता नहीं मानना चाहिए । उसके बाद क़ानून में क्या-क्या दिक़्क़तें आ रही हैं और क्या कमियां हैं उन मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू हुआ । इस पूरी प्रक्रिया में लड़की के माता-पिता की यह सोच कि हर हालत में लड़की का विवाह होना ही चाहिए । उन्हें न तो लड़की का अविवाहित रहना और न ही उसका तलाक़शुदा होने का तमग़ा पसंद है । इन मुद्दों पर गंभीर चिंतन के बिना दहेज विरोधी क़ानून कारगर नहीं हो सकते । शादी के समय दहेज की मांग व दहेज के कारण तंग करना कोई मुद्दा नहीं बना । यह मुद्दा तब बनता है जब लड़की की मृत्यु हो जाती है या वह पुलिस में दहेज विरोधी धाराओं में केस दर्ज कराती है । जीवित स्थिति में जब लड़की बार-बार परेशानी की बात बताती है तब माता-पिता उसके मरने के ख़तरे को भी नज़रअंदाज़ कर बार-बार उसी घर में भेजने का दबाव बनाते हैं और दहेज की जो भी मांग हो उसकी पूर्ति करते हैं ।

महिला संगठनों द्वारा काफ़ी विरोध करने के बावजूद भी माता-पिता के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आता है और वह अपनी दूसरी बेटी की शादी भी उतना ही दहेज देकर करते हैं । कोई ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ हो जिसमें माता-पिता इस बात से जुड़ सकें कि वे अपनी बेटी की शिक्षा व समान अवसर देंगे । उन पर शादी का दबाव

स्थिति एवं सीमाएं

नहीं होगा ।

दहेज को केन्द्र में रखकर बनाया क़ानून व आई॰पी॰सी॰ की धाराओं से न तो दहेज रुका न घरेलू हिंसा रुकी । दहेज के अलावा अन्य तरह की हिंसा को पुलिस ने कभी महत्व ही नहीं दिया । यहां तक कि दहेज के अलावा अन्य तरह की गंभीर हिंसा में भी पुलिस ने 498ए में मामला दर्ज करने से मना कर दिया कि इसमें दहेज कहीं पर भी हिंसा का कारण नहीं है । सिर्फ़ दहेज को आधार बनाकर पूरी हिंसा को देखने के नज़रिए से घरेलू हिंसा के विविध रूप पृष्ठभूमि में चले गये और औरतों को राहत नहीं मिली । पुलिस ने घरेलू हिंसा को सिर्फ़ दहेज के कोण से देखना प्रारंभ कर दिया और अन्य तरह की शारीरिक मानसिक, मौखिक, यौनिक हिंसा को नकारना शुरू कर दिया । इसका दूसरा नुक़सान यह हुआ कि कोर्ट में न दहेज का मुद्दा सिद्ध नहीं हो पाया और आरोपी मुक्त होते गये । इससे गंभीर से गंभीर घरेलू हिंसा के मामले भी कोर्ट व पुलिस द्वारा नज़रअंदाज़ होने लग गये । इसी से औरतों पर यह आरोप लगा कि वे झूठ बोल रही हैं । झूठे केस कर रही हैं । यह बात इतनी ज़्यादा फैलाई गयी कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने 498ए को बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया । अब गंभीर घरेलू हिंसा के लिए कोई धारा नहीं बची है ।

इस प्रकार 'पति पीड़ा' इस क़दर मुद्दा बना कि औरतें घर में मरती रहीं और हिंसा करने वाले कोर्ट से छूटते रहे । पूरी आपराधिक न्याय व्यवस्था ने इस क़दर माहौल बनाया कि हिंसा तो रफूचक्कर हो गयी और औरतों को झूठा बताकर न्याय का गला घोट दिया । औरतें मरती गयीं । सिद्ध कर पाना मुश्किल हो गया और सज़ा की संख्या घटती गयी । इस कारण धारा 304बी के होने का भी कोई अर्थ नहीं रह गया । इस तरह आई॰पी॰सी॰ की ये दो धाराएं बेकार हो गयीं । पहले पत्नी की हत्या धारा 302 में दर्ज होती थी । तब सिर्फ़ यह देखना होता था कि इसने आत्महत्या की है या इसको मारा गया है परंतु 498ए व 304बी के बाद महिला की मृत्यु मज़ाक़ बनकर रह गयी । एक केस में तो सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया कि यह मृत्यु तो अवसाद के कारण हुई यानी घर के वातावरण से हिंसा से अवसाद को देखने का काम कोर्ट ने छोड़ दिया ।

आपराधिक क़ानून द्वारा महिला हिंसा को रोक पाना संभव नहीं हो पाया । इसी कारण 2005 में एक सिविल लॉ को लाने की आवश्यकता महसूस हुई और घरेलू हिंसा से संरक्षण क़ानून की प्रक्रिया को प्रारंभ किया । वस्तुत: इस क़ानून व अभी तक जो भी क़ानूनी प्रावधान हैं उसमें न तो वैवाहिक संपत्ति व स्त्री धन की कोई स्पष्ट परिभाषा है और न ही वैवाहिक घर में रहने के कोई स्पष्ट प्रावधान है । जैसे ही महिला इस क़ानून के अनुसार राहत मांगती है तो पति तलाक़ की याचिका लगाकर पत्नी को घर से अलग कर देता है । शादी के साथ 'घर' व वैवाहिक संपत्ति में पत्नी का हक़ मूलभूत अधिकार है परंतु हमारे पूरे क़ानूनों में पितृसत्ता ने इसको नकारा है । औरत के पास गुज़ारे भत्ते की मामूली राशि के अलावा वो भी मिल जाए, कोई हक़ नहीं है । विवाह के असफल होने पर वह पूर्णतया सड़क पर निराश्रित है ।

महिला के आर्थिक अधिकारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । आपराधिक व सिविल दोनों क़ानून महिला को लावारिस स्थिति में छोड़ते हैं । महिलाओं का कोई ठौर ठिकाना नहीं है इस कारण वे मरती हैं । पति का घर पति का है । ससुर का घर सास-ससुर का है । पिता का घर पिता व भाई का है । महिला का कोई घर नहीं है । इस कारण वह ख़तरनाक हिंसक विवाह को सहती है और उसी घर में रहती है । क़ानूनी व सामाजिक दृष्टि से उसकी कोई सुरक्षा नहीं है । इस कारण वह आत्महत्या कर लेती है । इस समस्या का यदि समाधान करना है तो पिता के घर व वैवाहिक घर दोनों में जो पितृसत्ता का चेहरा है उसे बदलना होगा और महिला को विवाह के अंदर महत्वपूर्ण आर्थिक अधिकार व दोनों घरों में घर में रहने का अधिकर देना होगा । उसे पराया धन कहकर सड़क पर छोड़ने को तुरंत बदलना होगा । (विविधा फ़ीचर्स)

मानवाधिकारों की रक्षा करना सभी का कर्तव्य

■ डॉ॰ विभा खरे
(झांसी, उ॰प्र॰)

मानवाधिकार मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं । ये विश्वबंधुत्व को बढ़ावा देते हैं । मानवीय अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, इसलिए सभी स्तर के राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों को अपना विकास करने के समान अवसर उपलब्ध कराये जाना चाहिए । मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 (घ) में मानवाधिकारों की परिभाषा दी गयी है ।

इसके अनुसार मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, स्वंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से हैं, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं या अन्तर्राष्ट्रीय क़रारों में सम्मिलित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है । विश्व में मानवाधिकारों का विकास धीरे-धीरे हुआ है । सर्वप्रथम ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रमाण 15 जून 1215 की उस घटना से मिलता है, जब ब्रिटेन के सम्राट जॉन को उसके सामंतों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया ।

इतिहास में इसे मैग्नाकार्टा के नाम से जाना जाता है । इसमें कहा गया है कि किसी नागरिक को उस समय तक बन्दी न बनाया जाए और न ही निर्वासित किया जाए, जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए ।

ब्रिटेन में ही 1679 में बन्दी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित किया गया जिसमें कहा गया कि बिना अभियोग चलाये किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद नहीं रखा जा सकता । ब्रिटेन में ही 1689 में अधिकार पत्र पारित हुआ जिसमें व्यवस्था थी कि संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता होगी ।

ब्रिटेन के बाद फ्रांस में मानवाधिकारों के लिए प्रयास हुए । 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में बोरबन वंश के शासक लुई 16वें और उसकी साम्राज्ञी को क़त्ल करके गणतंत्र की स्थापना की गयी । उस क्रांति में व्यक्तियों की मुक्ति के लिए स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व की घोषणा की गयी । स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की घोषणा के बावजूद विश्व में मानवाधिकारों का हनन होता रहा ।

द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक रक्तपात, धन-जन की हानि तथा सर्वनाश ने विश्व को यह सोचने पर विवश कर दिया कि मानवता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए सुदृढ़ विधि अवश्य होनी चाहिए । इस विचारधारा को अटलांटिक चार्टर 1941 तथा संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा 1942 से बल मिला ।

इस प्रकार अंतिम रूप से मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा का मसविदा कुछ संशोधन के साथ 10 दिसम्बर को पारित किया । इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है । मानवाधिकार घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं ।

इस घोषणा पत्र में नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, काम का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ट्रेड यूनियनों, विश्राम, शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, सामाजिक भरण-पोषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, विचार, धर्म, शांतिपूर्ण सभाएं करने तथा संगठन बनाने जैसे अधिकार सम्मिलित हैं । भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान मानवाधिकारों के संरक्षण का विशेष ध्यान दिया गया ।

यदि हम भारतीय संविधान के भाग तीन एवं भाग चार के प्रावधानों को मानवाधिकार घोषण पत्र के प्राव्रधानों से तुलना करें तो पाएंगे कि घोषणा पत्र के 23 भाग पूर्णतः संविधान में है । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 इन अधिकारों को संविधान लागू होने से ही लागू करा रहे हैं । खेद का विषय है कि मानवाधिकारों के लागू रहने के बावजूद भारत सहित विश्व में स्त्री-पुरुषों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है । जबकि युगनायक स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले कहा था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की सुदृढ़ स्थिति परंतु महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन चरम

सीमा पर हो रहा है ।

महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध से कोई देश अछूता नहीं है । वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइज़ेशन, डिपार्टमेंट ऑफ़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिसर्च के 2013 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर की 35 प्रतिशत महिलाओं को किसी न किसी स्थिति में अपने पार्टनर की हिंसा का शिकार होना पड़ता है । वह यौन या शारीरिक हिंसा कुछ भी हो सकती है । कुछ देशों में तो 70 प्रतिशत महिलाओं को यह यातना झेलना पड़ती है । मादक पदार्थों और मानव तस्करी संयुक्त राष्ट्र संगठन यू॰एन॰ओ॰डी॰सी॰ के 2014 के अनुमानों का कहना है कि साल 2012 में विश्व में महिलाओं की कुल हत्याओं में से आधी अंतरंग साथी या परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गयी थी ।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोपीय संघ के 28 देशों में 43 प्रतिशत महिलाओं को किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त विश्व की 70 करोड़ महिलाओं की शादियां 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती हैं । इनमें से हर तीन में से एक लड़की की शादी 15 वर्ष कम उम्र में होती है । इतनी उम्र में किसी यौन संबंध से इन्कार नहीं कर पाती जिसका नतीजा कम उम्र में गर्भ धारण और यौन संक्रमण होता है ।

यू॰एन॰ सूमेन का आंकड़ा यह भी कहता है कि विश्व स्तर पर 12 करोड़ लड़कियां यौन संबंध हेतु जबरन मजबूर होती हैं । इसी साल ज़ीरो टॉलरेंस फॉर वुमेन जेनिटल म्यूटिलेशन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की लगभग 20 करोड़ महिलाओं को यौन हिंसा के कारण जननांगों के क्षत-विक्षत होने की यंत्रणा झेलनी पड़ती है । कई देशों में पांच वर्ष से छोटी बच्चियों को भी इस कष्ट से गुज़रना पड़ता है ।

भारत में भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है । नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के वर्ष 2014 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध दोगुने हुए हैं । पिछले एक दशक में महिलाओं के ख़िलाफ़ 22.40 लाख अपराध दर्ज हुए हैं । इन आंकड़ों के आधार पर इंडिया स्पेंड के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में हर घंटे में महिलाओं के ख़िलाफ़ 26 हिंसक मामले दर्ज होते हैं । जिसका एक अर्थ यह भी है कि हर दो मिनट में ऐसी एक शिकायत दर्ज होती है । देश में हर एक घंटे में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत पति या संबंधियों द्वारा की गयी क्रूरता के 10 मामले दर्ज होते हैं ।

भारत में एन॰एफ॰एच॰एस॰ के सर्वेक्षण कहते हैं कि देश में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है । हर नौ मिनट में ऐसा कोई न कोई मामला ज़रूर दर्ज होता है जिसमें महिला को उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा हिंसा का शिकार बनाया जाता है ।

मानवाधिकारों के लागू रहने के बावजूद महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है । इसके लिए विश्व के सभी देशों के नागरिकों को जागरूक करना होगा कि वे मानव सेवा, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का अनुसरण करें अन्यथा उनके परिवारों से शांति, चैन व सुखी जीवन का सपना हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा ।

अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया–"तीन क़िस्म के लोगों को दुगुना इनाम दिया जाएगा । उनमें से एक वे जो अहले किताब हैं, जिन्होंने मेरे पैग़ाम को सुना और अपने पैग़म्बर के साथ-साथ मुझे अंतिम पैग़म्बर माना ।"
(बुख़ारी, मुस्लिम)

A WELL WISHER
MAU NATH BHANJAN (U.P.)

नारी-संरक्षण और इस्लाम

● संपादन प्रभाग

हमारे समाज में किसी बड़े अनर्थ के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों में दो प्रमुख हैं–'भ्रष्टाचार' और 'नारी-असुरक्षा'। बल्कि ''नारी असुरक्षित है'' की आवाज़ सारी आवाज़ों से तेज़, सबसे ऊंची है। पूरे देश की व्याकुलता और पूरे समाज के ग्लानि और रोष के प्रदर्शन में जितनी-जितनी तेज़ी आती गयी, नारी-सुरक्षा की स्थिति अत्यंत दुखद तथा शर्मनाक रूप से उतनी-उतनी बिगड़ती गयी।

वर्तमान स्थिति

देश के बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री, समाज सुधारक, राजनेता, क़ानून बनाने वाले, क़ानून लागू करने वाले, क़ानून के रक्षक, विद्वान आदि हर वर्ग के लोगों ने अपनी पूरी बुद्धि और शक्ति नारी-संरक्षण में लगा दी। कोई कमी नहीं रख छोड़ी गयी। नारी-स्वतंत्रता, लिंग समानता, नारी उन्नति का राष्ट्रव्यापी आन्दोलन भी वह सब कुछ कर चुका जो वह कर सकता था। यह सब कुछ हुआ और बहुत कुछ हुआ लेकिन वर्तमान स्थिति यह रही कि 'मर्ज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की'। हर क़ानून नाकाम हुआ, हर प्रयास असफल हुआ। नारी के सम्मान का रक्षक पुरुष उसके अपमान में आगे ही बढ़ता गया।

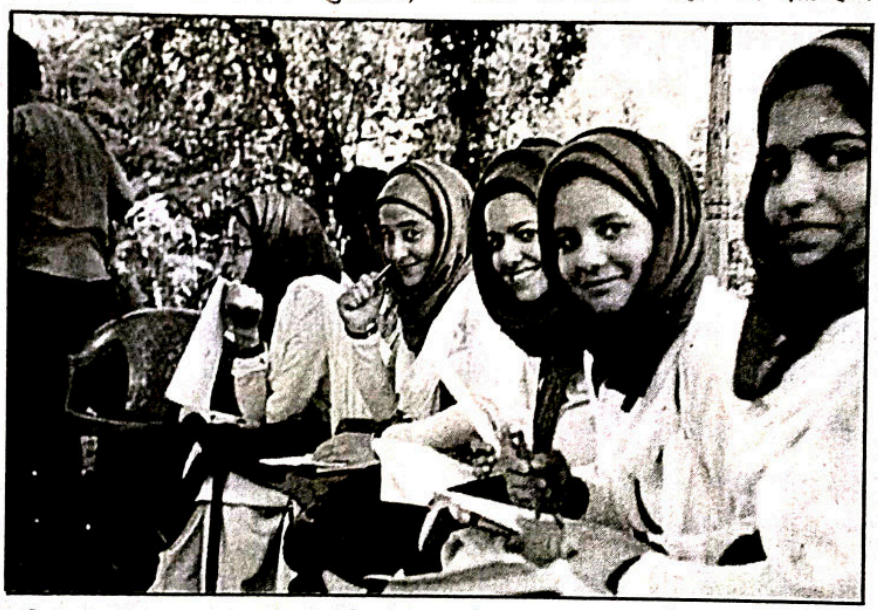

नारी की इज़्ज़त-आबरू की हिफ़ाज़त करने वाला मर्द उसकी इज़्ज़त-आबरू को रौंदने-कुचलने में दिलेर होता गया। नारी-जाति की मर्यादा का रक्षक पुरुष-जाति उसकी मर्यादा पर डाके डालने लगा। सारा विरोध व रोष-प्रदर्शन, सारे नारे और जुलूस-रैलियां एक तरफ़ और नारी-शोषण, नारी-उत्पीड़न, यौन-अपराध, अपहरण, वलात् दुष्कर्म, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा और अपमान की शिकार नारी एक तरफ़। यह है नारी-संरक्षण की वर्तमान स्थिति जो हमारी मानवता, नैतिकता, प्रगति, शिक्षा, उन्नति और स्वाभिमान के साथ-साथ हमारे विवेक और संवेदनशीलता को भी चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है।

चुनौती

क्या हम, हमारा समाज और हमारी सामूहिक व्यवस्था यह चुनौती लेने में सक्षम है ? अब तक का अनुभव इस प्रश्न का उत्तर ''नहीं'' में देता है। लेकिन इस विडंबना के बावजूद इसका उत्तर ''हां'' में भी है। हां ! नारी का नारीत्व सुरक्षित किया जा सकता है, नारी का लैंगिक, सामाजिक, नैतिक एवं यौन-संबंधी तथा शारीरिक और आर्थिक संरक्षण संभव है। इस्लाम इस चुनौती को लेने में पूरे आत्मविश्वास के साथ सक्षम है। क्योंकि यह प्रचलित अर्थों में मात्र आस्था, धारणा, पूजा-उपासना और कुछ रीतियों व संस्कारों का 'धर्म' नहीं है, बल्कि एक ईश-सृजित, ईश-प्रदत्त संपूर्ण, समग्र व सर्वांगीण जीवन-व्यवस्था ('दीन') है, जिसके दायरे (परिधि) में मानव़जीवन का हर पहलू समेटा हुआ है। और नारी की मर्यादा, प्रतिभा, शील व नारीत्व का संरक्षण तो इस जीवन-व्यवस्था में सर्वोपरि है। आइए देखें कि कैसे ?

इस्लाम और नारी-संरक्षण

किसी भी वस्तु की हैसियत, महत्व, स्थान और मूल्य का निर्धारण हो जाने के बाद ही उसके संरक्षण के सफल

उपाय किये जा सकते हैं । नारी-संरक्षण में पूर्वलिखित असफलता के अनेक कारणों का मूल कारण, इस निर्धारण में ग़लती व त्रुटि है । इसी त्रुटि की जड़ से वह त्रुटिपूर्ण वृक्ष संपन्न हुआ है जिसकी शाखें, टहनियां, पत्ते, फूल और फल दोषपूर्ण, रोगग्रस्त और विषाक्त हो गये हैं ।

इस्लाम ने औरत के लिए (पुरुष से उसकी विभिन्न, विशिष्ट व उत्कृष्ट मानसिक, मनोवैज्ञानिक, लैंगिक व शारीरिक संरचना के आधार पर) पुरुषों से अधिक अधिकार और कम कर्तव्य निर्धारित किये हैं । पुरुष और स्त्री के कर्तव्य-क्षेत्र व कार्य-क्षेत्र के निर्धारण में इस प्राकृतिक तथ्य का पूरा-पूरा लिहाज़ रखा है कि स्त्री का शरीर कोमल होता है, उसकी हृदय-स्थिति में पुरुष से कहीं अधिक भावुकता होती है । उसका शील-स्वभाव शीशे की तरह नाजुक होता है जो ज़रा-सी लापरवाही में टूट कर चकनाचूर हो जाता है । और पानी के बुलबुले की तरह अत्यंत सूक्ष्म होता है कि ज़रा-सा भी छेड़ देने पर टूट जाता है । मां के रूप में वह नौ महीने तक तथा फिर कई वर्षों तक ऐसी-ऐसी परिस्थितियों से गुज़रती है कि उनसे कोई पुरुष न गुज़र सकता है, न कभी गुज़रा है । मासिक धर्म की अवस्था में उसकी जो दशा होती है वह किसी पुरुष की न हो सकती है, न कभी हुई है । उसके सौंदर्य और यौवन में इतना आकर्षण, प्रलोभन व उत्तेजना है कि यदि उस पर हया का पहरा हर क्षण चौकस न रहे, तो शैतानी व राक्षसीय प्रवृत्ति के पुरुषों के अतिक्रमण से उसके शील व शरीर की रक्षा लगभग असंभव-सी हो जाती है ।

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इस्लाम का अनुपालक व अनुयायी न भी हो, लेकिन विवेकशील, निष्ठावान, संवेदनशील, सत्यताप्रिय और पूर्वाग्रहरहित (Un-prejudiced) हो, तो वह नारी-जाति से संबंधित इस्लाम की उपरोक्त नीति से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता । इस्लाम ने नारी-संरक्षण के लिए जो अचूक उपाय तथा पूर्ण-सक्षम प्रावधान व प्रयोजन किये हैं, उन्हें सिर्फ़ इस पक्षपात् व दुर्भावनावश रद्द व तिरस्कृत नहीं कर सकता कि यह तो इस्लाम धर्म की बात है, पराए-धर्म की बात !

इस्लाम का पक्ष यह है कि–

● पुरुष और स्त्री बराबर (Equal) हैं, लेकिन समान (Similar) नहीं हैं । अत: न उनके कार्य-कर्तव्य समान होने चाहिए, न उनके दायित्व (Responsibilities), और न उनके कार्य-क्षेत्र । यह बात, जो एक प्राकृतिक सत्य है, हमारा समाज और नारी-हितैषी लोग स्वीकार कर लें, तो नारी-संरक्षण का बन्द रास्ता खुल जाना अवश्यंभावी हो जाएगा ।

● पुरुष और स्त्री के बीच इस्लाम ने 'महरम' और 'ना-महरम' की श्रेणियां बनाकर उनके आपसी मेल-जोल की सीमाएं और शर्तें निर्धारित कर दी हैं । इनका अनुपालन किया जाने लगे तो केवल इसी एक इस्लामी प्रयोजन से यौन-अपराधों का कमोबेश 90 प्रतिशत उन्मूलन स्वत: ही हो जाएगा । बिना पुलिस, अदालत के ।

● इस्लाम ने सत्र (विशेष शरीरांगों को छिपाने) के अंतर्गत पुरुष और विशेषत: स्त्री के लिए वस्त्र और वेष-भूषा के जो उसूल तय किये हैं उन पर अमल करने से यौन-अपराधों में कमी का स्तर 95 प्रतिशत तक गिर जाएगा ।

● इस्लाम ने स्त्री-पुरुष के बीच यौन-संबंध को सिर्फ़ विवाह (निकाह) तक (नैतिक व क़ानूनी स्तर पर) वैध रखा है । इस्लाम के इस प्रयोजन को स्वीकार और लागू कर दिया जाए तो नारी-यौन-शोषण के उन्मूलन का स्तर 98 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा ।

● बलात्कारी की इस्लामी सज़ा का प्रावधान कर दिया जाए तो यह स्तर 99 प्रतिशत पहुंच जाएगा ।

● एक प्रतिशत या इससे कुछ कम ही की संभावना फिर भी रह जाएगी, क्योंकि मनुष्यों का समाज कभी भी फ़रिश्तों का समाज नहीं बन सकता ।

● नारी के सामाजिक संरक्षण के लिए इस्लाम ने तदनुसार दाम्पत्य, पारिवारक, सामाजिक और व्यवस्थागत स्तर पर नैतिक प्रयोजन के साथ-साथ वैधानिक प्रावधान भी किये हैं, जो इस्लामी शरीअत में सुनिश्चित कर दिये गये हैं ।

इसी तरह औरत के आर्थिक संरक्षण के लिए इस्लाम ने उसके विवाह से पूर्व (या विधवा हो जाने अथवा तलाक़शुदा हो जाने पर) यथास्थिति उसके पिता या भाइयों या बेटों या मुस्लिम समाज या इस्लामी प्रशासन को ज़िम्मेदार बनाया है और दाम्पत्य काल में पूर्णरूप से उसके पति को । विवाह के समय उसे स्त्री धन (महर) दिया जाना अनिवार्य

किया है । उसके पास कोई व्यक्तिगत धन-संपत्ति हो तो उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, यहां तक कि पति का भी नहीं और न ही किसी पर धन ख़र्च करना उसके कर्तव्यों में शामिल किया गया है । मृत पिता, माता और पति की धन-संपत्ति में उसे क़ानूनी हिस्सा दिया गया है । विधवा या तलाक़शुदा औरत की शील-संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्लाम ने बहुपत्नी-विवाह का प्रावधान किया, क्योंकि ऐसी महिलाओं से, कुंआरे पुरुष और युवक प्राय: विवाह नहीं करते अत: ऐसी महिलाओं को अन्योन्य क्षेत्रों में असुरक्षा तथा शोषण के ख़तरे घेरे रहते हैं ।



सांसारिक प्रयोजनों से भी आगे

इस्लाम ने नारी-संरक्षण के जितने सांसारिक प्रयोजन किये, सिर्फ़ उन्हें ही काफ़ी नहीं समझा बल्कि सबको परलोक-मुखी बनाया और नारी-संरक्षा की पूरी व्यवस्था को ईश-केन्द्रित रखा । उपदेश दिये गये, शिक्षाएं दी गयीं, नियम व सिद्धांत दिये गये, क़ानून बनाए गये, क़ानून की रखवाली, निगरानी और कार्यान्वयन की व्यवस्था बनायी गयी, अदालत और सज़ा का प्रकरण स्थापित किया गया, नारी की हैसियत तय की गयी, उसके अधिकार, कर्तव्य, कार्य-क्षेत्र निर्धारित किये गये, महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को शिक्षक, प्रशिक्षक, पथ-प्रदर्शक एवं आदर्श स्वरूप नियुक्त किया गया, लेकिन साथ ही साथ एकेश्वरवाद की मूल-धारणा के साथ परलोकवाद की धारणा को भी संलग्न करके यह दृढ़ और अडिग विश्वास भी दिला दिया गया कि "देखो, और सचेत रहो !

मामला बस इसी नश्वर, अस्थाई, भौतिक व सांसारिक जीवन तक ही नहीं है । नारी-संरक्षण का हक़ पूरी तरह से (पुरुष और स्त्री दोनों ने अपना-अपना फ़र्ज़ अदा करके तथा अल्लाह व रसूल का आज्ञापालन करते हुए) अदा किया तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में इसका प्रतिदान सुनिश्चित है । और अगर औरत के बहुमुखी संरक्षण तथा अधिकार व मान-सम्मान देने में कमी की, डंडी मारी और इस जीवन में किसी तरह नुक़्सान व सज़ा आदि से बच भी गये—धन, धौंस, धांधली या शक्ति व सत्ता के चलते—तो पारलौकिक जीवन में नरक की यातना व प्रताड़ना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है ।"

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया— "जो अल्लाह के डर से रोता है वह दोज़ख़ में नहीं जाएगा, जब तक कि थन में दूध वापस नहीं आता । जिसके पैर अल्लाह के काम में सने हों, उसे दोज़ख़ की आग कभी छू नहीं सकती ।"

(तिरमिज़ी)

A Well Wisher
NAGPUR
(MHR)

अनुवाद का महत्व

■ धोंडिबा झेटींगराव रघु
(गुलबर्गा, कलबुर्गी, कर्नाटक)

आदमी की सबसे मुख्य पहचान उसकी बोलने की शक्ति से है । वह अपने मन के सुख-दुख की बात दूसरों को बता सकता है । इसका माध्यम है भाषा । अगर संसार के समस्त लोग एक ही भाषा बोलते तो सभी एक दूसरे की बातें आसानी से समझ लेते, मगर प्रत्येक देश में ही अनेक भाषाएं होती हैं । हर राष्ट्र की एक प्रमुख राष्ट्रभाषा होती है, अन्य कई भाषाएं भी वहां बोली जाती है । सवाल उठता है कि जब दो भिन्न भाषा-भाषी सज्जनों को आपस में वार्तालाप करना पड़ता है, तब कौन-सा उपाय किया जाए? इसका कारगर उपाय अनुवाद है । दोनों भाषाएं जानने वाला तीसरा आदमी उन दोनों लोगों की बातें बारी-बारी से अनुदित करके सुनाता है । पत्र व्यवहार में मौखिक अनुवाद की जगह पर लिखित अनुवाद से काम लिया जाता है ।

अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का अंग

भाषा के विविध अंगों और प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन उन्नीसवीं सदी में शुरू हुआ । बीसवीं सदी में इसका विकास प्रयोगशाला की सहायता से करने लगे । ध्वनि-मापक उपस्कर बने । अन्य विज्ञानों ने तर्क आदि का प्रयोग करते हुए भाषा विज्ञान का संबंध समाज से, इतिहास से, भौतिकी से–यहां तक कि स्नायुओं की चिकित्सा से भी स्थापित हो सका अनुवाद को अनुपयुक्त भाषा विज्ञान का अंग माना जाने लगा ।

अनुवाद शिक्षण की आवश्यकता

पुराने ज़माने में थोड़े से लोग अपनी इच्छा से गिने-चुने साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद करते थे । वे अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार यह किया करते थे । अनुवाद केवल एक प्रक्रिया थी । उसका कोई सिद्धांत, सार नहीं था । किंतु आधुनिक युग में प्रत्येक भाषा में हज़ारों अनुवादक लगे हुए हैं । उन्हें अनुवाद में प्रशिक्षण देने की ज़रूरत पड़ी है । उनको मानक अनुवाद का स्वरूप और उसकी प्रक्रिया समझानी होती है ।

क्या अनुवाद वैज्ञानिक विषय है ?

अनुवाद के लिए परीक्षण की वर्ष से यह प्रश्न उठता है कि क्या अनुवाद ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें कुछ सिद्धांत, फार्मूले, नियम आदि हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता ? इसका उत्तर संक्षेप में इस प्रकार दिया जाता है–"हां, वैज्ञानिक विषय हैं ।" प्रारंभ में यूरोप में भी प्राकृतिक विज्ञान अचुक सिद्धांतों को ही विज्ञान सिद्धांत कहते थे । किंतु वहां बाद में विज्ञान की वैज्ञानिक प्रणाली को महत्व दिया जाने लगा ।

लोगों के मिलाप का साधन

अनुवाद मानवों के मेल-मिलाप का साधन सिद्ध हुआ है । विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोगों को मिलाने में अनुवाद सेतु का काम करता है । ग्रंथों के विषय में तो अनुवाद नया ख़ज़ाना खोलने का 'सम-सम' है । संसार की एक भाषा की कोई विशिष्ट कृति जब अनुदित होती है तब दूसरी भाषा बोलने वालों को भी वह कृति प्राप्त होती हैं ।

विश्व के महान ग्रंथों का परिचय

यवन या ग्रीक भाषा के प्राचीन वाङमय में प्लेटो, अरस्तु, सोक्रेटिस, यूरिरिडिस, सोफोक्लीस आदि राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक थे । इनके ग्रंथों में अनुवाद से रोमन जनता को, और बाद में यूरोपवासियों को नयी सांस्कृतिक, दार्शनिक और कलात्मक चेतना दी । यों ग्रीस के ही ईसप की प्राणी कथाएं पहले यूरोप की अन्य भाषाओं में अनुदित हुई और बाद में संसार की सभी भाषाओं में ईसप की कथाओं के समान भारत की पंचतंत्र कथाएं भी महत्व की हैं ।

संसार में जितने भी प्रमुख धर्म है, उनके आदि ग्रंथ अपने देश की विशेष भाषा में लिखे गये थे । उनमें से अधिकांश के अनुयायी विश्व के विभिन्न देशों में बस गये हैं । उन देशों में इन धर्मों का प्रचार भी किया गया । अनुवाद के बिना यह संभव न होता ।

KIDS CARE

MONTESSORI & PRIMARY SCHOOL



- Montessori to Class - V
- A Huge Playground for Outdoor Games
- Efficient and Trained Teachers
- Learning through Computers
- Homely Environment
- CCTV Monitored

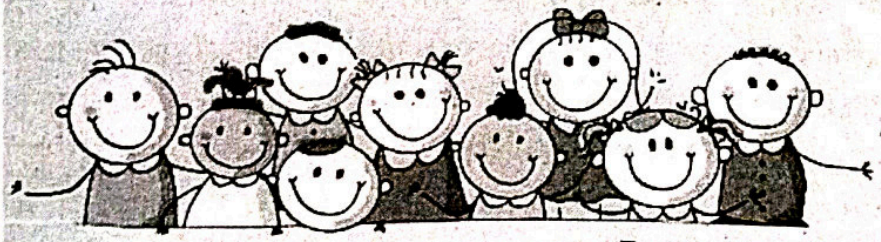

ADMISSION OPEN

A unit of
Al-Falah Educational & Welfare Trust

58, Tiljala Road, Kolkata - 700046

CONTACT : 9874359433 / 9432340275

Website : www.kidscareschool.org

अच्छे दिनों की आस

■ क़मर जीलानी ख़ां

झिनकू चाचा इतने सीधे-सादे थे कि कई बार लोग मनोरंजन के लिए उनके पास बैठ जाते, उनसे उल्टे-सीधे सवाल करते और मज़े लेते ।

आसिफ़ ने उन्हें चाय की दुकान के बाहर अकेले बैठा देखा, तो वह भी उनके बराबर बैठ गया और बोला, "झिनकू चाचा क्या देख रहे हैं ?"

रमज़ान का महीना था, चाय की दुकान बन्द थी, लेकिन शाम को दूकान खोलने की तैयारी में एक लड़का साफ़-सफ़ाई में लगा हुआ था । झिनकू चाचा ने आसिफ़ की ओर देखा और बोले, "अख़बार देख रहा था ।"

"लेकिन आप तो आकाश की ओर तक रहे थे, क्या वहां भी कुछ लिखा है ?"

"नहीं अख़बार पढ़ते-पढ़ते सोचने लगा था, झिनकू चाचा झेंप मिटाने के लिए हंसे ।"

"क्या सोच रहे थे ?"

"यही कि अपने देश का इतना सारा धन जो चोरी-छिपे विदेशी बैंकों में पहुंचा दिया गया है, क्या उसे लाने में नयी सरकार सफल होगी ।"

"कितना पैसा होगा चाचा ?"

झिनकू चाचा ने एक बार अख़बार पर नज़र डाली और बोले "दो हज़ार अरब डॉलर ।"

"तो अपने यहां का कितना हुआ ?" आसिफ़ सवाल पर सवाल दागे जा रहा था ।

"एक डॉलर का सत्तर मान लो तो...सत्तर-सत्तर एक सौ चालीस । यानी लगभग एक लाख चालीस हज़ार अरब रुपये ।"

"वाह चाचा आप तो गणित के भी मास्टर हैं, तो नयी सरकार से कहां तक आशा रखी जाए कि अच्छे दिन आएंगे, जबकि तीन वर्ष हो गये सरकार बने और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है ?"

"आसिफ़ बेटा हमें हर चीज़ इसलिए महंगी लगती है कि हमारी आमदनी कम है । गेहूं, चावल, दाल, चना, तेल, घी, आलू, प्याज़, बैगन, टमाटर सब चीज़ें कभी एक-दो रुपये किलो थीं, तब भी आज की तरह महंगी लगती थी, इसलिए कि उस समय भी हमारी आमदनी कम थी । महंगाई के अनुपात में अगर आमदनी भी बढ़ती जाए, तो इतनी परेशानी नहीं होगी और अपने देश से अगर बड़ी-बड़ी चोरियां, बेईमानी और भ्रष्टाचार कम हो जाए तो अच्छे दिन ज़रूर आ जाएंगे ।"

"लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ? जबकि हर सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा जा रहा है ।"

"सरकार में ईमानदार लोग होंगे, तो कुछ भी असंभव नहीं ।"

"अच्छा एक बात बताओ चाचा, इस बार वोट किसको दिया था ?"

"समाजवादी पार्टी को, इसलिए कि यहां के लाखों बुनकरों पर इस पार्टी का उपकार है । इसने पावर लूम से बिजली का मीटर हटाकर रेट फिक्स कर दिया । पहले तो बिजली विभाग वाले खुद बिजली चोरी करवाते थे और पावर लूम वालों से महीना भत्ता लेते थे । जो नहीं देता उसके विरुद्ध बिजली चोरी की कार्रवाई हो जाती । नये कनेक्शन पर 15-20 हज़ार रिश्वत लेते और साल भर बिजली फ्री देने का वादा करते । समाजवादी पार्टी ने ही इन



धांधलियों से छुटकारा दिलाया । इसलिए उसी को वोट देना अनिवार्य था । आगे कोई और सरकार अगर बुनकरों के हित में कोई काम करेगी तो स्पष्ट रूप से हमारा झुकाव भी उसकी ओर होगा ।''

''इसका मतलब यह हुआ झिनकू चाचा की आप केवल अपना और अपनी बिरादरी का हित देखेंगे, पूरे देश का नहीं ।''

''किसान, मज़दूर और बुनकर, ये तीनों आदमी की तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करते हैं और ये सब ग़रीब और परेशान रहते हैं, इनका पेट भरेगा तो पूरे देश का भला होगा ।''

इसी बीच मुजीब आकर झिनकू चाचा की दूसरी ओर बैठ गया था और ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था । अचानक बोल पड़ा–

''ग़रीब का पेट भरेगा तो उसे उल्टी-सीधी बातें सूझेंगी झिनकू चाचा । आपने देखा होगा कि हर ग़रीब अमीर के हाथ में क़ीमती मोबाइल सेट है, जिसमें नयी उम्र के बच्चों को बिगाड़ने का पूरा सामान मौजूद है । बच्चे समय से पहले जवान हो रहे हैं...। पैसा हाथ में आते ही कितने ही बच्चे नशे के आदी हो गये हैं । जो थोड़ी-सी सभ्यता और शालीनता बची है वह ग़रीबी के ही दम पर है, इसलिए ग़रीबी दूर होने की दुआएं मत कीजिए ।''

आसिफ़ ने मुजीब को टोका, यार तुम भी बात को कहां से कहां ले गये । फिर वह चाचा की ओर देखते हुए बोला, ''अच्छा चाचा आप रोज़े से तो हैं ना ?''

''तुम्हारी चाची का कोई रोज़ा नहीं छूटता, वह बराबर रहती हैं । मुझे बीड़ी की तलब बहुत सताती है, इसलिए रोज़ा नहीं रख सकता ।''

मुजीब ने कहा, ''चाचा रोज़ा इसीलिए तो फ़र्ज़ किया गया है कि आदमी अपनी इच्छाओं को वश में कर सके ।''

उसी समय एक स्वस्थ महिला गोदी में एक बच्चा लिए आकर खड़ी हो गयी और हाथ फैलाकर कुछ मांगने लगी । झिनकू चाचा ने पहले आसिफ़ और मुजीब की ओर देखा, जैसे कह रहे हों कि कुछ दे देना चाहिए । मुजीब ने महिला को डांट कर आगे जाने को कहा ।

महिला फिर भी खड़ी रही । झिनकू चाचा ने अपनी जेब में हाथ डाला, दस-दस के दो नोट निकले, मगर मुजीब ने भिखारन को पैसा नहीं देने दिया और उस महिला को बुरी तरह डांटने लगा । वह धीमे-धीमे कुछ बोलती हुई आगे बढ़ गयी, जैसे गालियां दे रही हो ।

मुजीब ने बताया, ''झिनकू चाचा आप नहीं जानते, ये बंजारन है, हर साल ये लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं । रेलवे स्टेशन के आसपास डेरा जमाते हैं । रमज़ान का महीना उनके लिए मेले जैसा होता है । सारा दिन ज़कात में निकले कपड़ों के लिए दौड़ते भागते रहते हैं । शाम को मुर्ग़ी पकाते हैं और शराब पीते हैं । मार-पीट और नाच-गाने भी करते हैं । इन लोगों को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए । आप अपने 20 रुपये से चाची के लिए इफ़्तार का सामान ख़रीद लीजिए । इन पैसों पर उन्हीं का अधिकार है ।''

''और हां'', मुजीब ने बात आगे बढ़ायी, ''बहुत अच्छे दिनों की आस में न रहें, जो दिन बीत गये वही बहुत अच्छे थे, अब वे नहीं आने वाले । सब कुछ छलावा है । जो दिखायी देता है, वह वास्तव में है नहीं, और जो है वह दिखायी नहीं देता ।''

इतना कहकर मुजीब चला गया । झिनकू चाचा चुप रह गये । आसिफ़ बोला, ''मुजीब रोज़े से है, इसलिए उसे ग़ुस्सा आ गया, आप उसकी बात का बुरा न मानें ।''

झिनकू चाचा मुस्कराये और सर हिला कर बोले, लेकिन उसने बातें तो बिल्कुल सच कहीं हैं, अब अगर यह सच कड़वा है तो इसमें मुजीब का क्या दोष ।''

ग़ज़ल

डगर में जब कोई भटकाव आया
मेरे संघर्ष में फैलाव आया

तो कैसे होगी पूरी कोई हसरत
सभी मुद्दों पे जो टकराव आया

सहेजेगा ये रिश्ता कोई कैसे
दिलों में इतना गर बिखराव आया

छुपी थी बात उसके दिल में शायद
तभी तो चेहरे पर ये भाव आया

सुलझता ही नहीं है जो जतन से
ये कैसा राह में उलझाव आया ।

अतीक़ दानिश
मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार

अब नहीं लगेगा आपके स्वास्थ्य पर तेल का तड़का

■ उमेश कुमार सिंह

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को सबसे अधिक चिंता यह सताती है कि आमतौर पर स्नैक्स को सैचुरेटिड फैट व ट्रांस फैट युक्त तेल में तला जाता है । इस प्रकार की वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है जो कि दिल के रोगों का सबसे बड़ा कारण है । यदि आप 20 से 30 वर्ष के बीच हैं, तनाव भरे माहौल में काम कर रहे हैं और अस्वास्थ्यकर तेल में बने स्नैक्स खाने के शौक़ीन हैं तो आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता हो कि इन सबका दंश आपका दिल चुपचाप सह रहा हो । तो आपकी ये चिंताएं दूर हो जाएंगी क्योंकि धान के तेल में बने स्नैक्स में सैचुरेटिड फैटी एसिड अन्य स्नैक्स के मुक़ाबले 40 प्रतिशत तक कम हो जाते हैं, जो बात इन स्नैक्स को आकर्षक बनाती है वह यह है कि ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट से मुक्त हैं जो मोटापे का प्रमुख कारण हैं ।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्मार्ट तरीक़े से स्नैकिंग करें और यह काम आपके लिए संभव बनाता है धान के छिलके का तेल । यह तेल धान के बीज व अंदरूनी भूसी से निकाला जाता है । सवाल उठता है कि वह क्या चीज़ है जो धान के छिलके के तेल को बाक़ी तेलों से ज़्यादा स्वास्थ्यकर बनाती हैं ? सबसे पहली व ख़ास बात इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुतायत में मौजूद होते हैं, जैसे–टोकोफोरोल, ओरिजानोल और टोकोऑक्सीडेंट । दुनिया भर में किये गये गहन शोधों से यह बात साबित हुई है कि ओरिजानोल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को घटाएं बग़ैर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है । टोकोट्रीनोल क़ुदरत में मौजूद एक शक्तिशाली विटामिन ई जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कैंसररोधी प्रभाव डालता है । इस तेल में फाइटोस्टोरोल्स भी होता है जिसके बारे में विश्वास है कि यह कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करता है ।

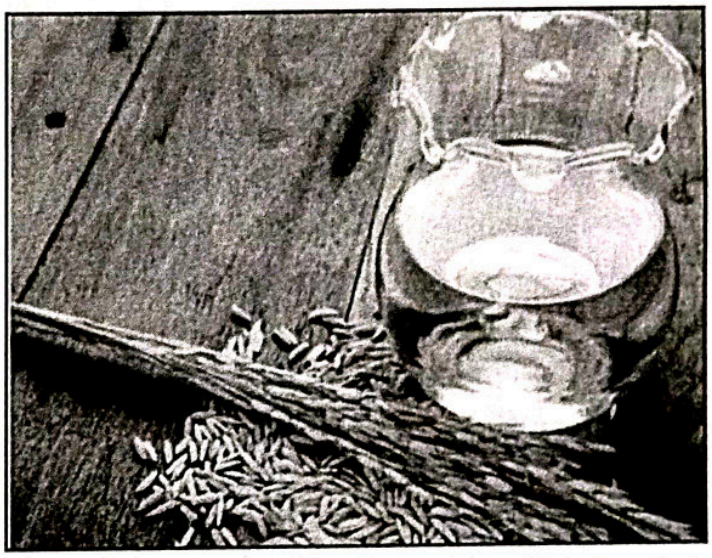

विश्व स्वास्थ्य संघ के मुताबिक़ सैचुरेटिड फैटी एसिड, मोनोअनसैचुरेटिड फैटी एसिड, पालीअनसैचुरेटिड फैटी एसिड के बीच का अनुपात 1:1.5:1 होना चाहिए । धान के छिलके के तेल को जैतून के तेल का भारतीय संस्करण कहा जाता है । जैतून के तेल को कम ट्रांस फैट वाला स्वास्थ्यकर तेल कहा जाता है । इसमें लगभग सभी ज़रूरी फैटी एसिड और नॉन-फैटी एसिड अवयव होते हैं जिनके सेहत पर लाभदायक प्रभाव होते हैं ।

सेहत के लिए धान के तेल के अन्य फ़ायदों में शामिल हैं शरीर के फ्री रैडिकल्स से लड़ कर बढ़ती उम्र के असर को कम करना । क़ाबिले ग़ौर है कि फ्री रैडिकल्स वे रसायन हैं जो उम्र बढ़ने के लिए ज़िम्मेदार हैं । शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की वजह से धान का तेल अन्य तेलों के मुक़ाबले कहीं अधिक पक्की ऑक्सीकरण रोधी स्थिरता प्रदान करता है । इस वजह से स्नैक्स के दीर्घकालीन सेवन के लिए यह तेल एक आदर्श विकल्प है क्योंकि इससे बने स्नैक्स में लबे समय तक पौष्टिकता बनी रहती है, यानी यदि आप आज एक पैकेट खोलते हैं तो दो दिनों के बाद भी उसके स्वाद एवं पौष्टिकता में कोई कमी नहीं आएगी ।

सेहत के लिए लाभदायक होने के साथ-साथ धान का तेल अन्य के मुक़ाबले कुछ अनूठे फ़ायदे भी देता है । इससे स्नैक को काष्ठफल सी सुगंध मिलती है, जबकि मूंगफली के तेल में मटियाला फ्लेवर आता है । अन्य तेलों के मुक़ाबले धान के तेल का स्मोकिंग पॉइट भी ज़्यादा होता है । इसलिए जिन पदार्थों को तलने के लिए ज़्यादा ताप चाहिए उनके लिए यह बिल्कुल ठीक है । डीप फ्राई करने के बाद भी यह तेल तले हुए खाद्य को आदर्श रंगत तथा न चिपकने वाला टैक्सचर देता है ।

भोजन को तलने के लिए धान के तेल का प्रयोग कोई नया नहीं है । चीन व जापान जैसे एशियाई देशों में इसका इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है ।

हालांकि सेहत के लिए लाभदायक इसके वैज्ञानिक पहलुओं का खुलासा हाल के वर्षों में ही हुआ है । यही कारण है कि पैप्सी जैसे बड़े स्नैक निर्माता ने बाज़ार में मशहूर अपने स्नैक्स की ख़ातिर अपनी वफ़ादारी धान के तेल पर टिका दी है ।

तो अगली बार से आपका अगर चिप्स का मज़ा लेने को मचले, तो अपनी चिंताओं को दरकिनार करके उनका भरपूर लुत्फ़ उठाइए । बशर्ते की जो चिप्स आप खा रहे हैं उसके पैकेट पर यह लिखा हो कि उन्हें धान के तेल में ही तैयार किया गया है ।

क्यों है धान का तेल स्वास्थ्यकारी ?

- धान का तेल सेहतमंद वयस्कों का कोलेस्ट्रॉल कम करता है ।
- इसमें लगभग सभी आवश्यक फैटी एसिड होते हैं और इसके नॉन-फैटी एसिड अवयव का भी सेहत पर लाभकारी असर होता है ।
- इसमें टोकोफेरोल, ओरिजानोल व टोकोट्रीनोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट क़ुदरती तौर पर प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं । ओरिजानोल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित किये बिना हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को घटाता है । टोकोट्रीनोल में शक्तिशाली विटामिन ई जो कैंसररोधी प्रभाव डालता है ।
- इसमें फाइफोस्टेरॉल भी होता है जो कोलेस्टॉल के अवशोषण को कम करता है ।
- धान के तेल में तैयार उत्पादों का स्वाद सौम्य होता है, जबकि अन्य तेलों जैसे मूंगफली के तेल में उनका ख़ास स्वाद बसा रहता है ।

लघुकथा

चाय



आमतौर पर हम सबका दिन चाय से शुरू होता है । चाय अब हमारा राष्ट्रीय पेय बन चुका है । जगह-जगह चाय के ठेले मिलते हैं । रेलवे स्टेशनों पर ही नहीं गाड़ी के अन्दर भी चाय हर समय मिलती है । यह बात अलग है कि चाय के कप निरंतर छोटे होते जाते हैं और दाम उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं ।

चाय का एक अनुभव हमें कभी नहीं भूलता । 1952 में पहले आम चुनाव हो रहे थे । हमें भी पोलिंग अधिकारी बनाकर उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक दूरदराज़ के गांव में भेजा गया था । उन दिनों बैलेट पेपर पर मुहर लगानी होती थी । अतः हम लोग देर रात बैठे दूसरे दिन होने वाले वोटिंग की तैयारी में लगे थे । शहर वालों को भला बिना चाय के चैन कहां । अब वहां गांव में आधी रात को चाय आये तो कहां से ? भला हो गांव के चौकीदार का जिसने कहा कि अपने घर से चाय बनवाकर ले आएगा । उसे पैसे दे दिये गये । कुछ देर में वह चाय ले आया । हमें बहुत ख़ुशी हुई । मगर यह क्या ? पहला घूंट ही हमारे गले को जैसे चीरता चला गया । नमक, मिर्च, मसाले, हल्दी, अदरक, लहसुन सबकी गंध ही नहीं, स्वाद भी अन्दर तक पहुंच गया । हैरानी हुई कि यह कैसी चाय है !

पूछताछ से पता चला कि चौकीदार के घर में मिट्टी की दो हांडियां हैं । एक में उसकी पत्नी दाल बघारती है । दूसरी में दूध गर्म किया जाता है । आधी रात को नींद से जगाए जाने पर उस बेचारी ने ग़लती से दाल वाली हांडी में हमारे लिए चाय उबाल ली थी । इसीलिए उसमें दाल के साथ-साथ मिर्च-मसालों का भी स्वाद और तेज़ महक आ गयी थी ।

ओमप्रकाश बजाज
पोस्ट बाक्स 595,
जी॰पी॰ओ॰, इंदौर (म॰प्र॰)

इन्सानो ! रब को पहचानो

● संपादन प्रभाग

हम दुनिया में रहते-बसते, चलते-फिरते, खाते-पीते और अन्य क्रियाकलाप करते हैं, मगर क्या कभी हमने सोचा कि यह दुनिया आख़िर है क्या ? इसे किसने और क्यों बनाया ? इसकी व्यवस्था कैसे चल रही है ? जीवन क्या है ? इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है ? इन्सान इस लोक में किस लिए आया ? मृत्यु-पश्चात उसे कहां जाना है ? इस सृष्टि के साथ उसका क्या संबंध है ? इस लोक में बसने वाले लोगों के साथ वह किस प्रकार का संबंध स्थापित करे ? इन्सान को सच्ची खुशी और सच्चा आनन्द कैसे मिल सकता है ? इन्सान की सफलता और असफलता वास्तव में किस चीज़ पर निर्भर करती है ? इस जगत के स्रष्टा के साथ उसका क्या संबंध है ? ये कुछ उभरे हुए प्रश्न हैं । इन पर विचार करना और इनके उत्तर खोजना प्रत्येक इन्सान के लिए आवश्यक है । जब तक इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिल जाएं, तब तक इन्सान की दशा एक ऐसे यात्री की तरह है, जिसे अपनी मंज़िल का पता नहीं है, जो निरुद्देश्य दर-दर भटक रहा है ।

सोच में अगंभीरता

आमतौर पर जीवन के उपरोक्त मौलिक प्रश्नों को लोग गंभीरता से नहीं लेते और वे अपनी शक्ति और समय उन चीज़ों में लगाते हैं, जिनसे उन्हें अस्थायी और क्षणिक सांसारिक लाभ मिलता रहे और लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे । वास्तव में वे अपने आपको और अपने साथ दूसरे लोगों को भी धोखे में रखना चाहते हैं । लेकिन धोखा, धोखा ही है, चाहे वह अपने आपको दिया जाए या किसी और को । इससे न तो जीवन में सच्चाई, अच्छाई और गहराई आ सकती है और न ही सच्ची खुशी और वास्तविक आनन्द एवं शान्ति मिल सकती है । ये चीज़ें सुदृढ़ विश्वास, सच्चे ज्ञान और ईशपरायणता से मिल सकती हैं । इसलिए जब तक इन्सान को जीवन और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों का ज्ञान न हो तब तक न तो उसके विचार उच्च हो सकते हैं और न ही उसका हृदय उदार और विशाल हो सकता है, और न ही संकीर्णता, लोलुपता, उपभोक्तावाद, अपसंस्कृति, पक्षपात, घृणा, वैमनस्यता, अंधविश्वास, छल-कपट, अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन के चक्र को रोका जा सकता है । न ही भ्रष्टाचार, चोरी-डकैती, ग़बन, बलात्कार तथा सामूहिक बलात्कार, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, उपद्रव, कन्या भ्रूण-हत्या, रिश्वत, कालाबाज़ारी, खाद्य व पेय पदार्थों में मिलावट आदि का उन्मूलन किया जा सकता है । यह बात दिन-प्रतिदिन के अनुभव से भी सिद्ध होती है । सुधार के सारे प्रयत्न हमेशा असफल ही होते रहे हैं ।

ईशभयविहीन मानव के हृदय में दानवता का वास हो जाता है । यह ईशभयहीनता एवं अपने रब और पालनहार को न पहचानने ही का अपरिहार्य परिणाम है कि आज प्रायः हर जगह दानवीय प्रवृत्ति के लोग नैतिक और मानवीय मूल्यों को बड़ी क्रूरता के साथ अपने पैरों से कुचल रहे हैं । आज हम प्रतिभाहीन होकर रह गये हैं और हमारी मानवता खो गयी है । फलतः हम बहुत-सी जटिल समस्याओं के जाल में फंस गये हैं और अपने जीवन को सार्थक और अर्थमय नहीं बना सके हैं ।

जीवन-उद्देश्य का निर्धारण

जीवन के महान उद्देश्य के निर्धारण और उसके व्यावहारिक प्रदर्शन द्वारा इन्सान इस जाल से बाहर निकल सकता है । जीवन का महान उद्देश्य ही इन्सान को इन्सान बना सकता है, महान बना सकता है । वह महान उद्देश्य है : अपने रब (प्रभु) को पहचानना, उसके आदेश पर स्वयं चलना और दूसरों को चलाना और उसके साथ किसी को साझी न ठहराना । इसी से उसके जीवन में सुख-शान्ति की बहार आ सकती है । अतः जब तक इन्सान इस महान उद्देश्य की ओर अग्रसर नहीं होता, समस्याएं बनी रहेंगी, बल्कि बढ़ती और जटिल होती जाएंगी ।

यह एक बड़ी विडम्बना है कि विज्ञान के नियम को तो लोग प्रायः मान लेते हैं, लेकिन एकेश्वरवादी शाश्वत सत्य धर्म के नियमों को, जो परम विज्ञान है, जो सार्वभौम और अत्यंत व्यापक है, को मानने से कतरा रहे हैं । यदि धर्म को विशुद्ध ईशोन्मुखी करके इसके लिए सार्वभौमिकता और व्यापकता को अनिवार्य माना जाए तो इसमें अनेकता और विविधता की कोई संभावना नहीं रह जाती । वैश्वीय भाईचारा स्थापित हो सकता है और समाज की अनेक छोटी

व बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है ।

विशुद्ध एकेश्वरवाद

ईश्वर एक है, केवल एक । निश्चित रूप से एक। उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं । उसकी कोई प्रतिमा व मूर्ति नहीं । किन्तु यह कितने दुख की बात है कि इन्सानों में अनेक मत-मतांतर प्रचलित हो गये हैं और लोग यह नहीं समझते कि इससे धर्म के विशेष गुण–उसकी व्यापकता तथा एकत्व को आघात पहुंचा है । अधिकतर इन्सानों का वैचारिक धरातल इतना निम्न हो गया है कि वे मत-मतांतरों में खोए हुए हैं । उनको यह चिंता नहीं है कि धर्म के वास्तविक रूप को समझें और सभी इन्सानों को एक ईश्वर के मार्ग पर लाने का प्रयास करें । अज्ञानता दूर करें और इन्सानों को इन्सानों की गुलामी (दासता) से आज़ाद कराकर एक ईश्वर का भक्त और बन्दा बनाएं । सच यह है कि जब मानवजाति 'एक' है और उसका स्रष्टा, स्वामी, प्रभु भी 'एक' ही है तो सारे मानवों का धर्म और मार्ग भी 'एक' ही हो सकता है तथा उसी मार्ग पर चलकर हम सब 'एक' हो सकते हैं ।

ईश-मार्गदर्शन

सर्वशक्तिमान, दयावान और कृपाशील ईश्वर ने सारे इन्सानों का मार्गदर्शन किया है । इसलिए उसके दिखाए हुए मार्ग से उत्तम कोई मार्ग हो ही नहीं सकता और न ही उसकी शिक्षाओं के मुक़ाबले में कोई और शिक्षा कल्याणकारी, मंगलकारी, हितकारी और लोक-परलोक को संवारने वाली हो सकती है ।

ईशदूतों की भूमिका

ईश्वर की ओर से संदेशवाहक अथवा पैग़म्बर तथा ऋषि-मुनि इतिहास के अनेक चरणों में आते रहे हैं और इन्सानों को सच्चे धर्म की शिक्षा देकर उनके मन की भ्रांतियों को दूर करते एवं उन्हें सीधा मार्ग दिखाते रहे हैं । दुनिया सदैव उनकी आभारी रहेगी । पैग़म्बरी (ईशदूतत्व) के सिलसिले की आख़िरी कड़ी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं । आपने पिछले तमाम ईशदूतों और उनकी लाई हुई शिक्षाओं की पुष्टि की, लेकिन उन शिक्षाओं में जो विकार और बिगाड़ उत्पन्न कर दिया गया था और इसके कारण लोगों में विचार एवं धारणा की जो ख़राबियां पैदा हो गयी थीं एवं व्यावहारिक जीवन में जो ज़ुल्म व अत्याचार फैल गया था, उन सबके विरोध में आवाज़ उठाई और बताया कि लोगो ! तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अंधकार और अज्ञान को छोड़कर अपने रब को पहचानो और उसी के मार्ग पर चलो ।

एकेश्वरवाद से विमुखता

लेकिन कितने अफ़सोस और आश्चर्य की बात है कि इन्सान अपने पैदा करने वाले को भुलाकर या उससे बेगाना (निस्पृह) होकर दूसरों को उपास्य बना बैठा है । उसने अपनी कल्पनाओं के सहारे ईश्वर की सत्ता और प्रभुता में अनेक साझीदार शामिल कर लिए हैं । यह भी देखने में आता है कि ईश्वर ने जो चीज़ें स्वयं बनाई हैं, उनको ही पूजनीय और आराध्य समझ लिया जाता है और उन्हें बनाने एवं पैदा करने वाले की ओर रुजू नहीं किया जाता, उसकी पूजा और उपासना नहीं की जाती, जबकि पूजा और उपासना का वास्तविक अधिकारी वही है । यह ईश्वर के प्रति कृतघ्नता है कि उसे छोड़कर दूसरों को उपास्य बनाया जाए। जो इन्सान को पैदा करे, उसके लिए अनेकानेक चीज़ों की व्यवस्था करे, उसे रोज़ी दे, उसे सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव बनाए, फिर भी यदि इन्सान अपने पालनहार को न पहचाने और उसकी पूजा-उपासना न करे, उससे विमुख हो जाए, उसके प्रति आभार न प्रकट करे, न वह अपने पैदा करने वाले पूज्य-प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है और न ही वह अपने जीवन को सफल बना सकता है ।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इन्सानों को जो मार्ग दिखाया वह कोई नया नहीं, बल्कि आदिकाल से ही एकमात्र सच्चा मार्ग रहा है और भविष्य में भी उसके अतिरिक्त कोई और सत्य मार्ग नहीं । आपका प्रमुख संदेश यही रहा है कि–"इन्सानो रब को पहचानो ।"

आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम अपने रब को पहचानें, क्योंकि–

वही हमारा स्रष्टा है । पूज्य प्रभु है, पालनहार है । वही हम सबका रब है और हम सब उसके, मात्र उसी के दास व उपासक हैं । वह बड़ा ही उदार है । वही आजीविकादाता है । वही परलोक में न्याय के दिन का मालिक है । वही सर्वोत्तम सहायक व संरक्षक है । वही सर्वशक्तिमान है और केवल वही उपास्य है ।

पवित्र क़ुरआन के शब्दों में–

"हुक्म और आधिपत्य तो बस ईश्वर का है । उसने आदेश दिया है कि उसके सिवा किसी का दास न बना जाए । यही सीधा और सत्य धर्म है ।" (क़ुरआन, 12:40)

इब्ने सीना : एक महान वैज्ञानिक और चिकित्सक

■ डॉ॰ मुहम्मद आज़म

अबू अली अल-हुसैन इब्ने सीना एक फ़ारसी वैज्ञानिक थे । वे इस्लामी स्वर्ण युग के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों और लेखकों में से एक माने जाते हैं । इब्ने सीना का जन्म सन 980 ईसवी में बुख़ारा के समीप एक गांव अफ़साना में हुआ था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है । उस समय यह क्षेत्र ईरानी समानीद साम्राज्य के अंतर्गत आता था । इब्ने सीना के पिता, अब्दुल्लाह एक प्रसिद्ध विद्वान थे और रियासत के किसी गांव के गवर्नर भी थे । उनका घर उस इलाक़े के विद्वानों के लिए एक बैठक स्थल था । इस प्रकार सीना को कम उम्र से विभिन्न विषयों पर बहस और चर्चाओं को खुलकर सुनने का मौक़ा मिला । दस साल की उम्र में इन्होंने क़ुरआन शरीफ़ याद कर लिया था ।

इब्ने सीना को लैटिन भाषा में एविसेना (Avicenna) के नाम से जाना जाता है । इब्ने सीना द्वारा लिखी गयी 450 किताबों में से 240 किताबें अभी मौजूद है, जिनमें 150 दर्शनशास्त्र पर और 40 किताबें चिकित्सा विज्ञान पर आधारित हैं । उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबें 'द बुक ऑफ़ हीलिंग' (किताब अल-शिफ़ा) और 'द केनन ऑफ़ मेडिसिन (अल-क़ानून फ़ी अल-तिब्ब) है । 'द बुक ऑफ़ हीलिंग जैसा कि इस किताब का शीर्षक है, यह किताब चिकित्सा पर आधारित न होकर एक दार्शनिक और वैज्ञानिक इन्साइक्लोपीडिया है । यह किताब चार भागों में विभाजित है, पहला भाग 'तर्क', दूसरा भाग 'प्राकृतिक विज्ञान', तीसरा भाग 'गणित' और चौथा भाग 'तत्व मीमांसा' (Meta-physics) है । 'द केनन ऑफ़ मेडिसिन' एक मेडिकल इन्साइक्लोपीडिया है ।

'द केनन ऑफ़ मेडिसिन' यूरोप और इस्लामी दुनिया में कई विश्व विद्यालयों में प्रारंभिक आधुनिक काल तक एक मानक चिकित्सा पाठ्य-पुस्तक के रूप में पढ़ायी जाती रही । यूनानी चिकित्सा में आज भी यह एक महत्वपूर्ण किताब है । इस किताब में तपेदिक रोग के संक्रामक स्वभाव की पहचान करना, मिट्टी और पानी के माध्यम से बीमारियों का फैलना और किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और उसके मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध तथा मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है । इब्ने सीना ने 760 ऐसी दवाइयों को सूचीबद्ध किया जो उस समय चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध थी । उन्होंने फ़ारसी में नब्ज़ (Pulse) के विषय पर एक संक्षिप्त पुस्तक भी लिखी । इब्ने सीना पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा को चिकित्साशास्त्र की स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने का तर्क दिया । सर्वप्रथम इब्ने सीना द्वारा यह बताया गया की प्लेग महामारी चूहों द्वारा फैलती है ।

इब्ने सीना ने खगोल विज्ञान में इस तथ्य को स्पष्ट किया कि शुक्र ग्रह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से ज़्यादा क़रीब है । इब्ने सीना ने अपनी किताब "किताब अल-शिफ़ा" में मौसम विज्ञान के बारे में भी लिखा । वहां उन्होंने बादलों और बारिश के निर्माण, इंद्रधनुष, धूमकेतु और उल्कापात के कारणों पर चर्चा की । सन 1965 में टोलमैन और गुडफ़ील्ड नाम के दो वैज्ञानिकों ने भूविज्ञान में इब्ने सीना के योगदान पर टिप्पणी की थी कि इब्ने सीना ने 1000 ईसवी में पर्वतों की शृंखला की उत्पत्ति पर आधारित एक अवधारणा प्रस्तुत की थी जो ईसाई दुनिया में 800 साल बाद भी प्राथमिक स्तर पर है ।

दर्शन और चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त इब्ने सीना ने खगोल विज्ञान, एल्केमी, भूगोल, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, इस्लामी धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित और भौतिकी में भी अध्ययन कार्य किया । उनकी अन्य प्रमुख किताबों में किताब अल-निजात (द बुक ऑफ़ देलीवेरांस), अल-इशारत वल-तमभीआत (द बुक ऑफ़ डिरेक्टिव्स एंड ट्रीटमेंट्स), यूयन अल-हिकमह (फाउंडेशन ऑफ़ विजडम) और किताब अल-हिदायह (द बुक ऑफ़ गाइडेंस) शामिल हैं । जून 1037 में 58 वर्ष की आयु में इब्ने सीना का निधन हो गया । उन्हें हमदान में दफ़नाया गया जो कि वर्तमान में ईरान में है ।

इब्ने सीना की किताबों को बारहवीं शताब्दी के मध्य और तेरहवीं शताब्दी के बीच लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया था । जिससे यह महत्वपूर्ण ज्ञान पश्चिम देशों के वैज्ञानिकों को उपलब्ध हो पाया । सन 1980 में सोवियत संघ (जबकि उस समय बुख़ारा सोवियत संघ में था) ने कलात्मक चित्रों के साथ विभिन्न स्मारक टिकटों को परिचालित करके और सोवियत विद्वानों द्वारा मानव विज्ञान अनुसंधान के आधार पर इब्ने सीना को पर्याप्त सम्मान देकर उनके जन्म की हज़ारवीं वर्षगांठ मनायी थी ।

हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.00
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.00
एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.00
एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फारूक खाँ	40.00
परलोक की छाया में	मुहम्मद फारूक खाँ	90.00
पहेली जीवन की	मुहम्मद फारूक खाँ	12.00
रिसालत	मुहम्मद फारूक खाँ	45.00
लोगोः हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
खुदा की गुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
सोचने की बातें	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	10.00
मानव जीवन और परलोक	शोबा-ए-दावत	24.00
मुक्ति-मार्ग	इनामुर्रहमान खाँ	10.00
मौत के बाद क्या?	डॉ० शाहिद अली	10.00
मरने के बाद क्या होगा?	बिन्तुल इस्लाम	60.00
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन खाँ	22.00
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पाकेट साइज़)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	64.00
रमज़ान कैसे गुज़ारें?	खुर्रम मुराद	26.00
रोज़ा और उसका असली मक़्सद	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
इबादत	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	20.00
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इमान की कसौटी	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00
खुतबाते हरम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	14.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

आख़िर क्यों ?

■ अरशद सिद्दीक़ी

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है । गांधी जी ने यहां मांगें मनवाने के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाया और नमूना पेश किया । उसी मॉडल पर देश भर में भ्रष्टाचार, महंगाई, शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था और हड़तालें की जा रही थीं ।

'हड़ताल' एक ऐसा शब्द है, जिसकी व्याख्या किये बिना ही व्याख्या हो जाती है । हमें यूं तो कभी हड़ताल में भाग लेने का संयोग नहीं मिला, लेकिन हड़तालें बार-बार हमारे गले पड़ती रहीं । लोकतंत्र के बारे में हमने यह भी सुन रखा था कि इसमें हर किसी को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन जब हड़ताल से सामना हुआ और हमने इसके सैलाब में दुकानदारों, मकानदारों, जानदारों और बेजानों को तिनके की तरह बहता हुआ देखा तो विश्वास करना पड़ा कि ज़मीनी सच्चाई कुछ और है ।

हुआ यह था कि एक राजनीतिक दल ने अख़बारों और रंगीन हैंड बिलों के माध्यम से यह घोषणा की थी कि आज हड़ताल होगी और जनता से हड़ताल की सफलता के लिए अपील की गयी थी । मैं समझ गया कि यह हड़ताल सरकार के कामों और उसकी नीतियों के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है । विपक्षी दल ही हड़ताल करते हैं और सत्ता पक्ष के विरुद्ध ही करते हैं । हमने विपक्षी दलों को कभी चोर बाज़ारों, भ्रष्टाचारियों, हत्यारों, बलवाइयों या समाज में फैली नैतिक बुराइयों और गंदगियों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते या हड़ताल करते नहीं देखा । न ही किसी राजनीतिक दल को भलाई फैलाने और बुराई को रोकने के लिए काम करते देखा । बस यह कि सरकार के विरुद्ध जनमत बनाने के लिए ही राजनीतिक दल हड़ताल करते रहे हैं ।

आज होने वाली हड़ताल पर हमने अधिक ध्यान नहीं दिया, वैसे भी जिस पार्टी ने हड़ताल की घोषणा की थी वह खुद भ्रष्टाचार, देश की संपत्ति की लूट के मामले में बदनाम थी । ऐसी पार्टी की हड़ताल की सफलता संदिग्ध थी, इसलिए मैं दूसरे कामों में लग गया और हड़ताल को एक तरह से भूल गया । शाम को अचानक किसी काम से बाज़ार जाना पड़ा तो देखा कि कुछ दुकानें जो आज खुली होनी चाहिए थीं बन्द हैं, लेकिन बाज़ार की दूसरी दुकानें खुली हुई थीं । चूंकि हड़ताल करने वाले खुद भ्रष्ट और जनसंपत्ति के लुटेरे हैं इसलिए जनता हड़ताल के पक्ष में नहीं थी ।

हम दूसरी दुकान की ओर बढ़ ही रहे थे कि सड़क पर कोई 200 लोगों की भीड़ दिखायी दी, जो दुकानदारों से दुकानें बन्द करने और हड़ताल में शरीक होने का आग्रह कर रही थी । भीड़ के आगे-आगे कुछ नेता टाइप लोग चल रहे थे, जो दुकानदारों को समझाने-बुझाने और डराने-धमकाने का काम कर रहे थे । एक दुकानदार जो संभवतः किसी दूसरी पार्टी का था, उसने अपनी दुकान बन्द करने से साफ़ इन्कार कर दिया और कहा कि उसे ऐसे किसी आन्दोलन में कोई रुचि नहीं है । नेता ने पहले तो यह कहा कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाबाज़ारी और महिला अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब दुकानदार नहीं माना तो उसने अपने कार्यकर्ताओं को हल्का-सा इशारा कर दिया । फिर क्या था, देखते ही देखते भीड़ ने दुकान को तहस-नहस करके रख दिया । यह ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गयी और फिर धड़ा-धड़ दुकानें बन्द होने लगीं । दुकान का सामान रास्ते पर बिखरा पड़ा था और महंगाई का रोना रोने वाले उन्हें पैरों तले रौंद रहे थे ।

फिर किसी ने मेरा हाथ खींच कर मुझे भी भीड़ में शामिल कर लिया । मैं जानता था कि आपत्ति करना बेकार है, इसलिए भीड़ में घिसटता चला गया । मैंने देखा कि हमारे चारों ओर ऐसे ही लोग हैं, जो उस भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, उनके चेहरों से स्पष्ट था कि उनके पास कोई महत्वपूर्ण काम है, लेकिन वे उन्हें छोड़ने को मजबूर कर दिये गये हैं । चलते-चलते भीड़ एक मैदान में पहुंची तो वहां एक जनसभा शुरू हो गयी और हम किसी तरह मौक़ा पाकर भाग निकले ।

घर पहुंचे ही थे कि बेगम ने सवाल दाग़ दिया : आख़िर घर कैसे चलाया जाए, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है ? जो रक़म आप देते हैं, उससे घर का बजट पूरा नहीं होता ।

मैंने भी हैरानी से पूछा : क्यों क्या बात हो गयी, जैसे पहले पूरा होता था, वैसे ही होगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है ? बेगम ने चिढ़कर कहा : आपको पता भी है कि हर चीज़ के दाम आसमान से बातें करने लगे हैं । सब्ज़ी, तेल, चावल, चीनी, बिजली, पानी, गैस, स्कूल फ़ीस सबके दाम इतने बढ़ गये हैं कि अब बजट में आधा भी नहीं आता । आख़िर ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं ।

मैं बेगम के इस सवाल का भला क्या जवाब देता, वे खुद कहने लगीं : सुना है बड़ी कंपनियां मुंह मांगे दाम देकर किसानों की ज़मीनें ख़रीदती जा रही हैं और किसान ज़मीन बेच-बेचकर शहर की ओर आ रहे हैं । इससे फ़सल प्रभावित होती है और दाम बढ़ रहे हैं ।

मैंने कहा : तुम तो फ़िलास्फ़र होती जा रही हो, कितनी आसानी से समझा दिया कि हर चीज़ का दाम क्यों बढ़ रहा है । दाम बढ़ाने में किनका हाथ है–किसानों का, किसान ज़मीन पर खेती करते तो फ़सल होती । किसान गन्ना उगाता तो चीनी मील को गन्ना मिलता और चीनी बाज़ार में आती तो उसके दाम गिरते । सब ग़लती किसानों की है । हमने ज़ोर से सिर हिलाकर कहा–इतने में बेगम के भाई वहां पहुंच गये और हमारी बात सुनकर बोल पड़े–

नहीं भाईजान, आपकी बात सही नहीं है । महंगाई किसानों के कारण नहीं बढ़ रही, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियां किसानों से सारा माल ख़रीदकर जमाख़ोरी कर रही हैं । इससे बाज़ार में अभाव की स्थिति हो गयी है । दाम चढ़ रहे हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं कि थोक बाज़ार में माल नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वह महंगे दाम पर मिल रहा है, दूसरी ओर खुदरा बाज़ार में चीज़ों का मूल्य बड़ी कंपनियों की ओर कम निर्धारित की गयी है और ग्राहक उन्हीं दुकानों से सामान ख़रीद रहे हैं । छोटे व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहक कम आते हैं । बड़े गोदामों में माल रखने वाले पूंजीपतियों और बिग बाज़ार जैसे स्टालों पर भीड़ देखी जा रही है । छोटी दुकानों से सामान ख़त्म होते ही ये दाम बढ़ा देते हैं और बनावटी कमी पैदा करके महंगाई बढ़ रहे हैं । किसानों को आरोप देना ठीक नहीं ।

हमने महसूस किया कि बेगम अपने भाई की बात से काफ़ी प्रभावित है । हमने तुरंत सवाल दाग़ दिया, लेकिन बड़ी कंपनियों के मालिकों को आप कैसे पकड़ पाएंगे । वे तो एस॰ई॰जेड, एफ॰डी॰आई॰ जैसे क़िलों में सुरक्षित बैठे हैं, उन्हें सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं । पुलिस भी उन पर हाथ नहीं डाल सकती ।

सरकार को ग़रीबों की बेबसी और अनाथों और विधवाओं की पुकार से क्या सरोकार ? देश की 80 प्रतिशत आबादी के ग़रीबी रेखा से नीचे रहने से क्या सरोकार । देश की 80 प्रतिशत आबादी के ग़रीबी रेखा के नीचे रहने से क्या मतलब । कहते हैं कि पूंजीपति देशों ने वर्ल्ड बैंक से ब्याज पर क़र्ज़ा दे-देकर अपना ग़ुलाम बना लिया है । सभी देशों में अपनी पसन्द के लोगों की सरकार बनाकर उनके माध्यम से बेतहाशा क़र्ज़ देकर जन्म लेने वाले बच्चों तक को क़र्ज़दार बना दिया है ।

अब सत्ता में बैठे लोग उन पूंजीपति देशों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे रहे हैं । किसानों को अपनी ज़मीनें सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर कर रहे हैं । जहां ये कंपनियां अपने व्यवसाय स्थापित कर रही हैं वहां नदी का पानी भी उनको बेचा जा रहा है, जिसे वे कंपनियां बोतलों में बन्द कर महंगे दामों में बेच रही हैं । चारों ओर लूट मची है, हाहाकार है ।

बेगम ने मुझसे कहा : सुना आपने नदीम भाई क्या कह रहे हैं ? बात तो रही मालूम होती है । आप क्यों नहीं अपने लेखन से जनजागरूकता पैदा करते हैं, क्यों नहीं पूंजीपतियों की पोल खोलते हैं ?

हम बग़लें झांकने लगे । आख़िर हमारे कर्ताधर्ता लोगों को ये सब कुछ क्यों दिखायी नहीं देता । हर बार ये जनता को मूर्ख बनाकर उनका वोट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं । हम झुंझला उठे । आख़िर यह जनता भी हर बार मूर्ख क्यों बन जाती है, आख़िर क्यों ?

25 yrs. Service (Regd.)
AL KAUSAR HOLY HERBAL
HOSPITAL & RESERCH CENTRE
(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)
Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**
Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)
Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India
Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)
Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days
(Rooms available)
Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

अपराध के दायरे में आएंगी फेक न्यूज़

● संपादन प्रभाग

फ़र्ज़ी ख़बरें यानी फेक न्यूज़ अब हर तरफ़ दिखने लगी हैं । फ़र्ज़ी ख़बर वह सूचना है, जो तथ्यात्मक रूप से ग़लत होती है, पर उसका प्रसार इतनी कुशलता से किया जाता है कि वह बख़ूबी लक्षित समूह को ग़लत सूचना देने और उसकी धारणा व सोच को प्रभावित करने में सफल होती है । आज हम एक ऐसा देश हैं, जहां इंटरनेट का उपयोग करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी बसती है । मगर तेज़ी से बढ़ रहे डिजिटल अंधानुकरण भी हमारी सच्चाई बनती जा रही है । अब हम इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के साथ अधिक से अधिक प्रयोग करते दिखने लगे हैं । 'फेक न्यूज़' प्रिंट माध्यम में भी रही है, पर इसकी पहुंच अपेक्षाकृत काफ़ी सीमित थी । इंटरनेट के आगमन ने पूरा पासा पलट दिया ।

डिजिटल क्रांति से न सिर्फ़ भौगोलिक इतिहास बदल गया, बल्कि इसने हर यूजर को वैश्विक लेखक, वैश्विक प्रसारक और वैश्विक प्रेषक बना दिया है । रही-सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी । यह लोगों को अपने विचारों को तुरंत प्रकाशित और प्रसारित करने की आज़ादी देता है । इससे अवसर के नये दरवाज़े तो खुले, पर ग़लत प्रवृत्ति भी बढ़ी । अब लोग न सिर्फ़ हर तरह की सामग्री सोशल साइट्स पर परोसने लगे हैं, बल्कि अपनी पोस्ट को लेकर वे लापरवाह भी दिखते हैं । वे सूचनाओं की प्रामाणिकता, सच्चाई व विश्वसनीयता को जांचे बिना दूसरे लोगों के साथ उसे साझा करने, फॉरवर्ड करने और फिर से पोस्ट करने में लगे हैं । इस प्रवृत्ति ने फ़र्ज़ी ख़बरों में अच्छी-ख़ासी तेज़ी ला दी है ।

ऐसा नहीं है कि सर्विस देने वाली कंपनियां या विभिन्न संस्थाएं फ़र्ज़ी ख़बरों से निबटने के लिए अपने तईं प्रयास नहीं कर रहीं । कुछ ने तो फ़र्ज़ी ख़बरों के ख़िलाफ़ अभियान भी चलाया है । मगर ऐसे प्रयासों का अब तक सार्थक नतीजा नहीं निकल सका है । भारत में फ़र्ज़ी ख़बरों से निबटना अब तक इसलिए संभव नहीं हो सका है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में ऐसी किसी स्थिति का ज़िक्र ही नहीं है । यह वही अधिनियम है, जिसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के डाटा और सूचनाओं से निबटने का 'मूल क़ानून' माना जाता है । यह एक ख़ास तरह का क़ानून है और इसके प्रावधान मौजूदा समय में लागू इस विषय से संबंधित अन्य क़ानूनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

साल 2000 में यह अधिनियम पारित हुआ था और अब तक सिर्फ़ एक बार 2008 में इसमें संशोधन किया गया है, पर 'फेक न्यूज़' से निबटने का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान इसमें दर्ज नहीं किया जा सका । हां, ऐसी ख़बरों से निबटने का एक उपाय ज़रूर है । सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित करके भारतीय दंड संहिता 1860 में भी रद्दोबदल किया गया था और उसमें धारा 468 और 469 के तहत

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया–
"आपमें से कोई भी व्यक्ति सही ईमान वाला नहीं है जब तक कि वह अपने मां, बाप, अपने परिवार और हर एक अन्य से भी अधिक मुझसे मुहब्बत न रखे ।"

A Well Wisher
AURANGABAD (MHR)

इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं की जालसाज़ी जैसे नये अपराध शामिल किये गये थे । लिहाजा फेक न्यूज़ को भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई फ़र्ज़ी ख़बर गढ़ता है, तो वह एक फ़र्ज़ी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ भी है, और वह दस्तावेज़ एक ऐसा फ़र्ज़ी 'कंटेट' होता है, जिसे आमतौर पर सच या प्रामाणिक सूचना के तौर पर पेश किया जाता है ।

सवाल यह है कि फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार का दोषी किसे माना जाए ? क्या उस शख़्स को, जिसने उसे गढ़ा या उस व्यक्ति को, जिसने उसे प्रसारित किया ? क्या ज़िम्मेदारी सेवा देने वाली कंपनी की मानी जाएगी या सोशल मीडिया का मंच भी जवाबदेह होगा ? क़ानून इन सवालों को लेकर मौन है । मगर मेरा मानना है कि फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रचार-प्रसार की जवाबदेही समान रूप से सभी पर होनी चाहिए । आज ज़रूरी यह है कि फ़र्ज़ी ख़बरों को जो कोई भी गढ़ता हो, उस पर सख़्त कार्रवाई की जाए । इसके अलावा, उन लोगों को भी पकड़ने की ज़रूरत है, जो ऐसी ख़बरें फैलाते हैं, साझा करते हैं या अपने सोशल मंच पर पोस्ट करते हैं । तर्क ये दिये जाते रहे हैं कि फ़र्ज़ी ख़बरों को प्रसारित करने वालों पर ऐसी ख़बरें गढ़ने वालों की तुलना में कम आपराधिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए । मगर यह तर्क गले नहीं उतरता । क्या फ़र्ज़ी ख़बरों को प्रसारित करने वालों को तथ्यों की प्रामाणिकता जांचने के बाद ही ऐसी ख़बरें पोस्ट नहीं करनी चाहिए ?

इसी तरह, सेवा देने वाली कंपनियों को भी अपने दायित्वों के निर्वहन में संजीदगी दिखानी होगी । सरकार ने इस दिशा में कुछ मापदंड ज़रूर बनाए हैं । मगर ये मापदंड 2011 में बनाए गये थे, जो बदलते वक़्त के साथ अप्रासंगिक हो गये हैं । इसके अलावा, मुश्किल यह भी है कि फ़र्ज़ी ख़बरों के जुड़े प्रावधान सीधे तौर पर ऐसे किसी मापदंड में शामिल नहीं किये गये हैं । अगर भारत फ़र्ज़ी ख़बरों के ख़िलाफ़ जंग जीतना चाहता है, तो उसे अपने नज़रिये में बदलाव लाना होगा ।

फ़र्ज़ी ख़बरों में यह ताक़त होती है कि वे लोगों के सम्मान, नज़रिये और प्रतिष्ठा को मटियामेट कर दे । इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल साइबर मानहानि के एक औजार के रूप में होता है और ऐसी ख़बरें प्रसारित करके संबंधित व्यक्ति को ख़ूब प्रताड़ित किया जाता है । साफ़ है, इसे रोकने के लिए हमारे नीति-नियंताओं को ख़ासा सक्रिय होना होगा ।

भारतीय साइबर क़ानून को न सिर्फ़ संशोधित करना होगा, बल्कि उसमें ऐसे प्रावधान भी जोड़ने होंगे, जो फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार पर बंदिश लगा सके । ज़िम्मेदारी सेवा देने वाली कंपनियों की भी होनी चाहिए कि वे अपने मंच को दुष्प्रचार का माध्यम नहीं बनने दें । वक़्त का तक़ाज़ा यही है कि फ़र्ज़ी ख़बरें गढ़ने वालों को यह सख़्त संदेश दिया जाए कि यदि वे ऐसी कोई हरकत करते हैं, तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहें । 'फेक न्यूज़' एक गंभीर चुनौती है और इसे रोकने के लिए प्रभावी क़दम नहीं उठाए गये, तो हालात बदतर हो सकते हैं ।

दारुल मुसन्निफ़ीन का हिन्दी प्रकाशन

1.	अरब और हिन्द के ताल्लुक़ात	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	200/-
2.	अल-फ़ारूक़	–अल्लामा शिब्ली नोमानी	450/-
3.	रहमत-ए-आलम	–सैयद सुलैमान नदवी	60/-
4.	उत्तम आदर्श	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	125/-
5.	मुहम्मद शिब्ली नोमानी	–डॉ॰ बाबर अशफ़ाक़ ख़ान	80/-
6.	हज़रत आयशा (रज़ि॰) की जीवनी	–मौलाना सुलैमान नदवी	230/-
7.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-1	–सैयद सबाहुद्दीन	125/-
8.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-2	–सैयद सबाहुद्दीन	180/-
9.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-3	–सैयद सबाहुद्दीन	225/-

पता : दारुल मुसन्निफ़ीन शिब्ली एकेडमी, आज़मगढ़ (यू॰पी॰) 276008

Cont. : Fakharul Islam Sb., Mob. : 9935233940

बाढ़ व जल जमाव क्षेत्रों में भी हो सकती है बेहतर खेती

■ भारत डोगरा

देश का एक बड़ा भाग प्रतिवर्ष बाढ़ व जल-जमाव से प्रभावित रहता है । निश्चय ही यहां की स्थितियां खेती के लिए प्रतिकूल हो जाती है, पर जहां चाह वहां राह । कुछ किसानों व विशेषज्ञों ने प्रतिकूल स्थितियों में भी बेहतर खेती की राह निकाली है । ऐसे ही एक किसान हैं हूबलाल चौहान ।

मनोहरचक ग्राम (ज़िला महाराजगंज) के आदर्श किसान हूबलाल चौहान ने अपने प्रयोगों से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर खेती की राह निकाल ली है । हूबलाल ने बताया कि उनके पास जो डेढ़-दो एकड़ ज़मीन है, वह ऊपरी, नीची व सबसे नीची तीन भागों में बंटी है । इस ज़मीन का वे इस तरह उपयोग करते हैं कि कम से कम ख़र्च में पर्याप्त अनाज के साथ अनेक सब्जियों का उत्पादन हो जाता है । ऊपर की ज़मीन में धान की शीघ्र पकने वाली फ़सल लगाकर वे इसके बाद गोभी लगाने की तैयारी करते हैं । इसके बाद इस ज़मीन पर बीच में मिर्चा लगेगा व आसपास भिंडी व अन्य फ़सलें लगाते हैं ।

नीचे की ज़मीन जल-जमाव से प्रभावित हैं तो इसके लिए भी हूबलाल ने राह निकाल ली है । वे जूट की बोरियों में कंपोस्ट खाद वाली मिट्टी भरकर उसमें ऐसी सब्ज़ियां लगाते हैं जो बेल पर उगती हैं । इन बोरियों को जल-जमाव में रखने से इन बेलों को धीरे-धीरे नमी मिलती है । जब बेलें बड़ी होती हैं तो ऊपर की ओर बढ़ती हैं व जल-जमाव के प्रतिकूल असर से बचती रहती हैं । जब तक बेलों पर लौकी आदि फ़सल तैयार होती है, तब तक जल-जमाव हट जाता है तब इस ज़मीन पर अन्य फ़सलें भी उगाई जाती हैं ।

सबसे निचली ज़मीन दो नदियों के पास होने के कारण उसमें नमी भी है और नदियों से सीधा पानी मिल जाता है । उसमें गेहूं की अच्छी खेती हो जाती है । हूबलाल की खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं होता है । वे खेत पर ही कंपोस्ट खाद व कीड़ों से रक्षा की दवा तैयार करते हैं । गोरखपुर एंवायीमेंट एक्शन ग्रुप संस्था के संपर्क में आने के बाद उन्होंने जैविक खेती को पूरी तरह अपना लिया व 2-3 वर्षों में अपनी खेती को जैविक पद्धति पर ले आए ।

कृषि विशेषज्ञ रवि मिश्रा के अनुसार हूबलाल अपनी एक एकड़ भूमि से (जिसमें से एक तिहाई भूमि जल-जमाव से प्रभावित होने जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद) एक वर्ष में 27 विभिन्न फ़सलें उगाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इस तरह से 40,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय के साथ अपने परिवार की पोषण ज़रूरत भी पूरी कर पा रहे हैं । पपीते के दो ही पेड़ों से हूबलाल ने 1800 रुपये की आय प्राप्त की है । जहां हूबलाल जैसे किसानों के व्यावहारिक ज्ञान से सीखना चाहिए, वहां स्वर्गीय डॉक्टर आर॰एच॰ रिछारिया जैसे विख्यात कृषि वैज्ञानिक की सलाह से भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को काफ़ी लाभ मिल सकता है । डॉक्टर रिछारिया ने जिस कृंतक प्रसार विधि या क्लोनल प्रोपेगेशन टेक्नॉलोजी का सुझाव दिया, वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष तौर पर उपयोगी है ।

डॉक्टर रिछारिया ने बताया कि इस विधि को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है तथा साथ में चावल के कृंतकों में जलमग्नता सहने की प्रतिरोधक शक्ति होती है । अतः इनका उपयोग बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विशेष उपयोगी है । अनेक बार चावल के खेत बाढ़ के कारण फ़सल के आरंभिक दिनों में डूब जाते हैं जिसके कारण दुबारा पौध लगाना आवश्यक होता है, पर सामान्य पौध के अभाव में चावल के खेत ख़ाली ही रह जाते हैं । ऐसी स्थिति में बाढ़ से बचे खेतों की बढ़ी हुई पौध को कृंतक के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है । (विविधा फ़ीचर्स)

असर

"अगर तुम्हारा बेटा गुटखा, पान मसाला खाने लगे तो तुम क्या करोगे ?" एक दिन मैंने बातों ही बातों में यूं ही मुकेश से पूछ लिया ।

"मैं ! मैं उसे पहले रंगे हाथों पकड़ना चाहूंगा और फिर दो थप्पड़ ऐसे लगाऊंगा उसके गाल पर कि वो ज़िन्दगी भर पान मसाला का नाम नहीं लेगा ।"

"और अगर फिर भी वो इस बुरी लत को न छोड़ सके तो...?" "अरे छोड़ेगा कैसे नहीं ! मैं उसका बाप हूं या वो मेरा बाप है ?"

मैं और मुकेश एक ही दफ़्तर में काम करते हैं । एक दिन मुकेश मेरे केबिन में आया और कहने लगा, "यार जितेन्द्र, तुम्हारी भाभी ने बताया कि मेरा बेटा अमन आजकल बीड़ी-सिगरेट पीने लगा है । यह सुनते ही मैं आग बबूला हो गया । जी मैं आया कि उसकी जमकर पिटाई कर डालूं लेकिन वो बुख़ार में तप रहा है । तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं ?"

मैंने मुकेश से कहा, "कोई बात नहीं । तुम्हारा आज रात का खाना मेरे यहां होगा और हां, अपने साथ अमन को ज़रूर लाना । ध्यान रहे कि उसे तुम कुछ भी नहीं कहोगे । ठीक है ।"

अपनी पत्नी और बेटे अमन के साथ मुकेश मेरे घर शाम को पहुंच गये । हम सभी ने साथ-साथ खाना खाया । मैंने अमन से उसके स्कूल और पढ़ाई के बारे में बातचीत की । मुकेश ने इशारों से मुझे कहना चाहा कि मैं अमन से उस बारे में भी बात करूं ।

मैंने बातचीत शुरू की । मैंने मुकेश से कहा, "अरे यार, सुनो । हमारे कार्यालय में जगदीश है न ! उनका बेटा ग़लत आदतें सीख गया है । वो गुटखा और पान मसाला खाने लगा है । वो बच्चा है । उसे अभी इस बात की समझ नहीं है कि वो कितनी बड़ी ग़लती कर रहा है । अगर जगदीश को पता चल जाए कि उसका बेटा ग़लत आदतों का शिकार हो गया है तो उसे बहुत दुख होगा न ! वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है । यार मुकेश, क्या तुम उसे समझाओगे ? हर बच्चे के मां-बाप की इच्छा होती है उनका बच्चा एक अच्छा इन्सान बने ।"

"हां । मैं जगदीश से कहूंगा कि वो अपने बच्चे को समझाए ।" मुकेश ने कहा ।

"अरे नहीं यार, जगदीश को नहीं बताना है । पहले बच्चे को समझाओ । हो सकता है कि वह ग़लती से बुरी आदतों का शिकार हो गया हो । वो अच्छा बालक है और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे समझाने से आगे से पान मसाला व गुटखा वग़ैरह का इस्तेमाल नहीं करेगा ।" मैंने ज़ोर देकर कहा ।

मुकेश अपने बेटे सहित खाना खाकर वापस अपने घर चले गये । मैंने ध्यान दिया और महसूस किया कि अमन हमारी बातें ग़ौर से सुन रहा था । हमारी बातों का उस पर असर होगा, ऐसा मेरा विश्वास था और मेरा विश्वास ठीक निकला । एक हफ़्ते बाद मुकेश ने बताया कि अमन को उसने उसके बाद फिर कभी गुटखा खाते या बीड़ी-सिगरेट पीते नहीं देखा ।

● **मनोहर चमोली 'मनु'**

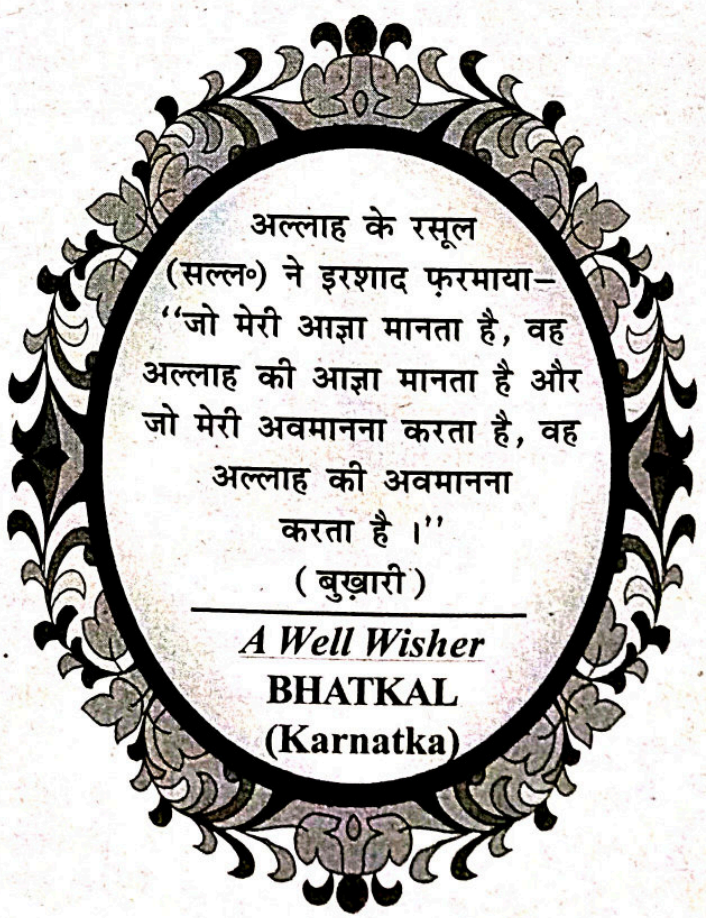

जलवायु



किसी जगह की जलवायु कुछ बातों पर निर्भर करती है–जैसे वह जगह समुद्र से कितनी दूर है और उसके आसपास पहाड़ हैं या जंगल या रेगिस्तान ।

अलग-अलग स्थानों की विशेष जलवायु को अलग-अलग नाम भी दिए गये हैं । जैसे टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु जो उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर के आसपास होती है । यहां साल के अधिकतर समय बर्फ़ जमी रहती है केवल गर्मियों के दिनों में ही हल्की हरियाली देखने को मिलती है पर गर्मियां भी काफ़ी शीतल होती हैं ।

सर्द या पर्वतीय जलवायु ध्रुवीय जलवायु से गर्म होती है पर यहां कम से कम छह महीने कड़ी सर्दी पड़ती है । पर्वतों पर बर्फ़ जमी रहती है और नुकीले आकार के वृक्षों, जैसे देवदार व चीड़, के वन पाए जाते हैं । गर्मी के मौसम में बारिश होती है और कोहरे व बर्फ़ के कारण काफ़ी नमी बनी रहती है ।

शीतोष्ण जलवायु वह होती है जहां गर्मी, सर्दी या वर्षा ज़्यादा नहीं होती । यूरोप का पश्चिमी तट इस जलवायु का सबसे अच्छा उदाहरण है । यहां साल भर हल्की वर्षा होती रहती है और चार मौसम होते हैं–गर्मी, सर्दी, पतझड़ तथा वसंत । उत्तरी अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के कुछ हिस्सों में भी यह मौसम पाया जाता है ।



भूमध्य सागरीय जलवायु विशेष प्रकार की जलवायु है जिसमें गर्मियां सूखी और गर्म होती हैं तथा सर्दियों में वर्षा होती है । जहां वर्षा अधिक होती है वहां घने वन पाए जाते हैं । भूमध्यसागर के निकटवर्ती स्थानों के अतिरिक्त यह जलवायु दक्षिण अफ़्रीक़ा, चिली, मध्य-पूर्व और आस्ट्रेलिया के तटवर्ती हिस्सों में भी पायी जाती है ।

गर्म जलवायु में मौसमं सूखा रहता है । वर्षा या तो नहीं होती या बहुत कम होती है । दोपहर में दिन का तापमान बहुत अधिक होता है । अधिक सूखे स्थानों पर मरुस्थल पाया जाता है । कंम सूखे स्थानों पर घास के मैदान हो सकते हैं । अफ़्रीक़ा व मध्य-पूर्व के अधिकतर स्थानों तथा आस्ट्रेलिया व अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में यह मौसम पाया जाता है ।

इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में मिले-जुले मौसम पाए जाते हैं । भारत में ध्रुवीय छोड़कर बाक़ी चारों प्रकार के मौसम होते हैं तथा उत्तर भारत में छह ऋतुएं होती हैं ।

बर्फ़ क्यों गिरती है ?

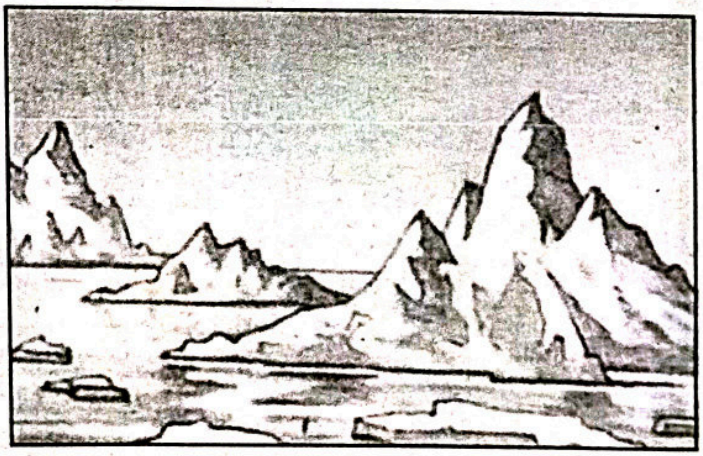

जब बादल का तापमान हिमांक से नीचे पहुंच जाता है तब वहां नन्हें-नन्हें हिमकण बनने लगते हैं । जब ये कण बादल से नीचे की ओर गिरते हैं तो वे एक-दूसरे से टकराते हैं और एक-दूसरे में जुड़ जाते हैं । इस प्रकार इनका आकार बड़ा होने लगता है । जितने ज़्यादा हिमकण आपस में जुड़ते हैं हिमकण का आकार उतना ही बड़ा होता जाता है । पृथ्वी



पर वे छोटे-छोटे रुई के फाहों के रूप में झरने लगते हैं । इन्हें हिमपर्त कहते हैं ।

ये हिमपर्त षटकोणीय होते हैं और कोई भी दो हिमपर्त आकार में एक से नहीं होते । काले चित्र में हिमपर्त के कुछ आकार दिखाए गये हैं । हिमकण प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए ये सफ़ेद दिखाई देते हैं । अगर हवा का तापमान हिमांक से नीचे न हो तो ये हिमकण गिरते समय पिघल जाते हैं । केवल सर्दी होने से बर्फ़ नहीं गिरती है । इसके लिए हवा में पानी के कण होना ज़रूरी है ।

गिरी हुई बर्फ़ कहीं बहुत हल्की तो कहीं बहुत गहरी भी हो सकती है । क्योंकि बर्फ़ हवा से उड़ती हुई इधर-उधर जाती है और एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है ।

गिरती हुई बर्फ़ हमेशा नर्म नहीं होती । कभी-कभी यह छोटे-छोटे पत्थरों के रूप में भी गिरती है । इन पत्थरों को ओले कहते हैं । इनमें बर्फ़ की कई सतहें होती हैं । अभी तक सबसे बड़ा ओला 1.2 किलो का पाया गया है ।

उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ के पहाड़ हैं । इन पहाड़ों से बर्फ़ के बड़े-बड़े टुकड़े अलग होकर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं । इन टुकड़ों को हिमशिला कहते हैं । बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि वह पानी से हल्की होती है ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

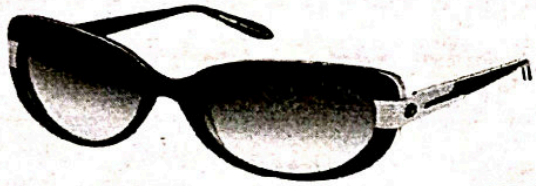



Asian Optics

a multibrand showroom

SNP Area, Sakchi ,Jsr.
2221184

Main Road, Golmuri ,Jsr.
2341175

CROWN©

DELTA

Makes your life easy

High Performance Mixer Grinder

750W HEAVY DUTY MOTOR | 365 DAYS WARRANTY | 3 JARS STAINLESS STEEL

CROWN©

DELTA

Makes your life easy

High Performance Mixer Grinder

750W HEAVY DUTY MOTOR | 365 DAYS WARRANTY | 3 JARS STAINLESS STEEL



A Quality Product From

CROWN®

CROWN©

RANGE OF PRODUCTS FANS

CEILING FAN

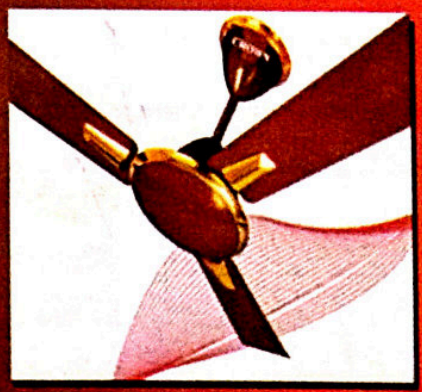



Table Fan



Tower Fan

NOT FOR COMMERCIAL USE

Posted on 20-21 December 2017
January 2018
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.12.2017
Total pages 52 with Cover

कान्ति

हिन्दी महिलाओं की मासिक पत्रिका

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

JAN जनवरी 2018 — ربیع الآخر/جمادی الاول ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
۲۶ جنوری یوم جمہوریہ 26th January Republic Day	1 ۱۳	2 ۱۴	3 ۱۵	4 ۱۶	5 ۱۷	6 ۱۸
7 ۱۹	8 ۲۰	9 ۲۱	10 ۲۲	11 ۲۳	12 ۲۴	13 ۲۵
14 ۲۶	15 ۲۷	16 ۲۸	17 ۲۹	18 ۳۰	19 انتقال ۱	20 ۲
21 ۳	22 ۴	23 ۵	24 ۶	25 ۷	26 ۸	27 ۹
28 ۱۰	29 ۱۱	30 ۱۲	31 ۱۳	۱۳ جنوری لوہڑی 13th January Lohri	۱۴ جنوری مکر سنکرانتی 14th January Makar Sankrant	۲۲ جنوری بسنت پنچمی 22nd January Basant Pancham

FEB فروری 2018 — جمادی الاول/ جمادی الآخرۃ ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
۱۳ فروری مہا شیوراتری 13th February Maha Shivratri	4 ۱۷	5 ۱۸	6 ۱۹	7 ۲۰	8 ۲۱	9 ۲۲
11 ۲۴	12 ۲۵	13 ۲۶	14 ۲۷	15 ۲۸	16 ۲۹	17 ۳۰
18 انتقال ۲	19 ۳	20 ۴	21 ۵	22 ۶	23 ۷	24 ۸
25 ۸	26 ۹	27 ۱۰	1 جمادی الثانی ۱۴	2 ۱۵	3 ۱۶	

MAR مارچ 2018 — جمادی الآخرۃ/رجب المرجب ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
یکم مارچ ہولی 1st March Holi ۲ مارچ ہولی	4 ۱۵	5 ۱۶	6 ۱۷	7 ۱۸	1 ۱۲	2 ۱۳ جمادی الثانی
11 ۲۲	12 ۲۳	13 ۲۴	14 ۲۵	15 ۲۶	8 ۱۹	9 ۲۰
18 ۲۹	19 انتقال ۱	20 ۲	21 ۳	22 ۴	15 ۲۶	16 ۲۷
25 ۷	26 ۸	27 ۹	28 ۱۰	29 ۱۱	30 ۱۲	31 ۱۳
۲۵ مارچ رام نومی 25th March Ram Naumi	۲۹ مارچ مہاویر جینتی 29th March Mahavir Jayanti	۳۰ مارچ گڈ فرائڈے 30th March Good Friday				

APR اپریل 2018 — رجب المرجب/شعبان المعظم ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
1 ۱۴	2 ۱۵	3 ۱۶	4 ۱۷	5 ۱۸	6 ۱۹	7 ۲۰
8 ۲۱	9 ۲۲	10 ۲۳	11 ۲۴	12 ۲۵	13 ۲۶	14 ۲۷
15 ۲۸	16 ۲۹	17 ۳۰	18 انتقال ۱	19 ۲	20 ۳	21 ۴
22 ۵	23 ۶	24 ۷	25 ۸	26 ۹	27 ۱۰	
29 ۱۲	30 ۱۳	۱۳ اپریل بیساکھی 13th April Baisakhi	۱۴ اپریل امبیڈکر جینتی 14th April Ambedkar Jayanti	۱۴ اپریل شب معراج 14th April Shab-e-Meraj	۳۰ اپریل بدھ پورنیما 30th April Budh Poornima	

MAY مئی 2018 — شعبان المعظم/رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
یکم مئی یوم مزدور 1st May Labour Day	6 ۱۹	7 ۲۰	8 ۲۱	9 ۲۲	10 ۲۳	11 ۲۴	12 ۲۵
۲ مئی شب برأت 2nd May Shab-e-Barat	13 ۲۶	14 ۲۷	15 ۲۸	16 ۲۹	17 انتقال ۱	18 ۲	19 ۳
20 ۴	21 ۵	22 ۶	23 ۷	24 ۸	25 ۹	26 ۱۰
27 ۱۱	28 ۱۲	29 ۱۳	30 ۱۴	31 ۱۵	1 رمضان ۱۴	2 ۱۵
3 ۱۶	4 ۱۷	5 ۱۸				

JUN جون 2018 — رمضان المبارک/شوال المکرم ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
۱۶ جون عید الفطر 16th June Eid-ul-Fitr	3 ۱۸	4 ۱۹	5 ۲۰	6 ۲۱	7 ۲۲	8 ۲۳	9 ۲۴
۸ جون جمعۃ الوداع 8th June Jumat-ul-Wida	10 ۲۵	11 ۲۶	12 ۲۷	13 ۲۸	14 ۲۹	15 ۳۰
16 انتقال ۱	17 ۲	18 ۳	19 ۴	20 ۵	21 ۶	22 ۷
23 ۸	24 ۹	25 ۱۰	26 ۱۱	27 ۱۲	28 ۱۳	29 ۱۴
30 ۱۵						

JUL جولائی 2018 — شوال المکرم/ذی قعدۃ ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
1 ۱۶	2 ۱۷	3 ۱۸	4 ۱۹	5 ۲۰	6 ۲۱	7 ۲۲
8 ۲۳	9 ۲۴	10 ۲۵	11 ۲۶	12 ۲۷	13 ۲۸	14 ۲۹
15 انتقال ۱	16 ۲	17 ۳	18 ۴	19 ۵	20 ۶	21 ۷
22 ۸	23 ۹	24 ۱۰	25 ۱۱	26 ۱۲	27 ۱۳	28 ۱۴
29 ۱۵	30 ۱۶	31 ۱۷				

AUG اگست 2018 — ذی قعدۃ/ذی الحجہ ۱۴۳۹ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
۱۵ اگست یوم آزادی 15th August Independence Day	5 ۲۲	6 ۲۳	7 ۲۴	8 ۲۵	9 ۲۶	10 ۲۷	11 ۲۸
۲۲ اگست عید الاضحیٰ 22nd August Eid-ul-Azha	12 ۲۹	13 انتقال ۱	14 ۲	15 ۳	16 ۴	17 ۵	18 ۶
۲۶ اگست رکشا بندھن 26th August Raksha Bandhan	19 ۷	20 ۸	21 ۹	22 ۱۰	23 ۱۱	24 ۱۲	25 ۱۳
1 ذی الحجہ ۱۸	26 ۱۴	27 ۱۵	28 ۱۶	29 ۱۷	30 ۱۸	31 ۱۹	

SEP ستمبر 2018 — ذی الحجہ/محرم الحرام ۱۴۴۰ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
30 ۲۰	2 ۲۱	9 ۲۸	16 ۷	23 ۱۴	24 ۱۵	25 ۱۶
۳ ستمبر جنم اشٹمی 3rd September Janam Ashtmi	3 ۲۲	10 ۲۹	17 ۸	24 ۱۴	25 ۱۵	26 ۱۶
۲۱ ستمبر یوم عاشورہ 21st September Yom-e-Ashora	4 ۲۳	11 انتقال ۱	18 ۸	25 ۱۵	26 ۱۶	27 ۱۷
۳۰ ستمبر بینک سول آف 30th September Bank Holy Day	5 ۲۴	12 ۲	19 ۹	26 ۱۶	27 ۱۷	28 ۱۸
6 ۲۵	13 ۳	20 ۱۰	27 ۱۷	28 ۱۸	29 ۱۹	30 ۲۰
7 ۲۶	14 ۴	21 ۱۱	28 ۱۸	29 ۱۹	30 ۲۰	1 ۲۱

OCT اکتوبر 2018 — محرم الحرام/صفر المظفر ۱۴۴۰ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
7 ۱۷	14 ۴	21 ۱۱	28 ۱۸	29 ۱۹	30 ۲۰	1 ۲۱
8 ۲۸	15 ۵	22 ۱۲	29 ۱۹	30 ۲۰	31 ۲۱	1 ۲۱
9 ۲۹	16 ۶	23 ۱۳	30 ۲۰	31 ۲۱	1 ۲۲	2 ۲۲
10 ۳۰	17 ۷	24 ۱۴	31 ۲۱	1 ۲۲	2 ۲۳	3 ۲۴
11 انتقال ۱	18 ۸	25 ۱۵	2 ۲۳	3 ۲۴	4 ۲۵	5 ۲۶
۲ اکتوبر گاندھی جینتی 2nd October Gandhi Jayanti						
12 ۲	19 ۹	26 ۱۶	27 ۱۷	۱۹ اکتوبر دسہرہ 19th October Dasehra		
13 ۳	20 ۱۰	27 ۱۷				

NOV نومبر 2018 — صفر المظفر/ربیع الاول ۱۴۴۰ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
۷ نومبر دیوالی 7th November Deepawali	4 ۲۵	5 ۲۶	6 ۲۷	7 ۲۸	8 ۲۹	9 ۳۰	10 ۱
۹ نومبر بھیا دوج 9th November Bhayya Dooj	11 ۲	12 ۳	13 ۴	14 ۵	15 ۶	16 ۷	17 ۸
۲۱ نومبر میلاد النبی 21th November Meladunnabi	18 ۹	19 ۱۰	20 ۱۱	21 ۱۲	22 ۱۳	23 ۱۴	24 ۱۵
۲۳ نومبر گرو نانک جینتی 23rd November Guru Nanak Jayanti	25 ۱۶	26 ۱۷	27 ۱۸	28 ۱۹	29 ۲۰	30 ۲۱	1 ۲۲
2 ۲۳	3 ۲۴	4 ۲۵	5 ۲۶	6 ۲۷	7 ۲۸	8 ۲۹	9 ۳۰
10 انتقال ۱	11 ۲	12 ۳	13 ۴	14 ۵	15 ۶	16 ۷	17 ۸

DEC دسمبر 2018 — ربیع الاول/ربیع الآخر ۱۴۴۰ھ

SUN इतवार	MON	TUE	WED	THU	FRI जुमा	SAT
30 ۲۲	2 ۲۳	9 انتقال ۱	16 ۸	23 ۱۵	24 ۱۶	25 ۱۷
31 ۲۳	3 ۲۴	10 ۲	17 ۹	24 ۱۴	25 ۱۵	26 ۱۶
۲۵ دسمبر کرسمس ڈے 25th December Christmas Day	4 ۲۵	11 ۳	18 ۱۰	25 ۱۷	26 ۱۸	27 ۱۹
5 ۲۶	12 ۴	19 ۱۱	26 ۱۸	27 ۱۹	28 ۲۰	29 ۲۱
6 ۲۷	13 ۵	20 ۱۲	27 ۱۹	28 ۲۰	29 ۲۱	30 ۲۲
7 ۲۸	14 ۶	21 ۱۳	28 ۲۰	29 ۲۱	30 ۲۲	31 ۲۳
1 انتقال ۲۲	8 ۲۹	15 ۷	22 ۱۴	29 ۲۱	30 ۲۲	31 ۲۳